खण्ड-139, अंक-2
मंगलवार, 9 भाद्रपद, शक संवत् 1876
(31 अगस्त, 1954 ई0)

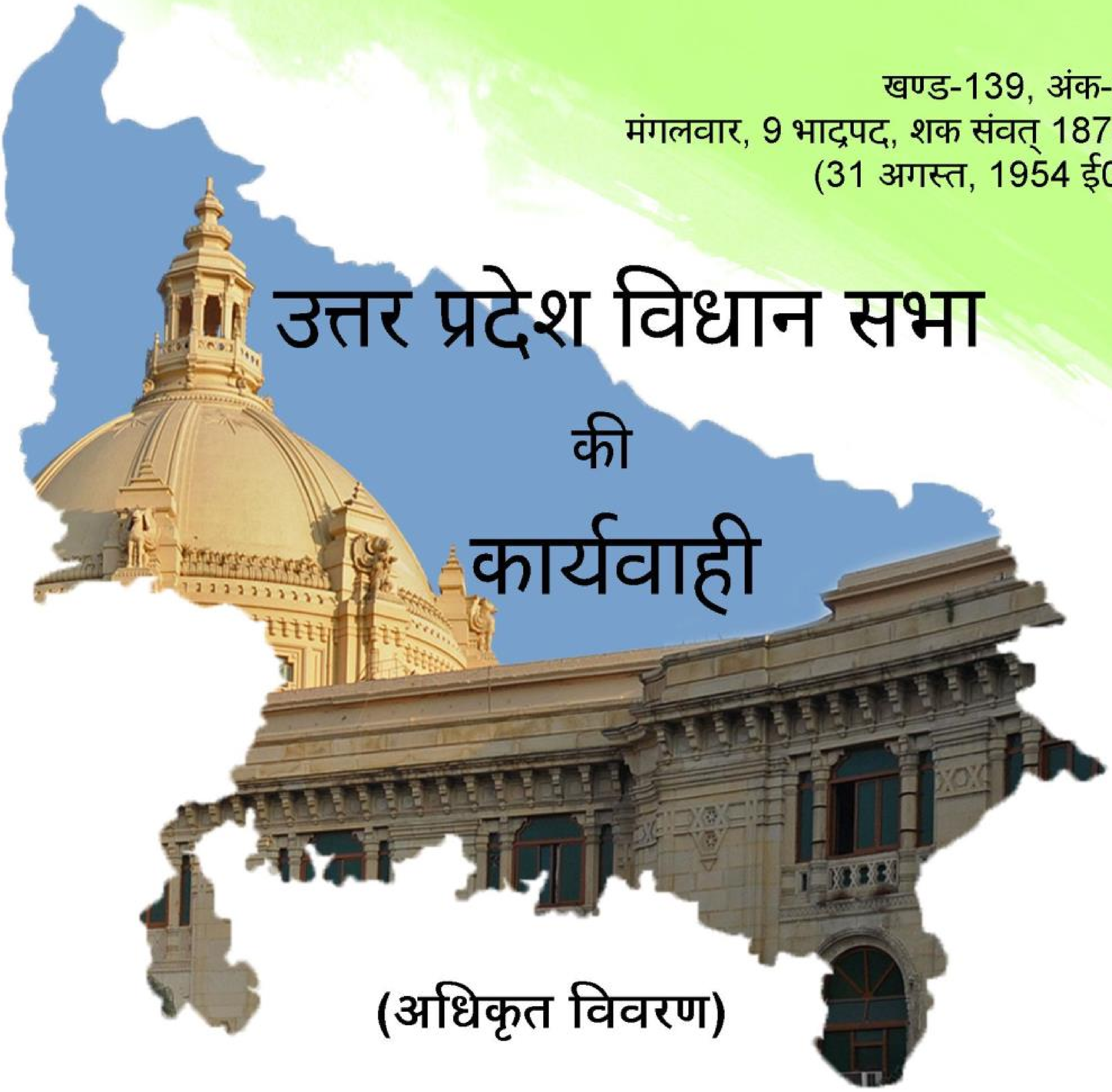

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 139 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ३१ अगस्त, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविंद खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६२)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसेन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केदारनाथ, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद जायसवाल, श्री
गणेश प्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री

गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोबर्धन तिवारी, श्री
गौरी राम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासी राम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरंजन, श्री
चिरंजी लाल जाटव, श्री
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री
चुन्नी लाल सगर, श्री
छेदा लाल, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथमल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारयण दास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक़, श्री
फतेह सिंह, राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बलदेवसिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार,
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवर जी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुन्नू लाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज़
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री

रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
बिष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजबिहारी मिश्र, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री

अध्यक्ष प्रदेश विधान सभा

सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम चौधरी, श्री
सीता राम, डाक्टर
सीता राम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमानप्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविंद पंत, श्री
हरगोविंद सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

झांसी की जनता को बिजली की असुविधा

*१—**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)—क्या सरकार को पता है कि झांसी बिजली कम्पनी द्वारा बिजली की सप्लाई कम कर देने के कारण वहां की जनता को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो सप्लाई कम करने का क्या कारण है ?

वित्त मन्त्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—जी हां, झांसी बिजली कम्पनी के ३५० के० डब्लू०डीजल सेट के अचानक खराब हो जाने से झांसी में बिजली की कमी हो गयी है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार को पता है कि साल भर से कोई रेजीडेंट इंजीनियर न होने की वजह से सेट खराब हुआ और पावर स्टेशन बर्स्ट होते-होते बचा ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह तो खबर है सरकार को कि इंजिन खराब हुआ था लेकिन यह नहीं मालूम कि साल भर तक कोई इंजीनियर नहीं था।

श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या सरकार बिजली कम्पनी को हिदायत देने की कृपा करेगी कि वह जल्द से जल्द पूरी सप्लाई करने का प्रबंध करे ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी हां, जहां तक इंजिन ठीक करने का ताल्लुक है उसमें कम्पनी और हम दोनों कोशिश कर रहे हैं और रेजीडेंट इंजीनियर भी रखाने के लिये उनसे तकाजा कर दूंगा कि वह फौरन रखें।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट के अनुसार झांसी शहर में कंट्रोल बिजली पर लागू है या नहीं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह मुझे याद नहीं है कि वहां पर कंट्रोल है।

श्री रामसहाय शर्मा (जिला झांसी)---क्या माननीय मंत्री जी को सूचना मिली है कि झांसी में केवल सिविल लाइन्स में रोशनी का प्रबंध है और सारे शहर में कई दिनों से अंधेरा पड़ा हुआ है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मुझे ठीक नहीं मालूम है, सही होगा, हो सकता है कि सिविल लाइन्स में रोशनी हो, और जगह न हो। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि यह जल्द से जल्द हो जाय ।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह शीघ्र ही बिजली को डिस्कंट्रोल करने जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष---आप झांसी के बारे में पूछ रहे हैं या जनरल ?

श्री केशव गुप्त---झांसी के बारे में भी और जनरल भी ।

श्री अध्यक्ष---तो मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह बिजली का कारखाना कितने किलोवाट का है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मुझे याद नहीं कि कितनी तादाद का है ।

श्री गज्जू राम (जिला झांसी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह बिजली कब तक ठीक हो जायगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---हम तो यह कोशिश कर रहे हैं कि दो-तीन महीने में ठीक हो जाय, लेकिन चीजें बाहर से आती हैं, पूरा काबू नहीं है, मुमकिन है ज्यादा वक्त लग जाय ।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या जब तक बिजली ठीक न हो जाय तब तक के लिये सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट के अनुसार कंज्यूमर्स के इंट्रेस्ट में, कोई विशेष नियम बनाये हैं या बना रही है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---समझ में नहीं आया कि क्या बनाने को कहा ।

श्री अध्यक्ष---नियम (रूल्स) ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--- किस बात के ?

श्री अध्यक्ष---(श्री नारायण दत्त तिवारी से) आप अपने प्रश्न को दोहरा दें ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---पिछले साल भर झांसी की बिजली की दशा को देखते हुए क्या मंत्री जी ने कोई विशेष नियम बनाये हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---झांसी का किस्सा तो अभी पैदा हुआ है साल भर का नहीं है ।

तारांकित प्रश्न

*१-३---**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)---[२८ सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये ।]

तहसील बाह, जिला आगरा को बिजली सप्लाई करने का विचार

*४—**श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी** (जिला आगरा)—क्या सरकार तहसील बाह जिला आगरा में कृषि तथा उद्योग को प्रोत्साहित और उन्नत करने के लिये बिजली देने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इस समय बाह जिला आगरा में बिजली देने की कोई भी योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—क्या सरकार को २३ अप्रैल को एक प्रार्थना-पत्र ऐसा दिया गया था जिसमें यह प्रार्थना की गयी थी कि बिजली के अभाव में वहां पर साधारण तौर से सिंचाई असंभव है, इसलिये वहां पर बिजली लाने की कोशिश की जाय ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—आज की बात यह है कि हम इस फिक्र में हैं कि वहां बिजली कहीं से लेकर कोई स्कीम लाकर दे दें । यह तो विचार में है । क्योंकि कनेक्शन तो हो सकता था किसी पर्टिकुलर स्कीम की बाबत, तो उसकी बाबत मैंने जवाब दे दिया है कि कोई पर्टिकुलर स्कीम ऐसी तैयार नहीं हुयी है कि जिस पर गवर्नमेंट गौर कर रही हो, बाकी बिजली हो जाय, इस पर गौर कर रही है ।

अकबरपुर, जिला कानपुर की मुंसिफी कचहरी का स्थानान्तरण

*५—**श्री रामदुलारे मिश्र** (जिला कानपुर)—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर, जिला कानपुर की मुंसिफी कचहरी अकबरपुर में रहने के बाद वहां से हटा दी गयी ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—जी हां ।

*६—**श्री रामदुलारे मिश्र**—क्या यह सच है कि अकबरपुर में स्थित मुंसिफी कचहरी में पुखरायां, डेरापुर और अकबरपुर तहसीलों के जो मुकदमें निर्णय होते थे वे अब कानपुर शहर में होते हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां ।

*७—**श्री रामदुलारे मिश्र**—क्या सरकार अकबरपुर मुंसिफी अदालत को, जिसके नाम से कानपुर में स्थित मुंसिफी कचहरी में अभी भी काम होता है, पुनः अकबरपुर में ही, जहां उसकी पुरानी, पुख्ता सरकारी इमारत अभी भी खाली पड़ी है, कर देने का विचार कर रही है ?

श्री सैयद अली जहीर—१९३८ से कानपुर में अकबरपुर नाम की कोई भी मुंसिफी अदालत नहीं है । अकबरपुर की पुरानी मुंसिफी अदालत की इमारत पुलिस विभाग को हस्तान्तरित कर दी गयी है और कानपुर से किसी मुंसिफी अदालत को अकबरपुर ले जाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या माननीय न्याय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जबकि अकबरपुर में पुखरायां, डेरापुर और अकबरपुर के निवासियों की परेशानी उस मुंसिफी के होने की वजह से दूर हो जाती थी और पैसे की बरबादी रुकती थी, तो क्या कारण है कि अकबरपुर से मुंसिफी हटाकर कानपुर में की गयी ?

श्री सैयद अली जहीर—यह तो सन् १९३० में फैसला हुआ था और उस वक्त से इसी फैसले पर सरकार काम कर रही है ।

श्री रामदुलारे मिश्र--मैं अर्ज यह कर रहा था कि कारण पर सरकार प्रकाश डालने की कृपा करे ।

श्री सैयद अली जहीर--२४ वर्ष हो गये उस फैसले को । मैं नहीं बता सकता कि २४ वर्ष पहले क्या कारण थे ।

श्री राम दुलारे मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी को यह पता है कि कानपुर की मुंसिफी हवाली के सामने अब भी अकबरपुर मुंसिफी हवाली का बोर्ड लगा हुआ है ?

श्री सैयद अली जहीर--यह तो मुझे नहीं मालूम कि बोर्ड लगा है या नहीं, लेकिन कोई मुंसिफी अकरबरपुर के नाम की अब कानपुर में नहीं है ।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--क्या माननीय मंत्री जी जनता की सुविधा के लिए पुनः अकबरपुर में यह मुंसिफी ले जाने की कृपा करेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर--अगर इस किस्म की कोई दरख्वास्त होगी या कोई मांग होगी तो उस पर जरूर गौर किया जायगा ।

श्री रामदुलारे मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी अकबरपर, डेरापुर और पुखरायां तहसील के नागरिकों को ध्यान में रखते हुए और पैसे की बचत को ख्याल में रखकर अकबरपुर में फिर मुंसिफी कचेहरी कायम करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--इसका जवाब तो दे दिया गया । आपको यहां पर सजग रहना चाहिये ।

बढ़नी, जिला बस्ती पंचायत निरीक्षक क्षेत्र में सरकारी सहायता से कूप निर्माण

*८--**श्री राजाराम शर्मा** (जिला बस्ती)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पंचायत निरीक्षक क्षेत्र बढ़नी (बस्ती) में सरकारी सहायता योजना के अन्तर्गत कितने कुएं १९५२-५३ और ५३-५४ में मंजूर हुए और बने ?

सिंचाई उप-मंत्री (श्री राम मूर्ति)--सन् १९५२-५३ में सरकार ने कूप निर्माण की एक विशेष योजना स्वीकृत की थी, जिसके अन्तर्गत जिला बस्ती को १००० कुएं निर्धारित किये थे । इन १००० कुओं में से १०८ बढ़नी क्षेत्र के लिये स्वीकृत हुए । उनमें से २७ कुयें बन चुके हैं ।

सन् १९५३-५४ में साधारण योजना के अन्तर्गत बस्ती जिले में केवल ३०० कुयें निर्धारित किये गये और इस संख्या का क्षेत्रवार विवरण नहीं किया गया । बढ़नी क्षेत्र में उस समय सीमेंट, कोयला इत्यादि उपलब्ध न होने के कारण कोई कुआं स्वीकृत नहीं किया गया है ।

श्री राजाराम शर्मा--क्या सरकार को यह मालूम है कि इस क्षेत्र की स्वीकृत ईंट और सीमेंट नैपाल राज्य में ब्लैक हो गयी जिससे ठीक तरह से कुएं नहीं बन पाये ?

श्री राम मूर्ति--सरकार के पास इसकी कोई सूचना नहीं है ।

श्री राजाराम शर्मा--क्या सरकार कुओं की जांच करायेगी ?

श्री राममूर्ति--यह जो फैक्ट नोटिस में लाया गया है उसके बारे में जरूर जांच कराई जायगी ।

श्री अब्दुल मुईज़ खां (जिला बस्ती)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि १०८ कुएं जो बढ़ना क्षेत्र के लिये स्वीकृत हुए थे, उनमें से सिर्फ २३ ही क्यों कम्पलीट हुए ?

श्री राममूर्ति—२३ नहीं, २७ कम्प्लीट हुए हैं और १५ बन रहे हैं।

कांधला, जिला मुजफ्फरनगर में निर्माण कार्य

*९—**श्री श्रीचन्द्र** (जिला मुज़फ्फ़रनगर)—क्या निर्माण मंत्री बतायेंगे कि परगना कांधला (मुज़फ्फ़रनगर) में क्या-क्या निर्माण कार्य १९५२-५३ में हुये ?

निर्माण उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—परगना कांधला में १९५२-५३ में सहारनपुर-बागपत सड़क के छः मील में मिट्टी डालने, पुलिया बनाने, नीचे की तह के लिये ईंटें और ऊपर की तह के लिये पत्थर की रोड़ी जमा करने का कार्य हुआ।

*१०—**श्री श्रीचन्द्र**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन निर्माण-कार्यों के सम्बन्ध में क्या व्यय हुआ ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—उक्त कार्य पर १,६१,४४९ रुपया व्यय हुआ।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस सड़क को बनाना कब आरम्भ किया गया था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिये सूचना की जरूरत होगी। मेरे पास तारीख तो नहीं है लेकिन यह शायद ऐसा मालूम होता है कि दो साल के करीब इसको हो गये।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि इस ६ मील के टुकड़े में लगभग दो मील का टुकड़ा ऐसा है कि जहां अब तक मिट्टी इत्यादि का कुछ भी काम नहीं हुआ है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सड़क कब तक बन कर पूरी हो जायगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिये रुपया मंजूर हो गया है। यह एक बड़ी २९ मील सड़क का हिस्सा था जो आप ने पूछा और मेरे ख्याल में जल्द से जल्द इसको पूरा करने की कोशिश की जायगी।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस स्थान पर अब तक मिट्टी इत्यादि का काम नहीं हुआ, वह किन कारणों से रुका है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो वह पहले जवाब दे चुके हैं कि सूचना उनको है नहीं। तो उसके ऊपर प्रश्न पूछना बेकार है।

तहसील तरबगंज, जिला गोंडा में पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत निर्माण आयोजन

*११—**श्री गंगा प्रसाद** (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पंच वर्षीय योजना के अधीन तरबगंज तहसील, जिला गोंडा में कोई पक्की सड़क या पुल निर्माण किये जाने का आयोजन किया जा रहा है ?

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)—प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत तरबगंज तहसील में गोंडा-बिलसर सड़क के पुनः निर्माण का आयोजन है।

गोंडा जिले में सिंचाई योजनाओं पर विचार

*१२—**श्री गंगा प्रसाद** (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा, तहसील तरबगंज, परगना महादेव, नवाबगंज तथा परगना गोंडा में तप्पा धानेपुर के पूर्वी क्षेत्र के लिये कोई सिंचाई की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

सिंचाई मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—उक्त क्षेत्र में सिंचाई संबंधी सुविधा प्रदान करने की सम्भावना पर विचार किया जा रहा है।

*१३—**श्री गंगा प्रसाद** (अनुपस्थित)—क्या सरकार नवाबगंज शुगर मिल्स से बिजली प्राप्त कर के नवाबगंज और महादेवा परगना में सिंचाई के लिये किसी योजना पर विचार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं।

कतिपय गृह उद्योगों पर से बिक्री-कर का हटाया जाना

*१४—**श्री देवकी नन्दन विभव** (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार ने अभी कुछ गृह उद्योगों पर से बिक्री कर हटाया है ? यदि हां, तो वे क्या हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी हां। सरकार ने १ अप्रैल, १९५४ ई० से नीचे दिये हुये गृह उद्योगों पर से बिक्री कर हटाया है :—

(१) करघे पर बनी दरियां।
(२) करघे पर बनी निवाड़।
(३) करघे पर बने ऊनी कम्बल और धुस्सा।
(४) ऊनी कालीन जो भारत के बाहर निर्यात के लिये हों।
(५) नक्काशी की हुई लकड़ी का सामान।
(६) हाथी दांत का सामान।
(७) संगमरमर का सामान।
(८) दफ्ती के बक्स।
(९) हाथ की बनी कैंची और चाकू [उस स्थिति में जब कि उन पर उद्योग विभाग द्वारा उत्तम वस्तु छाप (क्वालिटी मार्क) अंकित की जाय।)]
(१०) चिकन।
(११) अलीगढ़ के बने ताले और तालों के हिस्से।
(१२) भारत में बने गणित सम्बन्धी परिमापन यन्त्रादि (मैथेमेटिकल सर्वे इन्स्ट्रूमेन्ट्स) [उस स्थिति में जब कि उन पर उद्योग विभाग द्वारा उत्तम वस्तु छाप (क्वालिटी मार्क) अंकित की जाय।]

गाजीपुर जिले में नलकूप निर्माण

*१५—**श्री कमला सिंह**—(जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गाजीपुर जिले की प्रत्येक तहसील में कितने-कितने ट्यूब वेल कब तक लगाये जायेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--गाजीपुर जिले में अब तक ३५ नलकूप इन तहसीलों में बन चुके हैं:--

गाजीपुर तहसील	१५
सईदपुर	१३
मुहम्मदाबाद यूसुफपुर	७

इनके अतिरिक्त ४१ और नलकूप बनाने की स्वीकृति दी जा चुकी है जो कि अगले वर्ष तक बन जायेंगे। अभी इन ४१ नलकूपों का वितरण निश्चित नहीं हुआ है।

तहसील सैदपुर, जिला गाजीपुर में नहर तथा रेगुलेटर बनाने की योजना

*१६--**श्री कमला सिंह** (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले की सैदपुर तहसील में कोई नहर और रेगुलेटर बनाने की योजना सरकार के विचराधीन है? यदि हां, तो कहां और कब तक इनका निर्माण होगा?

श्री कमला पति त्रिपाठी--फैजाबाद जिला में घाघरा नदी से टांडा पम्प नहर निकालने का निर्माण कार्य चालू किया जा रहा है। इस नहर की बड़ी योजना जो कि द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में रक्खी गयी है, गाजीपुर जिले की सैदपुर तहसील को भी अपने सिंचत क्षेत्र (command) में लेगी। खरारी तथा अखोंजी नदी पर रेगुलेटर बनाने का आदेश दिया जा चुका है और निर्माण कार्य इसी वर्ष आरम्भ किया जावेगा।

बाह, जिला आगरा में ट्यूबवेलों के कार्य में विलम्ब

*१७--**श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आठ एक्सप्लोरेटरी ट्यूब वेल्स पर जो क़रीब दो साल से बाह, जिला आगरा के लिये मंजूर है, कार्य आरम्भ करने में क्यों इतना विलम्ब हो रहा है?

श्री राममूर्ति--इस प्रदेश में ४७ एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल्स का निर्माण भारत सरकार की एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल्स योजना के अधीन होना निश्चित हुआ है। इन ४७ नलकूपों का वितरण जो इस सरकार ने निर्धारित किया है, उसका पुष्टीकरण भारत सरकार द्वारा नियुक्ति की गई Site selection committee की सिफारिशों पर स्वयं भारत सरकार करेगी और इसके बाद भारत सरकार के विशेषज्ञ इन नलकूपों का निर्माण करेंगे। जब तक यह पुष्टीकरण न हो जाय, इस वितरण को जिसमें बाह के आठ नलकूप भी हैं, पक्का न समझना चाहिये। भारत सरकार ने सूचित किया है कि यह कमेटी अगले वर्ष किसी समय इस प्रदेश का निरीक्षण करेगी और उसकी सिफारिशें जानने के पश्चात् भारत सरकार कुओं का वितरण तथा निर्माण कार्य आरम्भ करने का समय निर्धारित करेगी। अतः विलम्ब का प्रश्न नहीं उठता।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--क्या सरकार इसमें अधिक विलम्ब होने के कारण स्वतः इस काम को अपने हाथ में लेने की कृपा करेगी?

श्री राम मूर्ति--केन्द्रीय सरकार की योजना के अलावा हम अपनी तरफ से भी सोच रहे हैं कि बारिश का मौसम जब ख़त्म हो जाय तो दो एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल ट्राई किये जायं।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--ट्यूबवेल के सम्बन्ध में कोई निश्चितता न होने के कारण क्या सरकार सिंचाई के सम्बन्ध में किसी और योजना पर विचार कर रही है?

श्री राम मूर्ति—वैसे हमारी सरकार ने केन्द्रीय सरकार से चम्बल योजना के बारे में बहुत आग्रह किया है कि वहां से हमारे यहां एक नहर जरूर मिले और हम उम्मीद करते हैं कि हमको मिलेगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि यह ४७ एक्स्प्लोरेटरी ट्यूबवेल्स प्रदेश के किन किन स्थानों में बनाने का सुझाव भेजा गया है ?

श्री राममूर्ति—इटावा २, जसपुर २, अफ़ज़लगढ़ (बिजनौर) २, काशीपुर २, हल्द्वानी २, रामनगर २, हृषिकेष २, मथुरा ६, आगरा ८, फतेहपुर ४, देहरादून ४, मिर्जापुर २, इलाहाबाद २, बांदा ३, प्रतापगढ़ २, कानपुर २।

जिला फतेहपुर की फतेहपुर-गाजीपुर तथा खागा-किशनपुर सड़कों के सुधार की आवश्यकता

*१८—**श्री अनन्त स्वरूप सिंह** (जिला फतेहपुर)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर की खागा-किशुनपुर और फतेहपुर-गाजीपुर सड़कों को जिला बोर्ड से लेकर सार्वजनिक निर्माण विभाग के सुपुर्द करने का उनका विचार है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*१९—**श्री अनन्त स्वरूप सिंह**—अगर हां, तो कब तक ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अनन्तस्वरूप सिंह—क्या माननीय उपमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जब वह फतेहपुर तशरीफ ले गये थे तो उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि इन सड़कों को पी० डब्ल्यू० डी० में ले लिया जायगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मैं जब फतेहपुर गया था तो मुझ से कहा गया था कि इन सड़कों की हालत ख़राब है और इनको पी० डब्ल्यू० डी० से दुरुस्त करवा दिया जाय। तो मैंने यह कहा था कि इनमें सुधार कर दिया जायगा। अगर पी० डब्ल्यू० डी० में लेने का यह मतलब है कि सुधार किया जाय तो सुधार का प्रस्ताव चल रहा है। उसके लिये एस्टीमेट तैयार हो गया है और रुपया मंजूर होने पर सुधार का काम पी० डब्लू० डी० से करा दिया जायगा। लेकिन प्राविंशलाइज हो जायं, यह सवाल सरकार के अभी विचाराधीन नहीं है।

मथुरा, गोकुल, महावन आदि तीर्थ स्थानों में मद्य निषेध का सुझाव

*२०—**श्री राम हेत सिंह** (जिला मथुरा)—क्या मादक कर मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा, गोकुल, महावन इन तीर्थस्थानों में मद्य निषेध कानून लागू करने का सरकार विचार कर रही है ?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं।

*२१—**श्री राम हेत सिंह**—यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सैयद अली जहीर—सरकार ने मद्य निषेध के बारे में प्रश्नावलियां जारी कर के सूचना इकट्ठा की है और उस पर विचार कर रही है। उस पर फैसला हो जाने के बाद ही सरकार मद्य निषेध के बारे में कोई निश्चित क़दम उठायेगी।

श्री राम हेत सिंह—क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा, गोकुल, महावन, नंदगांव, बरसाना, यह भी तीर्थ स्थान हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां। इनके तीर्थस्थान होने में किसी को शक नहीं।

श्री रामहेत सिंह—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इन तीर्थ स्थानों पर भी मादक निरोधक कानून लगाने की कृपा करेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर—अभी बतला चुका हूं कि गौर हो रहा है और कुछ तय नहीं किया गया है कि कहां कहां इसको बढ़ाया जाय। जिस वक्त सवाल आयेगा उस वक्त गौर किया जायगा तो इन जगहों का खास तौर पर खयाल रखा जायगा।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—क्या उत्तर प्रदेश के सभी तीर्थ स्थानों पर मादक द्रव्य निषेध करने का विचार सरकार का है ?

श्री सैयद अली जहीर—नहीं, ऐसा तो ख्याल नहीं है।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार को मालूम है कि इन तीर्थ स्थानों में बहुत सारे शाक्त हैं जिनको मद्य की आवश्यकता अपनी पूजा के लिये होती है और अगर यह कानून लगा दिया गया तो क्या उनकी पूजा में बाधा उत्पन्न नहीं होगी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

नैनीताल में हाइड्रो इलेक्ट्रिक विभाग द्वारा इमारत की खरीद

*२२—**श्री भगवान सहाय** (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि Hydro Electric विभाग ने नैनीताल में कोई इमारत अपना Rest House बनाने के लिये ली है ? यदि हां, तो किस क़ीमत पर ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी हां, बत्तीस हजार रुपये में।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि नैनीताल में बिजली का कोई प्रोजेक्ट न होते हुए भी बिजली विभाग को नैनीताल में अपना रेस्ट हाउस बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—कुल कुमायूं में वहां से बिजली का इन्तजाम करना है और आफिसर्स को वहां रहना है।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात का पता है कि नैनीताल में किसी विभाग के पास अपना रेस्ट हाउस नहीं है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इंस्पेक्शन हाउसेज हैं। पी० डब्ल्यू० डी० का इंस्पेक्शन हाउस तो पहले से ही है।

श्री गेंदा सिंह—क्या वित्त मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस प्रश्न को फाइनेंस कमेटी के सामने लाना जरूर था और अगर था तो उसके सामने आया था ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—न आना जरूरी था, न आया है। इस किस्म का खर्चा जैसा कि यह है प्रोजेक्ट के अन्दर मंजूर हो चुका होता है।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह ३२ हजार का खर्चा कौन से प्रोजेक्ट के अधीन मंजूर हुआ है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जो विद्युत प्रोजेक्ट्स हैं उनमें १ लाख कुछ हजार रुपया इंस्पेक्शन हाउसेज के लिये है, उसी में का यह ३२ हजार रुपया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि यह जो इमारत नैनीताल में ली है यह तालाब के किस तरफ है और किस स्थान पर है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--यह मुझको मालूम नहीं।

श्री भगवान सहाय--क्या यह बात सही है कि एक पुराना मकान ले कर रेस्ट हाउस में कंवर्ट किया गया है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--अगर मेम्बर साहब का ऐसा शुबहा है तो सितम्बर में जाकर मैं खुद उस मकान को देख आऊंगा और वह मुझ से अक्टूबर में पूछ लें तो मैं बतला दूंगा।

*२३--**श्री भगवान सहाय**--[१६ सितम्बर, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*२४-२५--**श्री देवकीनन्दन विभव** (जिला आगरा)--[१३ सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान से सीमावर्ती क्षेत्रों में मार्ग निर्माण

*२६--**श्री नारायण दत्त तिवारी**--क्या यह सही है कि सीमावर्ती क्षेत्र में यातायात मार्गों की रक्षा व्यवस्था के लिये प्रान्तीय सरकार को केन्द्रीय सरकार ने मोटर सड़कें तथा पैदल सड़कें बनाने के लिये कुछ ग्रान्ट दी है ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हां। १४७ लाख रुपये।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार ने जो यह प्रान्तीय सरकार को ग्रान्ट दी है यह एक बड़ी ग्रान्ट का हिस्सा है, अगर हां, तो उस ग्रान्ट की क्या क्या शर्तें हैं और किस आधार पर यह ग्रान्ट प्रान्तीय सरकार को दी गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इस ग्रान्ट-इन-एड के लिये सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा गया था। यह ग्रान्ट इन एड ४,४७,६९,००० के लिये थी। उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट ने ढाई करोड़ रुपये दिये हैं और यह रुपया अनएम्प्लायमेंट को रिमूव करने के लिये, बोर्ड्स रोड्स को बनाने के लिये, मर्ज्ड स्टेट्स की सड़कों को बनाने के लिये जिसमें कि ३१ सड़कें हैं, उनके बनाने के, लिये खर्च किया जायगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस ढाई करोड़ रुपये की स्वीकृत योजनाओं में और कौन कौन सी सड़कें शामिल की गयी हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--मैंने अभी आपसे बतलाया कि वह ३१ सड़कें हैं। अगर माननीय अध्यक्ष कहें तो मैं उसको पूरा पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष--आप उनके केवल नाम पढ़ सकते हैं।

श्री चतुर्भुज शर्मा--- वह इस प्रकार से हैं :--

१---लोहाघाट-पिथौरागढ़ रोड ।
२---पिथौरागढ़-अस्कोट रोड ।
३---अस्कोट, बागेश्वर रोड ।
४---बागेश्वर, कपकोट रोड ।
५---कपोट तिगा थाल तेजा गिरगांव रोड
६---अस्कोट-धरचूला रोड
७---धरचूला-धरवियांग रोड
८---मझखौली-सोमेश्वर रोड
९---गरूर-दंगौली रोड
१०---मोहन-दोमाली-बजराऊ रोड
११---जोशीमठ--नीतीगांव रोड
१२---धरासू--बरकोट रोड
१३---भदवारी-तीलांग रोड
१४---तुलसीपुर-नेपाल रोड
१५---देवबन्द-ननौता रोड
१६---बागपत-गाजियाबाद रोड
१७---सयाना कचेश्वर रोड
१८---सूरजनगर-ठाकुरद्वारा रोड
१९---नारायणी-कालीनगर रोड
२०---बक्सी तालाब-अस्टो रोड
२१---सुल्तानपुर-कटियानी रोड
२२---फूलपुर-मुबारकपुर रोड
२३---सिसवा--निचलौल-तुर्तीवारी रोड
२४---रसरा-नगरा-तुर्तीपुर रोड
२५---मुसकारा-मोदाहा रोड
२६---बड़कवा-अहरोरा रोड
२७---मोठ-समथर रोड
२८---महोबा-चरखारी रोड
२९---कौंच नदी गांव रोड
३०---सिकन्दरा-अकबरपुर
३१---नीतिग्राम-नीती दर्रा ।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि क्या सेन्ट्रल गवर्नमेंट से ग्रान्ट मिलने पर इन सड़कों का निर्माण-कार्य शुरू हो गया है ?

***श्री चतुर्भुज शर्मा**---कायदा यह है कि जब इस्टीमेंट केन्द्रीय सरकार स्वीकृत कर देती है तब काम आरम्भ किया जाता है । अभी कोई एस्टीमेट केन्द्रीय सरकार से स्वीकृत हो कर नहीं आया है । जैसे ही मंजूरी आ जायगी काम शुरू कर दिया जायगा ।

श्री गेंदा सिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यहां से सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या प्रोग्राम भेजा गया था ?

---

*२१ सितम्बर, १९५४ की कार्यवाही में श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार संशोधित ।

विधान सभा

श्री चतुर्भुज शर्मा--मैंने अभी बतलाया कि काफी सड़कों और पुलों का प्रोग्राम भेजा गया था और वह ४ करोड़ ४७ लाख के करीब कुल प्रोग्राम था जो भेजा गया था। जो सड़कें महत्वपूर्ण थीं उनका प्रोग्राम भेजा गया था।

*२७--**श्री नारायण दत्त तिवारी**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त प्रान्त से कौन-कौन सी मोटर सड़कें अथवा पैदल सड़कें बनाई जायेंगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--सड़कों के नाम संलग्न सूची में दिये हुए हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १४० पर)

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि जो रुपया इन सड़कों पर खर्च किया जा रहा है जिनका सूची में वर्णन किया गया है, बहुत से जिले तो छूट गये हैं और किसी-किसी जिले में कई सड़कें हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--सूची तो आपके सामने मैंने पढ़ कर सुना दी है पूरी। यह हो सकता है कि कुछ जिले छूट गये हों लेकिन उसका जो आधार है वह मैंने बतला दिया कि जो बोर्ड्स रोड्स हैं, या मर्ज्ड स्टेट्स की रोड्स हैं या और जो इस तरह की इम्पार्टेंट रोड्स हैं उनको प्राथमिकता दी गई है।

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)--क्या माननीय मंत्री महोदय कृपा पूर्वक बतलायेंगे कि जिन बोर्ड्स रोड्स पर यह रुपया खर्च किया जा रहा है वे बोर्ड्स रोड्स यू० पी० सरकार ने सेलेक्ट किये हैं या भारत सरकार ने सेलेक्ट किये हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा-- ये सब भारत सरकार ने सेलेक्ट किये हैं। हमने पूरा प्रोग्राम बना कर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेज दिया था और उसने सेलेक्ट करके इनके लिये रुपया दिया है।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि किन किन सड़कों का इस्टीमेट आ गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--बागेश्वर-कपकोट सड़क, जोशीमठ-नीतिग्राम सड़क और तुलसीपुर-नेपाल जाने वाली सड़क।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ढाई करोड़ की योजना को कार्यान्वित करने के लिये प्रान्तीय सरकार ने अपनी ओर से कितना अनुदान दिया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह तो जो सड़कें ली गयी हैं उनका इस्टीमेंट इतना ही है लेकिन अगर अब कुछ बढ़ गया तो उसके लिये स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी।

श्री कृष्ण शरण आर्य (जिला रामपुर)--क्या माननीय निर्माण मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन ३१ सड़कों में मर्ज्ड स्टेट्स की कौन-कौन सड़कें हैं और कहां-कहां की हैं ?

श्री अध्यक्ष--यह तो पढ़ कर सुना दिया गया है। इसके बाद जो बात हो वह समझ लेनी चाहिये।

श्री कृष्ण शरण आर्य--क्या यह सही है कि इन ३१ सड़कों में मर्ज्ड रामपुर स्टेट की कोई सड़क नहीं है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—शायद नहीं है।

श्री ऐजाज रसूल (जिला हरदोई)—क्या मेहरबानी करके मिनिस्टर महोदय बतलायेंगे कि पी० डब्ल्यू० डी० की स्टैंडिंग कमेटी के सामने यह प्रोग्राम रखा गया था या नहीं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसके बारे में स्टैंडिंग कमेटी का सजेश्चन आया था और उन मेम्बरों को भी सब दिखला दिया गया था और जो सजेश्चन्स उन्होंने दिये उनको लिख कर प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया गया।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करें कि किसी इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड को इस सूची में क्यों नहीं रखा गया है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मैंने अर्ज किया कि हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेलेक्ट किया है रोड्स को, उन्होंने अपना एक प्रिंसपुल एडाप्ट कर लिया और उसी तरीके पर महत्वपूर्ण और बड़ी-बड़ी सड़कों को सेलेक्ट करके भेजा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ढाई करोड़ या डेढ़ करोड़ रुपये के अन्दर ही ये सड़कें पूरी तरह से निर्मित हो जायेंगी?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अन्दाजा अभी यही था लेकिन हो सकता है कि किसी और कारण से कहीं रुपया बढ़ जाय या कम हो जाय।

*२८—श्री बाबू नन्दन (जिला जौनपुर)—[२८ सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

*२९-३०—श्री बशीर अहमद हकीम (जिला सीतापुर)—[१३ सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*३१-३२—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—[२८ सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

अपर गंगा नहर को चौड़ा करने की योजना

*३३—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार कृपाकर बतायेगी कि नहर, गंग के चौड़ा करने की योजना पर क्या व्यय होगा और इससे कितना अधिक रकबा सींचा जा सकेगा?

श्री राम मूर्ति—अपर गंगा नहर के चौड़ा करने की योजना का आगणित व्यय १५,४४,५३१ रुपया है तथा इससे ८८,००० एकड़ भूमि की अधिक सिंचाई हो सकेगी।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह ८८ हजार एकड़ भूमि की जो बात जवाब में बताई गई है वह रबी में होगी या खरीफ में?

श्री राम मूर्ति—वह सम्भवतः सारी फसलें मिलाकर होंगी।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि यह जो अतिरिक्त आबपाशी होगी वह किन-किन जिलों में होगी ?

श्री राम मूर्ति—जहां आजकल गंगा की नहर जा रही है उन्हीं से मिले-जुले इलाकों में होगी।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस नहर को कितना लम्बा और कितना चौड़ा किया जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस सम्बन्ध में कोई आंकड़े हमारे पास नहीं हैं लेकिन इतना चौड़ा किया जायगा कि २,००० क्यूजेक्स पानी गंगा से और ले लें।

श्री जोरावर वर्मा—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना पर काम प्रारम्भ हो गया है ? यदि नहीं, तो कब तक प्रारम्भ हो जायगा ?

श्री राममूर्ति—२,००० क्यूजेक्स बढ़ने को हैं, उसमें से १,००० की क्षमता हो गई है और बाकी १,००० इस साल पूरा हो जायगा।

श्री बलवन्त सिंह—क्या इस नहर को सरकार और लम्बा तो नहीं कर रही है ?

श्री राम मूर्ति—अब तक तो सिर्फ चौड़ी करने की बातचीत है।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह योजना कब से शुरू हो जायगी और उसके पूरे होने में कितना समय लगेगा ?

श्री राम मूर्ति—मैंने तो अध्यक्ष महोदय, अर्ज किया कि आधा काम तो हो चुका है और आधा इस साल में खत्म हो जायगा।

गाजीपुर और सैदपुर के बाजारों को मऊ से बिजली देने का विचार

*३४—श्री कमला सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार गाजीपुर जिले में गाजीपुर और सैदपुर बाजार में मऊ से बिजली देने वाली है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—गाजीपुर को मऊ पावर स्टेशन से बिजली देने का सवाल सरकार के विचाराधीन है। लेकिन इस समय सैदपुर बाजार को बिजली देने का कोई विचार नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मऊ पावर हाउस से किन-किन शहरों को बिजली इस समय दी जा रही है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—आजमगढ़ जिले में जितने ट्यूबवेल्स बनने वाले हैं या बन गये हैं, उन सब को मिलने वाली है। गाजीपुर को मिलने वाली है। और खुद मऊ टाउन को भी हमारी नजर है कि इसको बिजली दी जाय।

श्री राम सुन्दर पांडेय—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बलिया, गाजीपुर और मऊ शहर को इससे बिजली देने का विचार है या नहीं ?

नोट—तारांकित प्रश्न ३४ श्री रामसुन्दर पांडेय ने पूछा।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मऊ पावर हाउस से जो बिजली दी जाने वाली है और इस वक्त तक जो विचार है वह मैंने बयान कर दिया है। इसमें जो चीज है वही है, इसके अलावा नहीं है।

रिहन्द बांध के निर्माण कार्य की प्रगति तथा उस पर व्यय

*३५--**श्री झारखंडे राय** (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रिहन्द बांध में कौन-कौन काम कितनी मात्रा में अब तक पूरा हो चुका है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--(१) डाम के बनने की जगह पर और मिर्जापुर में बस्ती बसाने के लिये भूमि हासिल की गई।

(२) जिस जगह डाम बननेवाला है वह पहाड़ी चट्टानों वाली और पथरीली है। इन चट्टानों में से जिन पर डाम की बुनियादें रक्खी जायंगी उनकी बाबत यह देखने को कि यह चट्टानें काफी पक्की बेऐब और डाम के बोझ को संभालने वाली हैं या नहीं, ड्रिलिंग के जरिये से तहकीकात बड़े पैमाने पर कर ली गई है; और इसकी तलाश कि वहां पर कंकरीटिंग जिसके लिये पत्थर की जरूरत होगी उसके लिये क्वेरी मौजूद है या नहीं, पूरे तौर पर की जा चुकी है।

(३) नक्शे व डिजाइन का काम पूरा किया जा चुका है।

(४) मिर्जापुर में मुस्तकिल इमारतें जिनकी जरूरत थी बनाई गई है।

(५) इस रकबे के लिये लोड सर्वे भी करली गई है।

(६) खुदाई का काम शुरू हो गया है और अब तक ५० लाख घनफुट मिट्टी की खुदाई का काम हो चुका है।

(७) पानी की जरूरत पूरी करने का इन्तजाम भी कर दिया गया है।

(८) राबर्ट्सगंज से डाम तक ५० मील लम्बी, २० फीट चौड़ी सड़क बनाने का काम हो रहा है। इसमें अब तक ३५ मील लम्बी व १२ फीट चौड़ी सड़क तैयार की जा चुकी है। सड़क पर छोटे पुल व पुलियां भी तैयार हो चुकी हैं। इससे बड़ी-बड़ी मशीनें डाम तक पहुंचाई जा सकेंगी।

(९) जंगल भी जो वहां थे और जिनका काटना बहुत जरूरी था, काट कर साफ कर दिये गये।

(१०) स्टाफ वगैरह के लिये गैर मुस्तकिल इमारतें भी बनाई गई हैं।

(११) रिहन्द बांध बनवाने के लिये डैनियल मैन जानसन मैन्डनहाल तथा कायर कम्पनी से एक मास्टर प्लान तैयार करवाया गया है।

(१२) चट्टानों की कटाई और बोरिंग और डाम बनाने का पूरा सामान इकट्ठा किया जा रहा है।

(१३) राबर्ट्सगंज तक अब रेल आ चुकी है और सीमेंट फैक्ट्री जिससे बांध बनाने के लिये सीमेंट मिलेगा अब चालू हो गई है। निर्माण कार्य अब शीघ्र ही चालू होने वाला है।

(१४) डाम पर लगाई जाने वाली मशीनरी मंगवाने का आवश्यक प्रबन्ध किया जा रहा है।

*३६--**श्री झारखंडेराय**--क्या सरकार बतायेगी कि रिहन्द बांध के निर्माण का कार्य किसी विदेशी फर्म को दिया गया है? अगर हां, तो किन शर्तों पर और किस कम्पनी को?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--अभी किसी को नहीं दिया गया, टेन्डर मांगे गये हैं।

*३७--**श्री झारखंडे राय**--क्या यह सही है कि रिहन्द बांध के निर्माण में किसी अमरीकन सलाहकार से भी कभी-कभी सलाह ली जाती है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी नहीं।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि रिहन्द बांध के सिलसिले में निर्माण का जो अब तक कार्य हो चुका है वह सीधे सरकार के प्रबन्ध के मातहत हुआ है या किसी कम्पनी के मातहत?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जितना काम हुआ है सरकार के डिपार्टमेंट के जरिये हुआ है। सारे प्लान का जो जिक्र है वह प्लान का काम उस कम्पनी का बनाया हुआ है जिसका नाम दिया गया है।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि सवाल ३५ के ११वें प्वाइन्ट पर जो जवाब दिया गया है उसमें जिस कम्पनी का जिक्र है वह देशी कम्पनी है या विदेशी? और उस मास्टर प्लान के बनाने में कितना खर्च हुआ है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--वह कम्पनी तो अमेरिका की मशहूर कम्पनी है और उस प्लान की तैयारी पर जो खर्चा हुआ होगा, नाट वेरी ऐक्जैक्ट (बिलकुल ठीक परिणाम तो मालूम नहीं) कोई ६ लाख रुपया होगा।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस मास्टर प्लान के बनाने के कार्य के लिये टेंडर मांगे गये थे या सीधे ही उस कम्पनी से इस बात का तकाजा किया गया था?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--इस काम के करने वाली और कोई कम्पनी नहीं है जिससे टेंडर मांगा जाता।

श्री राम सुभग वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अब तक उस बांध के बनाने में कितना व्यय हुआ है और यह काम कबतक पूरा हो जाने की संभावना है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--इन दोनों बातों के कई दफे जवाब दिये जा चुके हैं। ५० लाख रुपया उस वक्त तक खर्च हो चुका है जब चन्द महीने पहिले जवाब दिया गया था। काम पूरा होने के लिये बतलाया गया था कि ६ साल उस काम के शुरू होने के दिन से लगेंगे।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि राबर्ट्सगंज से रिहन्द डैम तक जो सड़क बनाई जा रही है उसका एस्टीमेट प्रति मील क्या है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--उस पर खर्च कोई ४५ लाख रुपया होगा।

श्री शिवकुमार शर्मा--अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न यह किया था कि प्रति मील क्या व्यय हुआ और माननीय मंत्री ने ४५ लाख रुपया कुल का बता दिया है तो मैं जानना चहता हूं कि प्रति मील क्या व्यय हुआ?

श्री अध्यक्ष--आपको पूरे मील बता दिये गये और पूरा खर्च बता दिया अब आप फ़ी मील का हिसाब लगा सकते हैं।

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या माननीय मंत्री जीबताने की कृपा करेंगे कि इस काम को आगे बढ़ाने के लिये कुछ डिवीजन और बनाये जा रहे हैं और अगर हां, तो कितने ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जितने काम के करने के लिहाज से इस वक्त डिवीजनों की जरूरत थी वह तो कायम हुये और शायद २ हैं और जितना काम बढ़ता जायगा उसके लिहाज से जितनी जरूरत महसूस होती जायगी, डिवीजन बढ़ाये जा सकेंगे।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--क्या सरकार इस काम में रशियन सलाहकारों से भी सलाह लेने की बात सोच रही है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मेरे ख्याल में अगर मेरे दोस्त जरूरी समझते हों तो चले जायं और आकर मुझको मशविरा दे दें।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि सवाल ३५ के १४वें प्वाइन्ट पर जो जवाब दिया गया है मशीन मंगाने के सिलसिले में तो यह मशीन किस देश से मंगाई जा रही है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मशीनरी अमेरिका में बन रही है।

*३८--**श्री द्वारका प्रसाद पांडेय** (जिला गोरखपुर)--[२० सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

जिला मिर्जापुर की मड़िहान तथा गोपालपुर माइनरों से सिंचाई तथा उन पर व्यय

*३९--**श्री राम स्वरूप** (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)--क्या सिंचाई मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि जिला मिर्जापुर की मड़िहान तथा गोपालपुर माइनर पर अलग अलग कितना व्यय हुआ ?

श्री राम मूर्ति--जिला मिर्जापुर में मडिहान माईनर नाम की कोई नहर नहीं है। किन्तु देवरा माईनर से मड़िहान ग्राम के आस पास के क्षेत्रों की सिंचाई होती है। इस पर तथा गोपालपुर माइनर पर अब तक निम्नलिखित रुपया व्यय हुआ है:-

देवरा माइनर .. ३०,५६४

गोपालपुर माइनर .. १,३०,६६५

*४०--**श्री राम स्वरूप** (अनुपस्थित)--प्रत्येक माइनर से कितने एकड़ भूमि की सिंचाई होगी ?

श्री राम मूर्ति--देवरा माइनर से ५४२ एकड़ और गोपालपुर माइनर से २,७५२ एकड़ भूमि की सिंचाई होगी।

श्री राम कृष्ण जैसवार (जिला मिर्जापुर)--क्या मंत्री जी को मालूम है कि इस गोपालपुर माइनर से केवल गोपालपुर फार्म की ही जमीन की सिंचाई होती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मुझे इसकी कोई सूचना नहीं है, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कि यह ६ मील ऊपर से जाती है, लिहाजा बीच के रास्ते की जमीन की सिंचाई जरूर होती होगी अगर माननीय सदस्य इसके डिटेल्स जानना चाहेंगे तो उनको दे दिये जायेंगे।

नोट--तारांकित प्रश्न ३९-४१ श्री राम कृष्ण जैसवार ने पूछे।

श्री राम कृष्ण जैसवार—क्या मंत्री जी को मालूम है कि इस देवरा माइनर से सींची जाने वाली जमीन बहुत बड़े काश्तकार की है और उनके कारण ही यह माईनर बनाया गया है ?

श्री राम मूर्ति—इस वक्त इसकी मेरे पास कोई सूचना नहीं है

*४१—**श्री राम स्वरूप** (अनुपस्थित)—[२८ सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

बिजौली, जिला आगरा में शराब की दूकान

*४२—**श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी**—क्या सरकार को पता है कि बिजौली जिला आगरा में शराब की दुकान खुली हुई है जो मैनपुरी जिले के prohibited area की सरहद से निकटतम रास्ते से ४ १।२ मील के अन्दर है ?

श्री सैयद अली जहीर—बिजौली (जिला आगरा) में शराब की एक दूकान है। लेकिन जहां तक सरकार को खबर है वह दुकान मैनपुरी जिले की सीमा से ५ मील से अधिक दूरी पर स्थित है।

श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह फासला सड़क के रास्ते जिस पर गाड़ी जा सकती है उससे है या सीधे पैदल के रास्ते से है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह माननीय सदस्य ज्यादा जानते होंगे। इतनी तो उम्मीद नहीं की जा सकती कि इतनी बारीकी वह बता सकें।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के पूछने का यही तात्पर्य है कि यह सीधे रास्ते से ५ मील के अन्दर है या नहीं। सरकार इसकी जांच करा ले।

श्री सैयद अली जहीर—यह तो मैं तफसील में नहीं बता सकता कि किस तरह से यह नापी गई थी।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—क्या सरकार अब इसकी जांच करायेगी कि यह सीधे रास्ते कितने फासले पर पड़ती है ?

श्री सैयद अली जहीर—अच्छी बात है अगर आप जानना चाहते हैं तो दर्याफ्त करके बता दिया जायगा।

सिंचाई के हेतु ली गयी पंपिंग मशीनों पर व्यय

*४३—**श्री रामलखन** (जिला बनारस) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रान्त में सरकार ने छोटी सिंचाई योजना के अन्दर अब तक कितनी पम्पिंग मशीनें किन किन कम्पनियों से खरीदी हैं तथा उसमें कुल कितना व्यय हुआ है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—पम्पिंग प्लान्ट योजना के अन्तर्गत कुल २२४ पम्पिंग मशीने ९,९६,०९४ रु० की खरीदी गईं। किस कम्पनी से कितनी मशीनें किस दाम पर खरीदी गईं इसका विवरण माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत तालिका में दिया है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १४१ पर)

*४४—**श्री राम लखन** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पम्पिंग मशीनों के संचालन में कुल कितना वार्षिक खर्चा पड़ता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--एक पम्पिंग मशीन चलाने का औसत वार्षिक व्यय ४,००० रू० अनुमान किया जाता है ।

*४५--**श्री रामलखन** (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त मशीनों से सिंचाई की क्या दर प्रति घंटा वह किसानों से लेती है और कुल कितना व्यय प्रति घंटा मशीनों के चलाने में सरकार को करना पड़ता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--प्रश्न संख्या ४३ के उत्तर में कथित योजना के अन्तर्गत एक पम्पिंग प्लान्ट से एक घंटा सिंचाई करने के लिये किसानों से २ १/२ रु० लिया जाता था जबकि उसे चलाने का औसत व्यय ४ रु० प्रति घंटा सरकार को करना पड़ता था । १ १/२ रु० प्रति घंटा राजसहायता के रूप में किसानों को छूट दी जाती थी । वह योजना इस वर्ष से बन्द कर दी गई है ।

इटावा जिले के ट्यूबवेलों से महंगी सिंचाई

*४६--**श्री गजेन्द्रसिंह** (जिला इटावा)--क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष प्रश्न-कर्त्ता ने इटावा जिले के ट्यूब वैलों के बारे में मंत्री महोदय से लिखित व मौखिक शिकायत की थी ?

श्री राम मूर्ति--इस सम्बंध में माननीय सदस्य की शिकायत प्राप्त हुई थी ।

*४७--**श्री गजेन्द्रसिंह**--क्या शिकायत के बारे में मंत्री महोदय ने कोई जांच करवाई?

श्री राम मूर्ति--जी हां ।

*४८--**श्री गजेन्द्र सिंह**--यदि हां, तो उस जांच का क्या नतीजा हुआ ?

श्री राम मूर्ति--माननीय सदस्य की मुख्य शिकायत थी कि इन नलकूपों को चलाने की लागत सहकारी समितियों की सामर्थ्य के बाहर थी । उन्होंने सुझाव दिया था कि या तो इन नलकूपों के चलाने की लागत कम कराई जाय अथवा सरकार इन्हें स्वयं ले ले । नलकूपों के चलाने की लागत उस सूरत में कम हो सकती है जब वे बिजली से चलाये जायें और उन्हें ज्यादा समय तक चलाकर ज्यादा पानी का सिंचाई के लिये इस्तेमाल किया जाय । चूंकि यह नलकूप एक दूसरे से काफी दूर हैं इसलिये उन्हें विद्युत शक्ति पहुंचाना कठिन है और उसका खर्च भी अधिक होगा । इन नलकूपों को सरकार द्वारा लेने का प्रश्न अभी विचाराधीन है ।

श्री गजेन्द्र सिंह--क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि इन ट्यूब वैल्स को ऐसे अमेरिकन इंजिन दिये गये हैं जिनके पार्ट्स यहां नहीं मिलते और जिनमें तेल ज्यादा लगता है और सिंचाई ज्यादा पड़ती है?

श्री राम मूर्ति--इनमें से केवल ४ इंजिन ऐसे हैं जिनके पार्ट्स हैदराबाद में मिलते हैं और उसके अलावा बाकी जो कूपर इंजिन हैं वे सब काम ठीक कर रहे हैं ।

श्री गजेन्द्र सिंह--क्या मंत्री महोदय इन चारों इंजिनों को जिनका नाम लौरीमर है, बदलने की बात सोच रही है और उनकी जगह एच० टी० सी० जापानी इंजिन देने को सोच रही है जो कम तेल खाते हैं?

श्री राम मूर्ति--अगर माननीय सदस्य का अनुरोध हो तो वे चारों इंजिन बदल दिये जायेंगे ।

श्री गेंदा सिंह--क्या माननीय सिंचाई मंत्री इटावा में ट्यूब वैल्स की असफलता को देखते हुये दूसरे स्थानों पर इस तरह की गड़बड़ न हो, इस बात का ध्यान रखेंगे ।

श्री कमलापति त्रिपाठी--गड़बड़ की तो कोई बात उसमें दिखाई नहीं देती । कोआपरेटिव ट्यूब वैल्स को जहां बिजली नहीं मिलती वहां सिंचाई मंहगी पड़ती है । और जगह जहां कोआपरेटिव ट्यूब वैल्स बने है और डीजल इंजिन से चल रहे हैं वहां सिंचाई मंहगी पड़ती है। कोई गड़बड़ी की और बात तो दिखाई नहीं पड़ती है ।

श्री गजेन्द्र सिंह--क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि इन ट्यूब वैल्स की सिंचाई मंहगी पड़ने के कारण किसान इनका पानी नहीं लेते हैं और ये ट्यूब वैल्स बेकार से पड़े हुये हैं ?

***श्री राम मूर्ति**--यह बात अपनी जगह पर सही है । जो इंजन डीजिल आयल से चलाये जाते हैं उनमें खर्च ज्यादा लगता है और सिंचाई मंहगी पड़ती है । यदि यह ट्यूब वैल्स एक हजार से ज्यादा घंटे तक चलाये जायें तो सिंचाई का दर सस्ता रहता है ।

श्री गजेन्द्र सिंह--क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन ट्यूब वेल्स को बने हुये ३ साल से ज्यादा हो चुका लेकिन अभी तक उसका हिसाब कोआपरेटिव सोसाइटी को नहीं दिया गया ?

श्री कमला पति त्रिपाठी--इसकी कोई सूचना नहीं है, लेकिन जो शिकायत आई थी वह यह थी कि सरकार इन ट्यूब वेल्स को ले ले क्योंकि इनका चलाना कोआपरेटिव सोसाइटीज के लिये मुश्किल हो रहा है । वह रेट वगैरह वसूल नहीं कर पाती है । उनका कहना यह था. कि गवर्नमेंट इन को ले लें और चलायें ।

श्री बलवन्त सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो सब्सीडी सरकार डेढ़ रुपया फी घंटा इटावा में किसानों को दे रही है, वह और जगह भी देगी ?

श्री राम मूर्ति--यह बात गलत है । इस कारण सब्सीडी का सवाल पैदा नहीं होता ।

श्री गजेन्द्र सिंह--क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ट्यूब वेल्स से कितनी जमीन सींची जानी चाहिये थी और कितनी सींची जा रही है

श्री राममूर्ति--इसके आंकड़े मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं हैं ।

हाई कोर्ट के जजों द्वारा अल्मोड़ा की अदालतों का निरीक्षण

*४९--**श्री भगवान सहाय**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछले तीन सालों में अल्मोड़ा की अदालतों का High court के जजों द्वारा कितनी बार निरीक्षण हुआ ?

श्री सैयद अली जहीर--पिछले तीन सालों में केवल एक बार अल्मोड़ा की अदालतों का हाई कोर्ट के जज द्वारा निरीक्षण हुआ ।

श्री भगवान सहाय--क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि किस सन् में अल्मोड़ा का इंस्पेक्शन हुआ ?

श्री सैयद अली जहीर--इत्तला इस वक्त मेरे पास नहीं है ।

---

* ३ सितम्बर, १९५४ को कार्यवाही में माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार संशोधित ।

श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने कोई ऐसी अवधि निश्चित की है कि इतने दिनों के अन्दर हाई कोर्ट किसी अदालत का मुआयना करे ?

श्री सैयद अली जहीर—हाई कोर्ट के लिये कोई इस किस्म का रूल नहीं है ।

जौनपुर की दीवानी तथा कलेक्ट्री कचहरी को एक जगह करने का प्रस्ताव

*५०—**श्री बाबू नन्दन** (जिला जौनपुर)—क्या सरकार जौनपुर जिले की दीवानी तथा कचेहरी को जनता की सुविधा के हेतु एक जगह करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं । ऐसा कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

*५१—**श्री बाबू नन्दन**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर बार ऐसोसियेशन की तरफ से उपरोक्त बात के लिये कोई प्रस्ताव सरकार के पास आया था ?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं ।

श्री बाबू नन्दन—क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले के कुछ सदस्यों ने इस प्रश्न को लेकर माननीय मंत्री जी से उचित व्यवस्था करने के लिये कहा था ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, मुझे याद पड़ता है । जब मैं जौनपुर गया था तो कुछ लोगों ने इसका जिक्र मुझ से किया था ।

श्री बाबू नन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उस समय माननीय मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया था ?

श्री सैयद अली जहीर—उस वक्त मैंने यही कहा था कि यह सवाल मेरे डिपार्टमेन्ट के मुताल्लिक नहीं है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुताल्लिक है, उनकी तवज्जुह में दिलाऊंगा ।

श्री राम नरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर में दीवानी और कलेक्टरी कचहरी में कितना फासला है ?

श्री सैयद अली जहीर—हां, कोई तकरीबन आधे मील का फासला है ।

श्री राम नरेश शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि जौनपुर में इक्कों की हालत बहुत खराब है, इसको देखते हुये वह दोनों अदालतों को एक जगह बना देंगे ?

श्री सैयद अली जहीर—इसका कोई ताल्लुक इस सवाल से तो नहीं है कि वहां इक्कों की हालत कैसी है ।

*५२-५४—**श्री नेक राम शर्मा**—[१३ सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये ।]

---

२३ अगस्त, १९५४ को दर्शक दीर्घा में मचाये गये उपद्रव की जांच करने के लिए जांच समिति की नियुक्ति

श्री अध्यक्ष—मैं एक सूचना सदन को देना चाहता हूं । यहाँ यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था कि एक समिति बनायी जाय इस बारे में विचार करने के लिये कि यहां कुछ दर्शकों ने जो शोर किया, उसकी वह जांच बात में करे कि वह किस तरह से हुआ और दूसरे, जो पासेज दर्शकों

[श्री अध्यक्ष]

को दिये जाते हैं, उसकी जो प्रथा है, उसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता है या नहीं और परिवर्तन होना चाहिये तो किस तरह से होना चाहिये, इन बातों के विचार के लिये एक समिति बनाने का आदेश दिया था। मैं निम्न सदस्यों की समिति बनाना निश्चित करता हूं।

१--श्री मंगला प्रसाद
२--श्री बनारसी दास
३--श्री कैलाश प्रकाश
४--श्री नवल किशोर
५--श्री महावीर प्रसाद शुक्ल
६--श्री मलखान सिंह और
७--राजा वीरेंद्र शाह

इसके संयोजक तथा सभापति श्री मंगला प्रसाद जी होंगे। यह समिति, मैं आशा करता हूं कि करीब १५ रोज का समय उसके लिये काफी होगा, १५ रोज के अन्दर अपनी रिपोर्ट दें। अब ऐसी आवश्यकता नहीं है कि दो ही चार दिन के अन्दर रिपोर्ट दे।

श्री राजनारायण द्वारा प्रेस में दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में श्री ब्रजभूषण मिश्र द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष की व्यवस्था

श्री अध्यक्ष--एक मेरे पास श्री ब्रजभूषण जी ने पत्र भेजा और यहां भी यह प्रश्न पेश हुआ था, उसमें उन्होंने यह पूछा था कि श्री राजनारायण ने एक प्रेस में वक्तव्य दिया था कि इस तरह का दर्शकों द्वारा अपनी भावनाओं को आवाज के साथ प्रकट करना एक स्वाभाविक सा है और यह कोई अनुचित वह नहीं समझते हैं। इस बारे में वह यह प्रश्न उठाना चाहते थे कि जब मैंने इस विषय में अपनी राय जाहिर कर दी तो उसके बाद उनके इस वक्तव्य से क्या सदन का अपमान हुआ? और भी बहुत से सदस्यों ने यह कहा कि राजनारायण जी ने इस प्रकार की राय देकर और उसे प्रकाशित करा कर सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना की है, क्या यह प्रश्न उन्होंने मुझसे पूछा?।

इससे पेश्तर कि मैं अपनी राय इसके ऊपर देता, पहले यह प्रश्न था कि उन्होंने क्या यह बात कही थी या नहीं? मैंने उनको एक पत्र लिख कर भेजा है। मेरे पास वह एक दफा आये भी थे और उन्होंने सरसरी तौर पर, कि क्या बात उनकी प्रेस के प्रतिनिधियों से हुई, उसका जिक्र किया। मैंने उनसे कहा कि आप मेरे पत्र का लिखित उत्तर दीजिये। अभी तक वह प्राप्त नहीं हुआ। इसलिये मैं उचित समझता हूं कि चूंकि यह जांच समिति बैठी हुई है और वह सभी उस दिन के जितने मसले हैं उन पर विचार करेगी। तो इस सिलसिले में इस बात की वह अपस में सफाई कर लें और अगर यह वाक्या है, यह मुझे कोई बतादे, या समिति बता दे, तब मैं यह कह सकूंगा कि इसमें कोई विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है। लेकिन पहले तो यह मालूम हो कि उन्होंने ऐसी कोई बात कही भी है या नहीं, या ऐसा वक्तव्य दिया है या नहीं। इस विषय में उनकी ओर से कोई वक्तव्य मुझे स्पष्ट रूप से मिला नहीं, इसलिये मैं इस प्रश्न को अभी उठाने के लिये माननीय सदस्य को इजाजत नहीं दूंगा। इस समिति के सामने वह पत्र मैं भेजता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--मैं दो बातें जानना चाहता हूं। श्रीमन्, पहली बात तो यह है कि माननीय ब्रजभूषण मिश्र जी ने क्या अर्ज [illegible] अपार्चुनिटी में अपना पत्र भेजा था? और दूसरी बात यह है कि.....

श्री अध्यक्ष--जब मैंने इजाजत ही नहीं दी है इस प्रकार का प्रश्न उठान के लिये तो यह प्रश्न उठता हीं नहीं। अभी तो यह भी शंका है कि वह वाक्या हुआ या नहीं। तो जब वाकयात के बारे में ही शंका हो तो उसके बारे में कोई प्रश्न उठाना मैं समझता हूं अबैध होगा और सदन का समय नष्ट होगा।

सार्जेन्ट ऐट आर्म्स की नियुक्ति तथा विधान सभा प्रक्रिया नियमावली के संशोधन का प्रश्न

श्री नारायणदत्त तिवारी--दूसरी बात यह है कि आपने अपनी व्यवस्था देते हुये यह कहा था कि सारजेंट ऐट आर्म्स वगैरा की नियुक्ति के विषय में भी यह समिति विचार कर सकती है। तो क्या इस विषय में आप अपनी व्यवस्था देने की कृपा करेंगे कि सारजेंट ऐट आर्म्स की व्यवस्था या पुलिस की और सी० आई० डी० की व्यवस्था, जो सदन के चारों तरफ घेर घार रहती है, इसको दूर करने के लिये और सदन की अपनी आन्तरिक व्यवस्था होने के लिये भी आप निर्देश करेंगे।

श्री अध्यक्ष--उस दिन के निश्चय में यह था कि समिति के सामने यह प्रश्न नहीं आयेगा बल्कि इसके ऊपर अलाहिदा से विचार किया जायगा। यह उस रोज अंतिम निर्णय हुआ था, क्योंकि गृह मंत्री जी ने इस विषय पर उस वक्त आपत्ति की थी कि इस समिति के सामने यह प्रश्न नहीं जाना चाहिये बल्कि इस पर अलग से विचार होना चाहिये। तो मैंने यह राय लेकर अन्त में यह तय किया था कि इस विषय पर फिर से विचार अलग तौर से करने का कोई तरीका हम निकाल लेंगे और मैं समझता हूं कि वह तरीका यही ठीक होगा कि मैं स्वयं उसको, सदन की चूंकि इच्छा प्रगट हो चुकी है, इसलिये उस प्रश्न को पेश कर दूं और सभी पार्टियों से इस बारे में चर्चा पहले कर लूं कि किस तरह से इसके ऊपर विचार हो सकता है, तभी उस प्रश्न को मैं समझता हूं उस समय लेना उचित होगा। अगर केवल व्यवस्था का प्रश्न है तो शायद सरकार के और मेरे बीच में ही यह बातचीत होकर इसका निर्णय हो सके।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं इस संबंध में एक सुझाव देना चाहता हूं कि हमारे इस आदरणीय सदन के जो नियम हैं वह इस नये हाउस की परिपाटी के अनुसार नहीं हैं। नये चुनावों के बाद इस हाउस के माननीय सदस्यों की संख्या भी बहुत बढ गई है और अनेक बार आपको स्वयं महसूस हुआ होगा कि न केवल विशेषाधिकार के या सारजेंट ऐट आर्म्स के प्रश्न पर बल्कि विवाद के समय भी और प्रश्नों के समय भी आपको कई बार दिक्कत उठानी पड़ी है। तो मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि इन नियमों को दुबारा जांच करने के लिये और जहां आवश्यकता पड़े वहां इनको बदल करके सही तरीके से एक नयी नियमावली बनाने के लिये, अगर आप कोई समिति नियुक्त कर दें तो मैं समझता हूं वह उपयुक्त होगा।

श्री अध्यक्ष--इसके संबंध में मैं समझता हूं कि यह प्रश्न केशव गुप्त जी ने सत्रावसान के पेश्तर उठाया था। चूंकि सत्रावसान हो जाने की वजह से उस समय इसके ऊपर कोई समिति नहीं बन सकी थी तो यह तय हुआ था कि जब फिर सत्र शुरू हो तो कोई समिति इसके लिये बनाने पर विचार करेंगे। लेकिन मैंने यह भी कहा था कि नियमों में परिवर्तन होने के लिये नियम स्वयं बने हुये हैं कि परिवर्तन कराना हो तो किस तरह से परिवर्तन हो सकता है। मैं समझता हूं कि उस नियम के अनुसार ही यह प्रश्न यहां पर उपस्थित किया जाता है। माननीय सदस्य उस नियम को पढ़ लें और नियम में दिये हुये तरीके से उसको उपस्थित कर दें तो मैं समझता हूं कि यह आसान होगा कि हम इस सदन के द्वारा कोई समिति बना सकेंगे क्योंकि आमतौर पर इसमें एक मत है कि परिवर्तन कुछ न कुछ होना ही चाहिये और संशोधन के संबंध में विचार के लिये कोई समिति भी बनाना चाहिये।

श्री राजनारायण द्वारा प्रेस में दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में परिप्रश्न

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय क्षमा हो, मेरे तईं यह स्पष्ट नहीं हुआ कि आपने श्री राजनारायण को जो पत्र लिखा था उसका उत्तर उन्होंने दिया या नहीं दिया और आपने उन्हें कब लिखा था ?

श्री अध्यक्ष---नहीं उत्तर नहीं दिया। वैसे कुछ थोड़ी सी बातचीत उनसे मेरी हुई थी।

श्री ब्रजभूषण मिश्र---कब आपने लिखा था ?

श्री अध्यक्ष---उसको तो ५, ६ रोज हो चुके हैं।

श्री गेंदासिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय ब्रजभूषण जी का जो पत्र है वह जहां तक मैंने समझा है, बिलकुल नियम के प्रतिकूल है। फिर उस पत्र को चाहे एक कमेटी, जो आपने बनायी है उस कमेटी के सामने भी रखना मैं उचित नहीं समझता हूं।

श्री अध्यक्ष---निर्णय के बाद आप ऐसा नहीं कर सकते। अभी-अभी मैंने बताया था आप शायद मौजूद नहीं थे। यह उन्होंने बहुत दिन पहले प्रश्न उठाया था उनके वक्तव्य के संबंध में। यहां भी यह प्रश्न वह उठा सकते थे। मैंने यही जिक्र किया था कि मैंने राजनारायण जी को पत्र लिख दिया है कि ऐसा-ऐसा कहा जाता है और उसने पूछा है कि आपने यह वक्तव्य दिया या नहीं। उसके पश्चात् आज मिश्र जी ने मुझसे तकाजा किया तो मैंने यह उचित समझा कि उनके पत्र लिखने के बाद क्या हुआ यह मैं सदन को बता दूं कि किन कारणों से मैं निर्णय देने से रुक रहा हूं। तो वह मैंने बताया है मैं यह समझता था कि कमेटी भी कोई खास इस विषय में इन्क्वायरी करने वाली नहीं है क्योंकि कोई ऐसी महत्व की बात नहीं है जब तक समिति रिपोर्ट देगी तब तक जवाब भी श्री राजनारायण जी का मेरे पास आ सकता है। इसलिये मैं आज इस प्रश्न को लेना नहीं चाहता हूं। केवल सूचना के लिये मैंने यह बात कही है।

श्री ब्रजभूषण मिश्र---अध्यक्ष महोदय .....

श्री अध्यक्ष---अब कोई प्रश्नोत्तर का समय नहीं है। मैं उस प्रश्न को समाप्त करता हूं।

राज्य के विभिन्न भागों में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विवाद के लिये समय निर्धारण

श्री नारायण दत्त तिवारी---श्रीमन्, एक दूसरा प्रश्न है, बाढ़ के ऊपर बहस के संबंध में जानना चाहता था क्योंकि वह बड़े महत्व का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष---(माननीय सिंचाई मंत्री से) माननीय मुख्य मंत्री ने कहा था कि अगले हफ्ते में इस पर विचार हो जाय। अगर आप किसी निश्चय पर पहुंच गये हों और कोई दिन निश्चित किया हो तो बता दीजिये।

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---किसी दिन कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---शाम तक, विचार कर के आप बता दीजिये।

श्री नारायण दत्त तिवारी——श्रीमन्, अगर कल हो जाय तो बड़ा अच्छा है।

श्री अध्यक्ष——आपका सुझाव सामने आ गया। अगर कोई आपत्ति न होगी तो कल हो जायगा।

*उत्तर प्रदेश कृषिआयकर (संशोधन) विधेयक, १९५४

†खंड ४ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष——अब उत्तर प्रदेश कृषि आयकर (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार जारी होगा।

श्री राजनारायण जी कल भाषण दे रहे थे। चूंकि वह आज नहीं हैं इसलिये उनका भाषण समाप्त समझा जाय। उसके बाद जो कोई बोलना चाहें बोल सकते हैं।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)——माननीय अध्यक्ष महोदय जो संशोधन अवधेश प्रताप सिंह जी ने भवन के सामने रखा है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, इस संशोधन द्वारा यह सरकार से प्रार्थना की गयी है कि जो मल्टपिल साढे बारह गुना का रखा गया था वह किस स्थिति में रखा गया था उसको आजकी स्थिति में देखते हुये यह संशोधन रखा गया है। सरकार को चाहिये कि उसको समझ कर साढे सात गुना मान ले। इसमें हमारे मित्र ने बहुत सी बातें बतला दीं जिनको मैं दोहराना नहीं चाहता। मैं यहां एक बात बतलाना चाहता हूं कि यह जो सरकार कृषि आयकर का संशोधन लायी है उसमें एक मुख्य चीज यह लायी है कि जितने छोटे-छोटे हमारे किसान भाई हैं उनके साथ बहुत कुछ रिआयत की है, जिसके लिये हम उनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन साथ साथ इसमें यह भी है कि जो बड़े-बड़े फार्म होल्डर्स है, या जिनके पास अधिक जमीन है उनके ऊपर रेट बढा दिया है। इस वक्त प्रश्न यह है कि जब सरकार ने उनके ऊपर रेट बढा कर मैं कहूंगा कि मैक्सिमम कर दिया है तो फिर सरकार को यह सोचना चाहिए कि मल्टिपिल का साढ़े सात गुना होना जरूरी है। मैंने सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में जो नोट आफ डिसेंट लिखा है जिन मेम्बरों ने इसको पढ़ा होगा तो उन्होंने देखा होगा कि मैंने उसमें यह बतलाया है कि आज जो बड़े फार्म होल्डर्स है उन पर सरकार जो कर लगाने जा रही है उनके ऊपर इतना अधिक दबाव पड़ रहा है कि अगर यह मल्टिपिल नहीं बदला गया तो वह देने के लायक नहीं रहेगा। श्रीमन् मैं आपके जरिये से, इस भवन के माननीय सदस्यों और सरकार से यह बतलाना चाहता हूं कि यह सरकार यह अवश्य निश्चय कर ले कि किसानों या फार्महोल्डर्स की आमदनी को किस हद तक कैपिटलिस्टिक नहीं मानते। इंटरमीडियरी जमींदार तो रहे नहीं। तो अब किसान जो अपनी गाढी कमाई कमाता है, उनकी कितनी आमदनी के ऊपर आप कपिटलिस्टिक आमदनी मानते हैं। जितने भाई यहां बैठे हैं उनको यह यह तय कर लेना चाहिये।

जब तक आप श्रीमन् यह निर्धारित न करेंगे और बिना जांच किये हुये इतना कर सरकार लगाने जा रही है उस समय तक समस्या का हल नहीं हो सकता। जिस वक्त भारत वर्ष पर अन्न संकट था उस समय इन्हीं फार्म होल्डर्स ने देश की सेवा की थी। आज आप भले ही कह ले कि बटवारा होना चाहिये तीस एकड़ से ज्यादा न होना चाहिये उस समय हजारों

---

*प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक २३ अगस्त, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

†३० अगस्त, १९५४ की कर्यवाही में छपा है।

[राजा वीरेन्द्र शाह]

एकड़ भूमि जो कृषि के योग्य नहीं थी उसे कृषि के योग बनाया। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर आफ इंडिया हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्होंने माना है कि अगर इस तरह से फार्म्स बनेंगे तो उनसे देश की उन्नति होगी, अन्न का उत्पादन बढ़ेगा। अगर सरकार इस वक्त मल्टिपिल को कम करने के लिये तैयार नहीं है तो एक इंक्वायरी बैठा दी जाय। जो एसेसिंग अथारिटी होती है वे सरकार की आमदनी बढ़ाने के लिये इतना बढ़ा-चढ़ा कर आमदनी लगाते हैं जिसकी वजह से रेट ज्यादा लगाया जा रहा है। अगर जांच न कराई जायगी तो जो फार्म्स अन्न का उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं उसमें कमी आ जायगी। मैं यह नहीं कहता कि बटवारा न किया जाय लेकिन अभी वह समय नहीं आया है। अभी वह जमीन इस लायकनहीं हुई है। अभी दस-पांच साल तक उन्हीं को मौका दिया जाय जिससे वे उस जमीन कोऐसा बना दें कि अगर बाद में सरकार उसका बटवारा करे तो उसका उत्पादन घटे नहीं और ऐसा न हो कि कहीं वह फिर ऊसर का ऊसर हो जाय।

मैं विरोधी दल के नेता जी से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से वह चाहते हैं कि छोटे किसानों को रिआयत मिले लेकिन बड़े किसानों पर कर बढ़े तो कोई हर्ज नहीं यह नीति उनकी कुछ समझ में नहीं आई। अगर उनकी सरकार होती तब तो ठीक था। बड़े किसान भी इसी प्रांत के रहने वाले हैं और जो ज्यादा कर लगाया जायगा उससे फायदा सरकार को ही होगा। जहां मुकाबला सरकार का हो वहां तो उन्हें किसानों को ही लाभ पहुंचाना चाहिये चाहे वे बड़े हों या छोटे हों। जिस समय साढे ७ गुना से साढे १२ गुना मल्टिपिल किया गया उस समय क्या हालत थी यह हमको देखना है। गल्ले की क्या हालत थी। आज की हालत का अगर उस हालत से मुकाबला किया जाय तो हमें मालूम होगा कि उस वक्त १६–१८ रुपये मन गेहूं का भाव था जिसकी बिना पर मल्टिपिल साढे १२ गुना किया गया था और आज गेहूं का भाव ११ रु० मन है और इस बिना पर हमारा जो साढे ७ गुना मल्टिपिल का संशोधन है उसे मान लेना चाहिये। दूसरी चीज यह है कि आज हरचीज तेज है सिर्फ गल्ले का भाव हो जाने से हमारे कृषि की आमदनी बहुत कम ह हो जायगी। आपने जो यह कर बढ़ाया है उससे खर्चा और भी बढ जायगा। जहां पहले जब यह टैक्स था तो उसके जरिये से ५५ हजार रुपये पर १० आना सरकार खर्चा लेती थी और आज ३५ हजार पर वही १० आना खर्चा लेगी। जब टैक्स की मात्रा इतनी बढ़ गयी और उसके मल्टीपिल को आप कम नहीं करेंगे तो फिर कोई आमदनी टैक्स नहीं दे सकता या उसका नतीजा यह होगा कि करेप्शन होगा और बीच का आदमी अपना फायदा उठाने की कोशिश करेगा और परेशानी होगी। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप बतलायें कि गवर्नमेंट के जितने फार्म हैं वह कितने घाटे पर आज कल चल रहे हैं या उनको कितना औसत आकर पड़ता है। और उसी आमदनी के औसत के हिसाब से हमारी आमदनी लगायें। इन सब बातों को देखते हुये १२॥ परसेंट जो रखा गया है वह मैक्सीमम रखा गया है और ७॥ परसेंट कम से कम है। अब समय आ गया है कि जिसकी वजह से सरकार को इस पर विचार करना चाहिये। जब कि इतना घाटा है तब आप इतना टैक्स बढ़ा रहे हैं। अनाज का भाव कभी बढ़ेगा और कभी घटेगा जिसकी वजह से आपको हर साल इस पर विचार करना पड़ेगा। आपके जरिये से सरकार पर मैं यह जोर देना चाहता हूं कि गल्ले का भाव देखते हुये और मौजूदा स्थिति को देखते हुये सरकार के लिये यह उचित है और इस कानून के अन्दर उनको अधिकार भी है कि वह गल्ले का भाव देखकर ७॥ परसेंट की बात मानलें। आज हमारे संशोधन को वह न मानें लेकिन अगर कम से कम सरकार इस भवन में यह आश्वासन दे कि हम गल्ले का भाव देखकर यह ७॥ या १० या १२॥ मल्टीपिल की बात तय करेंगे तो फिर मैं यह समझता हूं कि इस संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। यह न्यायसंगत बात है और सरकार को इस पर विचार करना चाहिये क्योंकि गल्ले का भाव घटा हुआ है। सरकार को मेरी बात ७॥ की मान लेना चाहिये और जब गल्ले का भाव बढ़े तो आप आर्डर से इसको बदल सकते हैं। अगर १२॥ रखना जरूरी

हो तो इतना ही रखा जाय और जब गल्ले का भाव घटे तो जरूरी नहीं है कि इतना ही रखा जाय। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी हमारे इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

*श्री राम नरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राजा साहब ने यह फरमाया कि माननीय गेंदा सिंह जी चाहते हैं कि भूमि का बटवारा हो। मैंने बड़े ध्यान से माननीय नेता विरोधी दल को बड़ी देर तक इस संशोधन के विषय में सुना और कई बार प्रयत्न किया कि वह किसी तरीके से साफ तौर पर कह दें कि आया वह इस संशोधन के पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं। लेकिन जैसी उनकी नीति आजकल चल रही है उसी प्रकार से उनके सारे रास्ते कंफ्यूज से हैं और किसी चीज पर सफाई के समर्थन करना या विरोध करना उनके मान की बात नहीं मालूम होती।

जहां तक इस संशोधन का सम्बन्ध है राजा साहब चाहे उसका समर्थन करें, चाहे उसका विरोध करें। उससे इधर के बैठने वाले यह समझते हैं कि उससे कोई मतलब सिद्ध नहीं होता है। यह ७॥ या १२॥ फीसदी की जो बात है इससे यह मुमकिन हो सकता है कि कुछ बड़ी जोत वालों को कुछ तकलीफ हो, लेकिन इस प्रश्न पर विचार किया जाय और जैसा राजा साहब ने महंगाई और सस्ते का प्रश्न यहां पर पेश किया जहां तक मैं समझता हूं महंगाई और सस्ते का विचार सदा करना चाहिये और कर के वसूल करने में सरकार सदा इसका विचार करती है लेकिन १२॥ फीसदी मल्टीपिल जो रखा गया है उसके अन्दर एक बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है और वह यह है, मैं चाहता हूं कि सदन के सामने सफाई के साथ उसको रख दिया जाय; जहां तक भारतवर्ष का सम्बन्ध है इन परिस्थितियों में बड़ी जोत वालों के लिये कोई स्थान नहीं है। इस सरकार के रास्ते को देख कर और उसके नये नये कानूनों को समझने के बाद या उनके काम करने का ढंग जो पहिचानता है वह इस नतीजे पर आता है और मैं भी उन आदमियों में से एक हूं और मैं समझता हूं कि अब बड़ी जोतों को उत्साहित नहीं करना चाहिये तथा यह देश के कल्याण के लिये भी उचित नहीं है। लेकिन परिस्थिति जरूर ऐसी पैदा हो जानी चाहिये कि इस देश के अन्दर बड़ी जोतों का करना असम्भव हो जाय। अध्यक्ष महोदय, यह बात समझ में नहीं आती कि देश के अन्दर हजारों, लाखों आदमी बिना जमीन के रहें और थोड़े से आदमी बड़ी-बड़ी जोतों को अपने पास रख कर फिर जब कानून आवे तो घटा कर कुछ फायदा उठाने की बातें करें। साढ़े १२ जो मल्टिपुल रखा गया है उसके पीछे एक और बात है। जहां तक माननीय वीरेन्द्रशाह जी ने यह प्रश्न उठाया कि यह तय हो जाना चाहिये कि कैपिटल क्या होनी चाहिये यानी पूंजी ज्यादा से ज्यादा क्या होनी चाहिये।

जहां तक भूमि का सम्बन्ध है यह आज नहीं बल्कि आज से कई वर्ष पूर्व तय हो चुका है कि इस देश के अन्दर ज्यादा से ज्यादा कोई भी आदमी ३० एकड़ तक जमीन रख सकता है, उसकी एक संख्या अपनी जगह पर नियत हो चुकी है। जहां तक छोटी जोतों का सम्बन्ध है उसके लिये कोई चीज उसमें ऐसी नहीं है इसलिये छोटी जोतों की कोई मियाद नहीं रखी गयी है। जहां तक बड़ी जोतों का सम्बन्ध है वह तो ज्यादा से ज्यादा भविष्य के लिये ३० एकड़ रख दिया गया है। कुछ ऐसी परिस्थिति पैदा हो सकती है कि लोग कर न दें और उसमें फायदा न समझ कर जमीनों को छोड़ना पसन्द करें और वह घट कर ३० एकड़ तक पहुंच जावे। मैं समझता हूं कि इसके साथ-साथ एक और दिक्कत है। ३० एकड़ तक तो कोई कर भी नहीं लगाया जायगा। जहां तक ३० एकड़ की बात है जैसा कि माननीय मौर्य जी ने कहा है कि उसके बारे में तो हम हिसाब किताब देखने के लिये भी तैयार नहीं हैं। चाहे कोई कम पैदा करे, चाहे ज्यादा पैदा करे। उसका कोई हिसाब-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम नरेश शुक्ल]

किताब भी नहीं बनाया जायेगा। लेकिन ३० एकड़ के सम्बन्ध में माननीय राजनारायण जी को समझ में उन्हीं के शब्दों में कुछ बुद्धि विभ्रम हो गया जो उन्होंने कहा कि साढ़े १२ और ३० का क्या तारतम्य है। अगर वे गणित के विद्यार्थी हों, नहीं तो वे अपने साथियों से पूछें तो मालूम होगा कि ३० एकड़ से ४२०० का सही तारतम्य है। तो इसलिये यह जो साढ़े १२ गुणांक रखा गया है यह बहुत सोच समझ कर रखा गया है। मैं समझता हूं कि इससे तीनों का तारतम्य बनता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन से यह प्रार्थना करूंगा कि अब बड़े जोतों का समय चला गया और ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाय कि इस देश से जितनी जल्दी ही चला जाय उतना ही अच्छा है। ३० एकड़ की तो लिमिट है। ऐसी परिस्थिति पैदा होनी चाहिये जिससे लोग बड़ी-बड़ी जोतों को छोड़ कर चले जावें लेकिन हमारी सरकार इस प्रदेश में अहिंसा के द्वारा ही इस चीज का प्रयोग करना चाहती है। हम हिंसा के द्वारा किसी की कोई चीज नहीं लेना चाहते हैं। इसलिये कि यह छीना झपटी भूमि बटवारे की हमारी तरफ नहीं है, दूसरी तरफ ही है। चूंकि इसमें ऐसी गुंजायश है कि आगे चल कर कभी गल्ला वगैरह सस्ता हो तो दिक्कत आये। इसलिये राजा साहब इसका विरोध कर रहे हैं। वे ऐसी परिस्थिति में सरकार से कह सकते हैं कि साढ़े १२ की जगह साढ़े ७ ही हो, अगर ऐसी परिस्थिति पैदा हो। इसलिये आपके द्वारा मेरी प्रार्थना है कि यह साढ़े १२ का गुणांक अवश्य रखा जाय और मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय वीरेन्द्र शाह जी के व्याख्यान को सुना जो कि उन्होंने साढ़े ७ गुणांक के पक्ष में दिया। उन्होंने अपने भाषण में कुछ इस प्रकार के विचार प्रकट किये कि जिससे मुझ जैसे आदमी ने यह समझा कि वे शायद ऐसी बात कहने जा रहे हैं कि हमारे देश में जिन लोगों ने बड़े-बड़े फार्म्स बनाये हैं उनका हमारे देश को और हमारे समाज को कृतज्ञ होना चाहिये और अपने पक्ष की मजबूती के लिये उन्होंने हमारे माननीय प्रधान मंत्री महोदय की भी आड़ ली कि वह भी बड़े फार्मों को हतोत्साहित करने की बात नहीं करते बल्कि उन्होंने हमारे यहां पिछले समय में 'अधिक अन्न उपजाओ' योजना के अन्तर्गत, जिन लोगों ने समाज की सेवा की है उनकी सराहना भी की है। मैं माननीय वीरेन्द्र शाह जी की इस बात से सहमत नहीं हूं और वह इसलिये कि एक समय था कि जब सरकार के 'अधिक अन्न उपजाओ, आन्दोलन के अन्तर्गत लोगों को सेवा करने का अवसर मिला था। उन्होंने उसका दुरुपयोग केवल सार्वजनिक भूमियों को ही तोड़ने में नहीं बल्कि उसकी आड़ में जनता अथवा सरकार के रुपये को भी अपने इस्तेमाल में लाकर देश का अहित ही किया। सरकार के खजाने से उस स्कीम की आड़ में रुपया लेकर इस्तेमाल किया, कुछ तो ट्रैक्टरों के नाम से, कुछ सिंचाई के साधनों की उन्नति करने के नाम से और इसके अलावा अन्य साधनों से उन्होंने समाज की निधि से बहुत सा धन अपने काम में लिया। मैं माननीय वीरेन्द्र शाह जी से पूछना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को समाज का कृतज्ञ होना चाहिये कि जो उसकी एक बड़ी निधि को वह अपने काम में लाये और उसे इस्तेमाल किया। मैं समझता हूं कि इस 'अधिक अन्न उपजाओ' योजना के अन्तर्गत अथवा उसकी आड़ में बड़े-बड़े फार्मों के मालिकों ने हमारे समाज को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया और मेरा जाती अनुभव है, श्री वीरेन्द्र शाह जी मानें या न मानें कि उस सार्वजनिक हित की योजना के नाम पर अथवा उसकी आड़ में अनेक सार्वजनिक भूमियां तोड़ी गई हैं और उन भूमियों से जिस तरह से गरीब लोगों को निकाला गया है मनुष्य को मनुष्य न समझ कर उनके साथ अनेक अत्याचार किये गये हैं और अपने फार्म बनाने के लिये उनको बरबाद किया गया है इसके कहने से तो क्या सुनने से नजर नीची होती है। आज समाज की यह मांग है कि भूमि का वितरण

होना चाहिये, भले ही थोड़े से लोग उससे सहमत न हों, लेकिन वास्तव में आज समाज यह मांग कर रहा है कि भूमि का वितरण शीघ्र से शीघ्र होना चाहिये। फिर मैं नहीं समझता कि आज इस बात की गुंजाइश कहां रह जाती है कि बड़े फार्मों को प्रोत्साहन दिया जाय या ऐसी नीति अपनाई जाय जिससे बड़े फार्म यहां पनपें। इसके पक्ष में माननीय वीरेन्द्रशाह जी ने एक उदाहरण हमारे राजकीय कृषि फार्मों का दिया कि वह घाटे पर चल रहे हैं। इसको मैं मानता हूं लेकिन साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि उनको वह जानना चाहिये कि यह राजकीय कृषि फार्म किसी आय के लिये नहीं चलाये जा रहे हैं बल्कि वे तो कृषि सम्बन्धी नयी खोज करने के लिये अथवा कुछ अनुभव प्राप्त करने के लिये चलाए जा रहे हैं किस तरह से हमारे देश में बीजों की उन्नति हो सकती है और किस प्रकार से यहां की पैदावार बढ़ सकती है, इस काम के लिये ही यह राजकीय कृषि फार्म चलाये जा रहे हैं। उनमें किसी लाभ या हानि का प्रश्न नहीं है। इसलिये उनकी यह दलील बड़ी कमजोर है कि चूंकि वह नुकसान पर चल रहे हैं इसलिये हमारे प्राइवेट फार्म भी नुकसान पर ही चल रहे हैं। अगर उनकी यह बात मान भी ली जाय तब भी फार्म चलाने वाले तो अधिकतर पढ़े लिखे लोग ही होते हैं और वह अपने धन का सदुपयोग ही करते हैं और उसका अच्छे से अच्छा हिसाब भी रखते हैं इसलिये यह नहीं माना जा सकता कि कोई भी फार्म वाला अपने खर्च का हिसाब न रखता हो। जब कि वे लोग अपने घरों में एक-एक पैसे का हिसाब रखते हों। अगर वह लोग समझते हों कि उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगा दिया गया है तो वे अपना हिसाब-किताब पेश कर सकते हैं और नोटिस मिलने पर उज्रदारी कर सकते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि उन्होंने साढ़े सात प्रतिशत गुणांक के पक्ष में जो २ दलीलें दीं वे दोनों ही कमजोर हैं और उन्होंने कोई बात ऐसी नहीं कही कि जिससे यह बात समझ में आ जाय कि १२॥ प्रतिशत गुणांक ठीक नहीं है। तीसरी बात उन्होंने यह कही कि यदि सरकार हमें आश्वासन दे कि अनाज की मंदी को देख कर १२॥ प्रतिशत गुणांक में कुछ कमीवेशी हो सकती है अथवा सरकार न्यूनाधिक का प्रश्न भविष्य में अपने ध्यान में रखे तो हमें कोई आपत्ति नहीं और हम इस संशोधन को वापस ले सकते हैं। मैं समझता हूं कि माननीय वीरेन्द्र शाह जी इसको भली प्रकार पढ़ेंगे तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि इस संशोधन की आवश्यकता ही नहीं है। जब वह स्वयं कहते हैं कि न्यूनाधिक का आश्वासन दें तो हम संशोधन को वापस ले सकते हैं तो उसमें इस समय यही है कि अधिक से अधिक साढ़े बारह गुना होगा और समय को देख कर, स्थान को देखकर, भूमि को देख कर वह कमीवेश किया जायगा लेकिन वह अधिक से अधिक साढ़े बारह गुना ही होगा। तो मैं समझता हूं कि उन्हीं के कहने के मुताबिक संशोधन को पेश करने की आवश्यकता नहीं है। वह तो जैसा अवसर होगा, जैसी परिस्थिति होगी उसके अनुसार कमीवेश होगा ही और मुझे आशा है कि उन्हीं के कहने के मुताबिक जब यह अनावश्यक है तो वे इसे वापस ले लेंगे और जिस तरह से जमींदारी समाप्त हुई और उसमें बहुत से जमींदार साहबान का सहयोग मिला इसी तरह से मैं आशा करता हूं कि माननीय वीरेंद्र शाह जी जैसे सज्जनों का सहयोग इसमें मिलेगा, कि हमारे देश में बड़े-बड़े फार्म समाप्त हों और हमारे देश के जो सही किसान हैं उनको भूमि का स्वामी बनने का अवसर मिले।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि बड़े खातों के प्रति किसी प्रतिहिंसा की प्यास से यह साढ़े बारह परसेंट का आंकड़ा सरकार ला रही है। हमें इसके पीछे जो इतिहास है और सरकार जो लगाने जा रही है उसके अन्दर भी पैठना चाहिये। यह साढ़े बारह गुना सरकिल रेट के आधार पर बनाया गया है। सरकिल रेट का एक इतिहास है। यह सरकिल रेट लगभग पैंतीस, चालीस वर्ष पूर्व बनाये गये थे और उनके बनाते समय कई बातों पर ध्यान दिया गया था। उस समय अंग्रेजी राज्य था और उस समय हमारे बड़े-बड़े ताल्लुकेदार और जमींदारान अपनी मालगुजारी बढ़ न जाय वह कागजात में

[श्री राम लखन मिश्र]

लगान बहुत कम लिखवाते थे। भूमि के देखने वाले जो अफसर थे वे जो कम से कम देखने की वस्तुयें हैं, जो भूमि का पर्वतीय भाग है, जो भूमि का प्रस्तरीय भाग है कौन सा भाग ककरीला है इसे दिखलाते तो थे किन्तु उसमें इस ढंग से लिखते थे और लिखते समय उनकी बुद्धि पर एक प्रकार का पर्दा डाल दिया जाता था जिससे प्रेरित होकर वह सर्किल रेट बहुत लो रेट पर बनता था और यदि इसे कोई देखना चाहे तो सेटिलमेंट की किताबों के अन्दर उनका विशेष रूप से उल्लेख है देख सकते हैं और हमारी समझ से उस समय बहुत सी बातें छिपाई गई हैं। तो जो ४० वर्ष पहले सर्किल रेट जिस आधार पर बना वह सर्किल रेट इतना कम है कि यह साढ़े बारह गुना का जो संकल्प सरकार लाई है इसमें किसी प्रकार की कोई प्रतिहिंसा नहीं है इसमें ऐसी कोई भावना निहित नहीं है कि बड़ी-बड़ी जोतों का अस्तित्व ही मिटाया जाय लेकिनयह तो फैशन है बोलने का जो कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट किसी प्रतिहिंसा की दृष्टि से यह कर रही है। मैं इसे बिलकुल नहीं मानता हूं। अब रह गया ३० एकड़ की बात ऐसी एक असम्भव सी बात मानकर सरकार ने रखा है। ऐसी बात न होकर सर्किल रेट के आधार पर यह बात मानी गयी है। जहां तक ३० एकड़ की बात है मैं तो यह कहता हूं कि ३० एकड़ से किसी भी प्रकार से ४२ सौ रुपया नहीं हो सकता, ३ हजार भी नहीं होता। मुझे खुद अनुभव है। एक ताल्लुकेदार साहब थे। उनके ताल्लुके में एक प्रकार का भ्रम सा हुआ और वह यह कि कृषि के आय कर के टैक्स को बचाने की दृष्टि से उन्होंने कोई ऐसा षडयन्त्र किया जब देखा गया तो उनके ऊपर कृषि आयकर २,९९९ रुपया आया। वह ३,००० भी पूरा नहीं हुआ। तो यदि हम इस सर्किल रेट के इतिहास को न देखेंगे तो संभव है कि ऐसी बातें हम कर दें। साढ़े बारह गुना तो बहुत कम है। यह बात बहुत ही अप्रियकर है कि मैं साढ़े बारह गुना को बढ़ाने की चेष्टा कर रहा हूं, इसलिये कि यह भी बहुत कम है। इस आय कर के सम्बन्ध में हम सरकार की सहायता सदाशयता के ऊपर किसी प्रकार का अंगुलि निर्देशन नहीं कर सकते। यह तो सरकार ने रस्मी तौर पर किया है। भारत के इस नव निर्माण में यह जो हमारा आय कर का विधेयक है यह बहुत ही उपयुक्त है। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

*श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत चाहूंगा कि माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी ने जो संशोधन पेश किया है उसमें एक शाब्दिक संशोधन कर दिया जाय और वह यह कि जहां पर उन्होंने साढ़े सात गुना शब्द रखे हैं उनकी जगह "दस गुना" रख दिये जायं।

श्री अध्यक्ष महोदय, दसगुना खासतौर से इसलिये रखना चाहता हूं कि दुर्भाग्य-वश इस समय माननीय चौधरी साहब मौजूद नहीं हैं सदन में, दसगुना से उनको बड़ी मुहब्बत है और मैं ऐसा समझता हूं कि दसगुना उचित भी लगता है। साढ़े बारह गुना सरकार ने रखा है साढ़े बारह गुना की जगह में दस गुना रखने की वकालत इसलिये कर रहा हूं कि इसमें कोई सन्देह नहीं कि खेती की वस्तुओं की कीमत घटी है और चाहे माननीय रामनरेश जी या कोई माननीय सदस्य, जो थोड़ा भी अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों से सरोकार रखना चाहें तो उन्हें इस बात को स्वीकार कर लेना पड़ेगा कि बूम पीरियड में सब से कम नफा उठाने वाला काश्तकार होता है और बूम पीरियड के बाद जब वह अवधि आती है जिसमें कि कीमतें गिरती हैं, उनकी कीमतों के गिरने के समय में सब से अधिक जो चोट पड़ती है वह खेती करने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वाले पर पड़ती है। यह तो स्पष्ट है कि इंडस्ट्रियल सामान जो हैं, उनकी कीमत अभी उस हद तक नहीं गिरी है जिस हद तक कि खेती के सामान की कीमत गिरी है। भले ही हम उनके साथ कुछ रियायत करना चाहते हों, लेकिन मैं समझता हूं कि जो गवर्नमेंट है उसका मंशा तो ऐसा होना चाहिये कि सभी के साथ न्याय हो सके। इस बात का हर सरकार को ध्यान रखना चाहिये । तो फिर जब न्याय की बात कही जाती है तो मैं समझता हूं कि चाहे वह बड़े हों या छोटे हों, उनको न्याय प्राप्त होना चाहिये सरकार से। सरकार अगर सामाजिक न्याय में विश्वास करती है तो उसको कम से कम अपनी नीति निर्धारित कर लेनी चाहिये थी कि उत्पत्ति के साधनों का जो लोग धनहीन हैं, जो बेकार हैं बेरोजगार हैं, उन तक पहुंचाने से सामाजिक न्याय प्राप्त हो सकता है। लेकिन सरकार उन पर बहुत नाराज है। सरकार वहां तक तो पहुंचना चाहती नहीं है लेकिन यहां धुमा करके इस तरह की बात करना और जो भी माननीय सदस्य ऐसा समझते हों कि यह तो भूमि बटवारे की बात है, भूमि बटवारा कराने की गर्ज से सरकार इस तरह का विधेयक लाये हुए है, उनसे मैं क्षमा चाहूंगा यह कहने के लिये कि वह बहुत भोले हैं, और मैं क्या कहूं। माननीय महीलाल जी से तो, मैं उम्मीद करता था कि माननीय शिवनारायण जी जैसे भोले होंगे लेकिन वह भी इस भोलेपन में हैं कि यह तो भूमि बटवारे की बात है और माननीय महीलाल जी वह स्वप्न देखते हैं कि ३० एकड़ से ऊपर वालों पर जो वह टैक्स लगने जा रहा है इससे घबराकर ३० एकड़ से ऊपर वाले जमीनें छोड़ देंगे और वह जमीनें माननीय महीलाल जी के परिवार के जो लोग भीख मांगने वाले हैं जो गोबर में से अनाज निकाल कर खाते हैं उनको मिल जायंगी, ऐसा स्वप्न देखते हैं। मैं माननीय महीलाल जी से कहना चाहता हूं कि जरा यह और बारीकी में जायं।

अध्यक्ष महोदय, अभी हमको तो सोचने की गुंजायश है और अधिकार भी है कि इस विधेयक के बारे में सोचें कि किस गर्ज से साढ़े बारह की, किस गर्ज से ३० एकड़ की बात कही जाती है। मैं तो अध्यक्ष महोदय, बहुत स्पष्ट इस बात को कह दूं कि माननीय महीलाल जी का मंशा इससे पूरा नहीं होता। सरकार का यह संकेत है कि ३० एकड़ से ऊपर वाले अपनी जमीनों को समय रहते बेच डालो, बैनामा करो जितना रुपया उठा सकते हो इस वक्त उठा लो। माननीय वीरेन्द्रशाह जी नाराज हुए हैं चौधरी साहब पर हमारे राजस्व मंत्री जो हैं--कि कैसा बिल ला दिया। कल राजनारायण जी ने कहा कि मिली जुली भगत है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस समय १ मामला तो यह है कि ३० एकड़ वालो तुम अपनी जमीन को जल्दी से जल्दी बेचो। अगर ३० एकड़ से ऊपर वालों से सरकार सीधे कहे कि अपनी जमीन फलां वक्त तक बेच डालो नहीं तो कोई सीलिंग मुकर्रर होने वाली है और उसके बाद यह जमीन आपकी निकल जायगी, तो ऐसी बात सरकार कहने में सकुचायेगी। लेकिन आज इस विधेयक को ला करके सरकार अप्रत्यक्ष रूप से उनको इशारा कर रही है कि माननीय वीरेन्द्र शाह जी, आप भी बेच डालिये और बेच करके रुपया इकट्ठा कर लीजिये, इस जमाने में। अब मैं पूछना चाहता हूं कि महीलाल जी से, कि कितने उनको बिरादरी वाले लोग इन जमीनों को खरीद पायेंगे है, बस की बात है? नहीं खरीद सकते और जब नहीं खरीद सकते तो माननीय महीलाल जी, माननीय शिवनारायण और माननीय बाबू नन्दन जी को विश्वास करना चाहिये कि वह जमीन का बटवारा नहीं है यह रुपया इकट्ठा कराना है उन लोगों को जिनको सरकार अपना समझती है। अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने अभी-अभी ऐसा कहा था कि ३० एकड़ के ऊपर जमीन ही नहीं रह पायेगी। मैं कहता हूं कि ३० एकड़ के ऊपर वाले खरीद नहीं पायेंगे, यह मैंने मान लिया। मैं तो समझता हूं कि कहीं यह भी रुकावट है कि कोई मिल मालिक जिसका एक करोड़ या पचास लाख या १० हजार रुपया बैंक में जमा है वह ३० हजार एकड़ नहीं खरीद पायेगा. ऐसी भी कहीं रुकावट है आपके कानून में? मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आप कृपा करके जरा इस बात को

[श्री गेंदा सिंह]

सोचिये कि खरीदेगा कौन ? खरीदने वाले, रुपये वाले खरीदेंगे । जिनको देना है जिनको सरकार या प्लानिंग कमीशन या वर्किंग कमेटी या जे० सी० कुमारप्पा या विनोबा भावे जिनको देने की आवश्यकता समझते हैं, इस विधेयक के जरिये उनके पास जमीन जाना नहीं है और यह जमीन जाने का विधेयक है भी नहीं, यह तो कर लगाने का विधेयक है । कहा यह जाता है कि हम उनको विवश कर रहे हैं कि वह अपनी जमीन बेंच डालें । अब वह किस को बेचेंगे ? इसके बारे में कुछ नहीं है । अगर सरकार कोई ऐसा कानून ले आये कि फलां आदमी को ही जमीन बेची जा सकती है और इतनी कीमत में बेंची जा सकती है तो मैं समझता हूं कि ठीक है । लेकिन यहां तो खुले बाजार उनको जमीन बेंचने का हक है । वह लोग ऐसे लोगों के हाथ जमीन बेंचें जो ३० एकड़ से ज्यादा जमीन रखने वाले न हों । अगर ३० एकड़ की सीलिंग मुकर्रर हो जाय और ३० एकड़ का यह झगड़ा खड़ा हो जाय , तो जो जमीन मिलने वाली है भूमिहीन लोगों को, उसकी गुंजायश बाकी नहीं रह जाती है, यह विधेयक ऐसा है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं इन बातों को कह कर सदन के सामने रखना चाहता हूं कि अगर सीधा सादा मामला ऐसा है कि जमीन के बटवारे की बात माननीय राजस्व मंत्री जी सोचते हैं, तो उनको सीधी सादी बात कहना चाहिये और जमीन के बटवारे की बात करनी चाहिये और मैं समझता हूं कि यह सरकार के सम्मान के माफिक भी है । जिस दिन हम जमीन के बटवारे के सम्बन्ध में फैसला कर रहे थे तो राजस्व मंत्री जी विरोध कर रहे थे कि जमीन नहीं बंटेगी और हमारे सूबे में ऐसी कोई प्राबलम नहीं है । उसी दिन बिहार सरकार अपने यहां ३० एकड़ की सीलिंग मुकर्रर कर रही थी कि हम ३० एकड़ से ज्यादा जमीन किसी के पास नहीं रहने देंगे । सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि सीलिंग मुकर्रर होना चाहिये । बिहार सरकार, हिमांचल प्रदेश और सेंट्रल गवर्नमेंट बैठकर प्रस्ताव पास करते हैं कि सीलिंग मुकर्रर होना चाहिये और जमीन को बांटना चाहिये तो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार को जो बहुत मजबूत और बुद्धिवाली सरकार है वह उल्टे काम करती है । उसे सीधी बात कहना चाहिये, घुमा फिरा कर बात कहने से कोई लाभ नहीं है । जमींदारों ने और बड़े लोगों ने बड़ा अत्याचार किया । मैं समझता हूं कि यह बड़ा चीप स्लोगन है । मैं नहीं समझता कि इन हीरोइक स्टोरीज को बतलाकर इस तरह की बात कह कर कोई बहुत बड़े काम किये जा सकते हैं। उन्होंने बड़ा जुल्म किया है । मैं यह कहूंगा कि सरकार शामिल थी और उसकी मिली जुली तरकीब थी कि जमींदार ऐसा करता चला जाय और वह तमाशा देखे तो क्या अनुचित होगा ।

१९४६ के बाद राजस्व मंत्री जी साहस करके कागजात दिखलायें कि जब से जमींदारी विनाश प्रस्ताव पास हुआ था, उसके बाद से जमींदारों ने कितनी जमीन उठाई है । ज्यादातर जमीन जो सार्वजनिक सेवा की थी उनको उठाने का काम १९४६ के बाद ही हुआ और सरकार सो रही थी अपने कानों में तेल डालकर, सरकार को होश नहीं था, सरकार क्या थी, नाबालिग थी । अगर सरकार नाबालिग थी तब तो मैं महीलाल जी की यह शिकायत मान सकता हूं कि बड़ा अत्याचार किया, श्री वीरेन्द्र शाह ने इस नाबालिग सरकार के साथ । अगर यह नाबालिग सरकार है और वीरेन्द्रशाह जी जैसे आदमी से दोस्ती गांठे तो इसमें हमारा क्या कसूर है । श्री वीरेन्द्रशाह ऐसे आदमियों में से हैं, अगर वह इस नाबालिग सरकार के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो रोना रोइये ।

मुझे तो अध्यक्ष महोदय, सरकार की इस मजबूरी, खोखलेपन और नाबालिग होने पर दया आती है । सरकार से दस मर्तबा कहा जाय कि संभालों अपने कपड़े और तब भी वह नाबालिक सरकार भोली बनी रही । सारी की सारी जमीन जुतती चली जाय और फिर हाउस में खड़े होकर कहा जाय कि हमारे साथ तो बड़ा अत्याचार और अनाचार किया । यह शोभा नहीं देता है । अगर अत्याचार किया तो शोर करते, गुल करते, कानून बनाते ।

श्री अध्यक्ष--विषय पर आजाइये ।

श्री गेंदा सिंह--अध्यक्ष महोदय मैं महीलाल जी को सिर्फ यह समझाना चाहता था और मैं बिलकुल वही बात कहूंगा कि सरकार अगर चाहे कि इस विधेयक के जरिये जमीन का बटवारा किया जाय तो इस भ्रांति में सदन को न रखें। तो स्पष्ट इस बात को कहना चाहिये। माननीय राजस्व मंत्री ने स्पष्ट उस दिन कह दिया था कि हमारे प्रदेश में कोई इस तरह का प्रश्न ही नहीं कि जमीन बटे। वह कहते हैं कि चूंकि जमीन बहुत कम है यहां, इसलिये जमीन नहीं बटेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे माफी चाहूंगा कि यह कहने के लिये कि दुनिया में जब घर में कमी होती है तो बटवारा होता है। यहां कहा जाता है कि जब बहुत होगा घर में तब बटवारा होगा। अब किस की बुद्धि को बलिहारी दें हम ? तो मैं यह अन्त में कहना चाहता हूं कि खेती सारे संसार में इंडस्ट्री से कुछ पीछे रहती है और इंडस्ट्री से पीछे रहने के नाते उसको अधिकार है कि सरकार जो देश की तरक्की चाहे वह खेती करने वालों की कुछ तरक्की कराये। तरक्की कराने में मैं खेत बेचवाना नही चाहता हूं। यह विधेयक तो बेचवाने वाला है। मैं समझता हूं कि कर लगाया जाय। यह तो कहीं हम नहीं कहना चाहते है कि ऐसी जमीन पर कर न लगाया जाय जिनके पास कर देने की क्षमता हो, लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार से कि अगर देने वालों की क्षमता दिन पर दिन बढाते जायेंगे तो यह भी जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय, उस दिन आप नहीं थे इत्तफाक से। राजस्व मंत्री जी ने जो आंकड़े बताये, उनको सुनकर हैरत होती है। उन्होने कहा कि १३५२ फसली में यानी सन् १९४६ में १,१५,००० काश्तकार ३० एकड़ से ऊपर वाले थे और १३६० फसली में, उन्होंने यह कहा कि उनकी संख्या १९,००० रह गयी है और बाकी नहीं मालूम कहां चले गये हैं। तो यह बात ठीक है कि मल्टिपिल में तो नरमी कीजिये, लेकिन जो लोग टैक्स एवेडर्स हैं अगर उनको ढूंढने की कोशिश की गयी तो मल्टिपिल में जो थोड़ी सी रिआयत करेंगे उससे ज्यादा रकम उस तरफ से मिल जायगी मैं अपने यहां का उदाहरण दूं कि एक चार पांच हजार एकड़ का जमींदार है और मैं नाम रखे देता हूं कि यू० पी० शुगर फैक्ट्री लिमिटेड की तरफ से ५ हजार एकड़ का फार्म होल्डर है, कितना एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स मिला है, जितने बर्षों से वह लगा है ? मुझे बहुत अच्छी तरह से तो मालूम नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा और सदन को भी जना दूं। मुझे मालूम हुआ कि वह अपना अकाउन्ट ऐसा बढिया रखे हुये हैं कि हमारे यहां सब लोगों से अधिक आमदनी करते हुये भी वह टैक्स से बच गये। हिसाब किताब में गलती करने वाले गांव के छोटे काश्तकार नहीं होते हैं, उनके यहां कोई मुनीम नहीं होते हैं। ये चीजें तो वे ही बना सकते हैं और उससे भ्रष्टाचार फैलता है। तो इन सारी बातों की तरफ बहुत स्ट्रिक्ट होकर सरकार को देखना चाहिये और यह जो १० गुने का मल्टिपिल है, वह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें सरकार को घाटा नहीं लगेगा, सरकार फायदे में रहेगी, बशर्ते कि सरकार जागरूक रहे टैक्स एवेडर्स से। इससे राजा वीरेंद्र शाह या श्री अवधेश प्रताप सिंह भी इंकार नहीं करेंगे कि ईमानदारी से जिन पर टैक्स लग सकता हो उन पर अवश्य लगना चाहिये, वे न बच जायं

***श्री कुंवर कृष्ण वर्मा** (जिला सुल्तानपूर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके सामने इस वक्त में जो संशोधन उपस्थित है उसका तात्पर्य यह है कि कृषि भूमि की आय किस तरीके पर निर्धारित की जाय, उसकी आमदनी के निर्धारण का तरीका क्या हो, किस तरीके से हम उसको समझें कि इसकी आमदनी क्या होगी। सिर्फ इतना ही प्रश्न इस वक्त सदन के सामने है

मैं नहीं समझता कि इस प्रश्न के साथ में दुनिया भर के प्रश्न क्यों पैदा कर दिये गये, जो कि असल में इससे संबंधित नहीं है। राजा साहब ने यह अपनी तकरीर में कहा कि बड़े फार्म है उनके लिये कम से कम साढे सात फीसदी जरूर कर दिया जाय, साढे सात गुना कर दिया

---

*वक्ता के भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कुंवर कृष्ण वर्मा]

जाय। जहांतक कि सभी के लिये है लेकिन आपकी तकरीर में एक यह भी दलील थी कि मैं यह समझता हूं कि अगर एक तरफ यह कहा जाता है कि बड़े फार्मों की पैदावार कोई कम नहीं होती है, वह उतनी ही होती है या अधिक होती है जितनी कि कम होल्डिंग में होती है।

तो ऐसी हालत में दूसरे-दूसरे, जुदा-जुदा गुणांक रखे जायं, यह तो बिलकुल अनुचित चीज है, अब यह रहा कि आया साढे सात का मल्टिपिल मुनासिब है या साढे बारह का मल्टिपिल मुनासिब है। तो इस सदन के सामने एक जानकारी तो पहले ही आ चुकी है कि अगर हम साढे सात का मल्टिपिल रखते हैं तो उसका नतीजा यह होता है कि ५६० रुपया सर्किल रेट जब किसी भूमि का होगा तभी असल में उस पर हम कर लगा सकेंगे। वरना हम लगा नहीं सकते। ५६० को अगर हम साढे सात गुना करें तो तभी चार हजार दो सौ रुपया उसकी आय होती है। तो इससे अच्छा तो यह है कि यह जो विधेयक लाया गया है इसको हम ताक पर रख दें। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर हम इस रास्ते को अख्तियार करें कि सदन साढ़े सात का मल्टिपिल स्वीकार करे तो मेरी समझ में यह जो ऐसे संशोधन आते हैं वह तो बिलकुल इस विधेयक की स्प्रिट के खिलाफ होते हैं और उन पर विचार करना ही मेरी समझ में बिलकुल व्यर्थ होता है।

माननीय गेंदा सिंह जी ने दस का मल्टिपिल रखा है और उसके साथ यह भी कहा है कि हमारे माननीय मंत्री को यह गुणांक शायद प्रिय हो। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरीके की और बातें कही जाती हैं वह भी शायद हम को कुछ धोखा देने के लिये यह बात रखी गयी क्योंकि इसमें भी मैं यह देखता हूं कि अगर हम दस का मल्टिपिल रखें तो उसके मानी यह होते हैं कि जिस होल्डिंग का लगान ४२० है उसकी आमदनी ४२०० होगी। यह बात तो वाकई में ४२० की हो जाती है। मैं समझता हूं कि यह गुणांक मुनासिब नहीं है। ४२० रु० लगान देने वाले किसान बहुत कम हैं। वह उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। दस का मल्टिपिल रखने के भी यह मानी होंगे कि विधेयक असल में व्यर्थ हो जायगा। होल्डिंग की आमदनी क्या होगी इसके लिये तो हमको ज्यादा सोच नहीं करना चाहिये क्योंकि जो यहां पर विधेयक लाया गया है जो संशोधन पेश किया जा रहा है वह तो एक दूसरा रास्ता है हमारी जोत की आय निर्धारण करने का कि किस तरीके से हम समझें कि उसकी आमदनी क्या होगी। तो एक सर्किल रेट का मल्टिपिल रख लिया गया है। लेकिन जैसा कि हमारे जिन माननीय सदस्य ने यह संशोधन पेश किया है या राजा वीरेंद्र शाह ने जो बातें कहीं हैं उससे तो कोई असल में हानि नहीं पहुंच सकती है इसलिये कि दूसरा तरीका भी रखा हुआ है। बड़े बड़े फार्महोल्डर्स के लिये यह समझा जा सकता है कि वह पढे लिखे हैं, वह अपना हिसाबकिताब रखते हैं। अगर उनको इसमें कोई हानि समझ पड़ती है तो अपना हिसाब पेश करते हैं। यह तो कोई कतई तौर पर नहीं रख दिया गया है कि इतनी ही आमदनी खामखा मानी जायगी। दूसरा तरीका भी लिखा हुआ है। आप अपना हिसाब पेश कीजिये। अगर इस वक्त गल्ले का भाव कम हो गया है तो उसके हिसाब से आप हिसाब दे सकते हैं। अगर आप की आमदनी कम है तो वह कम ही मानी जायगी। वह यह न समझें कि चूंकि सर्किल रेट के हिसाब से ज्यादा आ रहा है इसलिये बावजूद इसके कि भाव कम हो गया है आपकी आमदनी खामखा उतनी ही समझी जाय ऐसा विधेयक में नहीं है इसमें मेरी समझ में किसी को कोई हानि पहुंच नहीं सकती। मैं यह समझता हूं कि जो रिलेवेंट बातें हैं, वे यही हैं कि हमेशा के लिये एक सीलिंग नियुक्त कर दी जाय या आमदनी का हिसाब लगाया जाय और उसके हिसाब से मल्टीपिल नियुक्त किया जाय ये सब बातें मैं समझता हूं कि आखिर में जो एक शेड्यूल आया हुआ है उस पर जब विचार होने लगे उस समय ये बातें कही जायं। लेकिन इस समय हर संशोधन पर सामान्य बातें कही जायं मेरी समझ में व्यर्थ है। हमें सिर्फ यह देखना है कि किस तरह से आमदनी लगाई जाय। उसके लिये बहुत सीधा सा तरीका है और वह लोगों को मालूम भी है कि यह जो मल्टीपिल रक्खा गया है अगर किसी वक्त में सरकार को यह

महसूस होता है कि साढ़े १२ गुना के बजाय १० गुना लगाया जाय तो वह तो इसमें अधिकार है और ऐसा हम कर सकते हैं । मेरी समझ में इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है और मैं इसका विरोध करता हूं ।

*श्री उम्मेद सिंह (जिला गोंडा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं । इसका सिद्धांत यह है कि फार्म होल्डर्स पर बोझा बढ़ना ही है तो उन पर आज कल की परिस्थिति के अनुसार बोझा होना चाहिये । हमारे प्राविंस का सबसे बड़ा धन्धा खेती है और इसकी पैदावार बढ़ाने के लिये और तरक्की के लिये हमारी केन्द्रीय और प्रांतीय सरकार भी प्रयत्नशील है । नये तरीके, उन्नतिशील तरीके, जापानी मेथड और बहुत किस्म की बातें कही जाती हैं । एग्रिकल्चर विभाग की तरफ से और हर तरफ से कहा जाता है कि अगर किसान के पास पूंजी नहीं है और करों का बोझा उनके ऊपर बढ़ा तो वे कोई भी उन्नतिशील तरीका इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहेंगे । और सरकार का यही सिद्धांत है कि ३० एकड़ से ज्यादा फार्म होल्डर्स न रहे तो मेरी समझ में वह गलत पालिसी होगी । ३० एकड़ से कम वाले किसानों की स्थिति कभी भी ऐसी नहीं हो सकती कि वे नये जापानी या अमेरिकन मेथड्स इस्तेमाल में ला सकें । इसका नतीजा यह होगा कि कम्युनिस्टवाद या कोई दूसरा वाद यहां आ जायगा जिसको कि हमारी गवर्नमेंट बचाना चाहती है । इसलिये मेरा नम्र निवेदन यह है कि आज की परिस्थिति को देखते हुये किसानों की सोचनीय दशा को देखते हुये हमारे देश में गल्ले की पैदावार ज्यादा होना चाहिये और फी एकड़ पैदावार वह होनी चाहिये जो जापान या अमेरिका में होती है तो हमें फार्म होल्डर्स को एनकरेज करना चाहिये और यह भी देखना चाहिये कि उनके पास इतनी पूंजी होनी चाहिये कि वे अच्छे किस्म की खेती कर सकें । इसलिये मेरा नम्र निवेदन यह है कि ७ गुना नहीं बल्कि ५ गुना मल्टिपिल रखना चाहिये ।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा (जिला सहारनपुर)--जनाबवाला, कल से इस वक्त तक मुतादिद तकरीरें इस मजमून पर हो चुकी हैं और मुझे अफसोस है कि मैंने कुछ ऐसा महसूस किया कि जो मजमून है उससे लोग बहुत दूर चले गये । एक जरा सी बात है और सिम्पुल सवाल सिर्फ इतना है कि इंसाफ और इक्विटी की बुनियाद पर यह मल्टीपिल क्या होना चाहिये । मेरे दोस्त राजा साहब ने जब अपना अमेंडमेंट दिया तो शायद इस बात पर गौर नहीं फरमाया कि जो पुरानी क्लाज हैं उस पर डेफिनिट इम्प्रूवमेंट किया गया है और गवर्नमेंट की तरफ से यह डेफिनिट इम्प्रूवमेंट है । पहले गवर्नमेंट ने १२।। गुना पक्केतौर पर मुकर्रर किया था यानी १२।। से कम मल्टीपुल नहीं हो सकता था लेकिन मौजूदा हालात का जायजा लेते हुये क्योंकि कीमत रोजबरोज कम हो रही है इसलिए गवर्नमेंट ने यह राइट समझा कि वह १२।। तक मल्टीपिल हो सके । दूसरे मायने में इसका मन्शा साफ यह हुआ कि यह फ्लक्सेबिल है यानी इन फिगर्स में लोच है और हालात का जायजा लेकर जिस तरीके पर निर्ख में कमी और बेशी होती रहेगी तो उसी हिसाब से मल्टीपिल में कमी और बेशी हुआ करेगी । यह एक डेफिनिट इम्प्रूवमेंट है उस पहली क्लाज पर जो कि पहले कानून की है । मैं यह समझता हूं कि अगर गवर्नमेंट की मन्शा को समझने की कोशिश नहीं की गयी या अगर गवर्नमेंट की ईमानदारी पर भरोसा नहीं किया जाता है कि वह ईमानदारी के तरीके पर इक्विटी से इस किस्म के अहकाम जारी नहीं करेगी तो मैं समझता हूं कि यह मुनासिब ख्याल नहीं है । हां यह बेहतर होगा कि अगर गवर्नमेंट इस मल्टीपिल को व्हीट की प्राइस से कनेक्ट कर देती

श्री अध्यक्ष--क्या माननीय सदस्य अभी और समय लेंगे ?

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा--जी हां ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्विक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--अच्छा हो आप लंच के बाद जारी रखियेगा।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १९ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हर गोविन्द पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा--जनाबवाला, मैं यह अर्ज कर रहा था कि जो मसला इस वक्त हाउस के सामने है वह कोई पेचीदा मसला नहीं है लेकिन इसको बाज बातों को नजर-अन्दाज करके इसे देखने की जरूरत है ताकि हक व इंसाफ के तरीके पर इस मसले को हल किया जा सके। सवाल महज इतना है कि इस वक्त मौजूदा हालात के पेशेनजर और जो प्रिवेलिंग प्राइसेज है ग्रेन की उनको देखते हुये सही मल्टिपुल क्या होना चाहिये। आया साढे ७ होना चाहिये, १० होना चाहिये या साढे १२ होना चाहिये। मैं यह अर्ज करूंगा कि जिस वक्त कि यह ऐक्ट पहले बनाया गया उस वक्त जो प्राइस मुल्क में थी वह कम थी और इसीलिये उस वक्त मल्टिपुल को साढे ७ मुकर्रर किया गया। उसके बाद अमेंडमेंट हुआ है जिसको कि कुछ ज्यादा अर्सा नहीं गुजरा, तो उस वक्त मुल्क में प्राइसेज बहुत ऊंची जा चुकी थीं आनरेबिल मिनिस्टर ने और उन हजरात ने जिन्होंने इस अमेंडमेंट को सपोर्ट किया उन्होंने सबसे बड़ी दलील जो मल्टिपुल बढ़ाने की दी थी वह यह थी कि प्राइसेज बहुत ऊंची जा चुकी है और इसलिये इस मल्टिपुल को बढ़ा देना चाहिये।

यह बिल्कुल सही है कि यही एक वजह थी उस वक्त। न तो यह वजह थी कि हमारे प्रजा सोशलिस्ट पारटी के भाई इसको पसन्द करते हैं या नहीं करते और न इस पर गौर किया गया कि किस शख्स को इससे कितना फायदा पहुंचता है, आया गरीब किसानों को इससे फायदा पहुंचता है या वे जमींदार जो कि खुदकाश्त करते उनको इससे फायदा पहुंचता है। इस पर कभी गौर नहीं किया गया और न गौर करने की जरूरत है। यही एक उसूल था जिस पर गौर करके वह मल्टिपुल मुकर्रर किया गया। अब देखने की बात है कि एग्रीकल्चरल प्राइसेज गिर गयी है, रोज बरोज गिरती जा रही है और दुनिया की हालात का जायजा लेने के बाद इस किस्म का यकीन है कि इन प्राइसेज में और ज्यादा कमी होगी। तो अब देखने की बात यह है कि यह ऐक्ट तो एक मुस्तकिल ऐक्ट अपने स्टेट्यूट बुक में रहेगा। हर साल इसमें तब्दीली होने का कोई इमकान नहीं है और वह कानून जो हर साल तब्दील किया जाय कानून कहलाने का मुस्तहक नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ी दिक्कत जो मलटिपल मुकर्रर करने की है वह यह है कि कीमतें तब्दील होती रहती है फलक्चुएट होती रहती हैं तो उस हालत में फिर क्या तरीका उसको फिक्स करने का हो सकता है। मेरा तो डेफिनिट सजेश्चन यह है कि इस मलटिपिल को गेहूं की कीमत के साथ जोड़ दिया जाय और वह इसलिये कि गेहूं ऐसी चीज है कि हमारे मुल्क में ही नहीं बल्कि तमाम दुनिया में उसी की कीमत पर दूसरी चीजों की कीमत फिक्स होती है, फलक्चुएट होती है और घटती बढ़ती है। इसलिये मेरा सजेशन है जो मैंने कल ही माननीय मिनिस्टर साहब की खिदमत में अर्ज किया था। यह तरमीम इसमें कर ली जाय कि अगर गेहूं की कीमत दस रुपये तक रहती है तो मलटिपिल उस हालत में साढे सात ७ गुना से ज्यादा न हो और जब कीमत दस से १६ रुपये मन के दरमियान हो तो मल्टिपिल १० गुना हो और जब वह १६ से ऊपर हो तब वह मलटिपल १२।। गुना हो। मैंने कल भी कहा था कि अगर कानून में यह चीज आ जाती तो ज्यादा मुनासिब होता। हमें यह देखना चाहिये कि गवर्नमेंट के सिर जो जिम्मेदारी मढी गई है वह उसको सही तौर से अन्जाम देती है या नहीं क्योंकि उसको अख्तयार रहा है कि वह १२।। तक कुछ भी रखे। आगे के लिये अब यह भवन का जो फैसला हो चाहे वह १२।। का हो या दस का हो कोई भी हो। इसलिये गवर्नमेंट पर यह इल्जाम नहीं लग सकता क्योंकि उसको अख्तयार दिया गया था कि वह १२।।के अन्दर तक जहां चाहें फिक्स कर लें और अभी वह वक्त ही नहीं आया है कि देखा जाय कि उसने उस जिम्मेदारी को पूरा किया नहीं किया। उसका वक्त तो अब आया है। अगर गवर्नमेंट गिरती हुई कीमतों को देखते हुये और किसान की आमदनी

घटने पर भी अपने अख्तयारात को इस्तेमाल नहीं करती तब सही तौर पर यह इल्जाम लगाया जा सकता है कि जो अख्तयारात सरकार को ईमानदारी से इस्तेमाल करने चाहिये थे वह उस ने इस्तेमाल नहीं किये लेकिन अभी ऐसा कहना कब्लअज वक्त होगा। इसलिये मैंने जो अमेंडमेंट टु अमेंडमेंट पेश किया है उस पर मजीद गौर किया जाय तो बेहतर है। हमारा मतलब तो आम खाने से है दरख्त गिनने से या गुठलियां गिनने से कोई फायदा नहीं है। ईमानदारी से जो रिलीफ मिलना चाहिये वह मिले चाहे वह कानून के जरिये से मिले या रूल्स के जरिये से मिले या किसी एग्जिक्यूटिव आर्डर के जरिये से मिले लेकिन गवर्नमेंट इस पर जरूर पाबन्द रहे कि इस तरह से जो अख्तयारात इस अमेंडमेंट के जरिये से हासिल किये जा रहे हैं उन का सही और जायज इस्तेमाल ठीक वक्त पर किया जाय। बस इतना एश्योरेंस हम चाहते हैं ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से ताकि हमारे दोस्त राजा साहब कोई एतराज न करें और अपने संशोधन को सरकार पर एतमाद करते हुये वापस कर लें।

एक बात मैं और अर्ज करना चाहता हूं और वह यह है कि हमें यह भी देखना चाहिये कि दूसरे मुमालिक में जहां के एकनामिक हालात ऐसे हीं है वहां पर क्या होता है। हमारा नेक्सट डोर नेबर चाइना है। कोई चीज ठीक एनेलाजी तो नहीं हो सकती लेकिन वहां भी पैदावार का दस परसेंट ले लेते हैं.अगर ज्यादा कीमत पर वह बिकता है तो ज्यादा बढाकर उस से लिया जाता है लेकिन किसान अपनी जगह पर ही बना रहता है उसको ज्यादा न देकर उसी प्रोपोरशन से देना पड़ता है जहां तक उसके नफे नुकसान का ताल्लुक है। लेकिन मैं एक बात और अर्ज करूं कि जो मेरे ख्याल में जिन साहबान को मालूमात नहीं है वह उनके लिये बायसे इजाफे मालूमात होगी कि वहां पर वेजेज को मुकर्रर करने का एक अजीब तरीका निकाला है। वहां एक आदमी की जरूरियात की चीजों को जैसे आटा ८ सेर, चावल पाव भर, नमक इतना इस तरह से उन्होंने चार आइटम्स बतला दिये हैं कि इतना इतना दे दो और जिसदिन वेज तकसीम करते हैं उस दिन वह कलकुलेट करके आटा, लकड़ी, तेल की कीमत क्या है उसी हिसाब से दे देते हैं चाहे वह सौ येन हो और चाहे एक हजार येन हो। तो उनकी परचेजिंग पावर में फर्क नहीं होता। यही नहीं कि इसके लिये उन्होंने ऐसा किया हो बल्कि बैंक डिपाजिट के लिये भी उन्होंने यही कर रखा है। आज आप १ हजार येन जमा करते हैं और उसकी आज की जो उसकी यूटिलिटी वैल्यू है उसको निकाल लेते हैं और जब आप वापस लेंगे तो जहां आपने हजार जमा किया है अगर प्राइस ऊंची चली गई तो आपको ज्यादा भी मिल सकता है और नीचे चली गई तो कम भी मिल सकता है। बाज वक्त १२ सौ येन मिल जायेंगे और बाजवक्त ८ सौ येन भी मिल जायेंगे। तो इस तरीके से यूटिलिटी वैल्यू देने की एक अजीब तरकीब वहां यह हो गई है कि रुपये की उन्होंने कांस्टेंट वैल्यू कर दी। यह चीज मैं किसी कम्युनिस्ट लिट्रेचर से नहीं कह रहा हूं। मैं यह अर्ज करूंगा कि न किसी कांग्रेस मैन की यह बात है। एक इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट के मेम्बर है जो अभी हाल ही में वापस आये हैं उन्होंने यह तमाम चीजें इस किताब "चाइनीज पजिल" में लिख रखी है। यह किताब श्री कंटन नायर की है जो न सोशलिस्ट पार्टी, न कम्युनिस्ट पार्टी और न कांग्रेस पार्टी के आदमी है बल्कि एक इंडिपेंडेंट आदमी की हैसियत से उन्होंने चायना से वापस आने के बाद जो वाक्यात है उनको दोहराया है तो मैं अर्ज करूंगा कि उन्होंने एक सालूशन निकाल लिया है कि किस तरह से जो जरूरियात जिन्दगी की चीजें है वह उनको दी जायं और वह रुपये की शक्ल में न हो कर कमाडिटी की शक्ल में हो और उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू हो। तो मैं समझता हूं कि हमें भी तो मौजूदा हालात में मौजूदा ऐक्ट का जो बेसिस है उसको मजाक तो बनाना नहीं है कि हर साल अमेंडिंग बिल ले आया करें कि भाई अब कीमत बढ गई तो अब १५ गुना होगा और अब कीमत घट गई तो अब साढे ७ गुना होगा या पांच गुना होगा। तो इसलिये जरूरत है कि ऐसा तरीकाकार निकाला जाय कि जिससे कोई कमाडिटी की प्राइस की एक कांस्टेंन्ट वैल्यू निकाली जाय और वह कमाडिटी ह्वीट की हो सकती है। उसकी जो प्राइस हो उसके साथ और इस टेक्स को लिंक कर दें और जिस हिसाब से उसकी प्राइसेज वैरी करती है उसके हिसाब से मल्टीपिल भी वैरी करता चला जाय।

[श्री अतहर हुसैन ख्वाजा]

तो डेफिनिट हो जाना चाहिये। मैं उम्मीद करता हूं कि बगैर इस बात का ख्याल किये हुये कि गेंदा सिंह जी को पसन्द होगा या नहीं होगा या कोई नाराज होगा या खुश महज हक या इंसाफ पर जो चीज देखी जाय उसको इमानदारी या ईक्विटी के बेसिस पर देखना चाहिये कि पूरी उतरती है या नहीं। इससे हमको कोई वास्ता नहीं होना चाहिये कि उससे कितना फायदा किसको पहुंचता है या किसको नुकसान पहुंचता है। उसूल के सामने इंडिविजुअल के फायदे और नुकसान को नहीं देखना चाहिये। इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि आप कोई और ऐसी ऐश्योरेंस दें कि कोई न कोई ऐसा तरीका और अख्तियार किया जायगा जिससे मेम्बरान हाउस को सैटिसफैक्शन हो जाय तो अच्छा है।

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय माननीय अवधेशप्रताप सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये माननीय वीरेंद्रशाह जी ने यह कहा कि अगर यह मल्टीपिल रहा तो डर इस बात का है कि जो बड़े बड़े फार्म होल्डर्स हैं उन्हें अपनी जमीन बेंच देनी पड़ेगी वह इतना टैक्स नहीं अदा कर सकेंगे। पैदावार इतनी नहीं है कि इस बड़े टैक्स के बोझ को वह बरदाश्त कर सकें और इन लोगों को अपनी जमीनें बेंच देनी पड़ेगी। मैं समझता हूं कि कोई भी अच्छा किसान जो अपने को किसान कहता है, वह अपने खेतों में इतनी पैदावार कर सकेगा। वह इतनी पैदावार जरूर कर सकता है जो कि खर्चा वगैरह निकाल कर के साढे बारह गुना मल्टीपुल के बराबर ही नहीं बल्कि उससे ज्यादा हो। अगर इससे कम कोई पैदा करता है तो मैं नहीं समझता वह कि सही मानों में खेती में कोई दिलचस्पी रखता है या किसी तरह की खेती करता है।

राजा वीरेन्द्र शाह—मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—यह सब चीज में दखल मुनासिब नहीं है। तो मैं माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि यह सरकिल रेट आज के बहुत पहले मुकर्रर हुआ था और उस समय सरकिल रेट को मुकर्रर करने का उसूल यह रहा था कि जो पैदावार हो उसका पांचवां हिस्सा सरकिल रेट को निर्ख होती थी। तो सरकिल रेट मुकर्रर हुये काफी जमाना हुआ और मैं यह तो नहीं कहता, जैसा कि हमारे माननीय सदस्य श्री राम लखन जी ने अपनी स्पीच के दौरान में कहा कि उस वक्त जमींदारों ने बहुत कम सरकिल रेट मुकर्रर कराया लेकिन यह ठीक है कि उक्त जो सरकिल रेट लगा वह सही लगा और प्रोड्यूस का १/५ उस वक्त मुकर्रर किया गया था। तो उस हिसाब से भी अगर देखा जाय तो उस जमाने की प्राइस से आज की अनाज की प्राइसेज पांच और छः गुनी हो गई है। अगर हम पांच गुनी भी प्राइसेज मान लें तो पांच का पांच गुना पच्चीस हुआ। पच्चीस रुपया अगर हम आमदनी मान लें और उसमें से ४० परसेंट अगर हम निकाल दें खर्चे का तो भी साढे बारह से ज्यादा पड़ता है। इसलिये साढे बारह गुना मल्टीपुल किसी सूरत से यह नहीं कहा जा सकता कि मौजूदा जमाने के लिहाज से उस सरकिल रेट से जो निर्ख पहले मुकर्रर हुआ था उससे इस पैदावार में मुनासिब नहीं है। वैसे भी मैं माननीय सदस्यों को बतलाना चाहता हूं कि हमारे सूबे का औसत सर्किल रेट ५.८ है। अगर ५.८ को साढे बारह से मल्टीप्लाई कर दिया जाय तो वह करीब साढे बहत्तर आयेगा। इसे बढा कर ७५ मान लीजिये अगर और उसमें से ४० परसेंट खर्च का निकाल कर रखा जाय ६० परसेंट तो वह १२० रुपया फी एकड़ के हिसाब का औसत आता है। तो १२० रुपया फी एकड़ पैदावार आज जिस किसान की नहीं है, वह मैं नहीं समझता कि आज जब कि सिंचाई के इतने साधन उपलब्ध हैं और खेती में ट्रैक्टर्स या दूसरे साधनों से काम लिया जा रहा है, कैसे खेती करता है। और यह तो बड़े फार्म्स की बात है, उनका तो दावा है कि वह छोटे किसान की बनिस्बत ज्यादा पैदा करके सरकार की मदद करते हैं। तो मैं नहीं समझता कि १२० फी एकड़ से कम की पैदावार कोई फार्मवाला कर सकता है या करके अपने को किसान बताने का दावा कर सकता है। हमारे माननीय गेंदा सिंह जी ने तो इस

संशोधन में एक अपना सुझाव देते हुये यह कहा कि साढे बारह गुना के बजाय १० गुना कर दिया जाय और यह दलील दी कि सरकार तो इन बड़े बड़े फार्म वालों की सहायता करने के लिये यह विधेयक साढे बारह गुना वाला उपस्थित किया है। अगर उनका १० गुना वाला संशोधन मान लिया जाय तो यह बड़े बड़े जो फार्म वाले हैं इनकी सहायता जो हम चाहते हैं कि हो जाय उनके इस सुझाव के मान लेने से नहीं होती है सहायता की दलील यह है कि सरकार चाहती है कि साढे बारह गुना टैक्स मल्टिपिल लगा दिया जाय तो यह बड़े फार्म वाले अपनी जमीन बेच करके रुपया जमा कर लेंगे और अगर नहीं लगाते तो यह बड़े फार्म वाले फिर अपनी जमीनें बेचेंगे नहीं रखे रहेंगे और जब माननीय गेंदा सिंहजी के हाथमें शासन की बागडोर आयेगी तो ३० एकड़ से ऊपर वालों की जमीन छीन कर भूमिहीनों को बांट देंगे। और इस तरह से अगर बांटेंगे तो पैसे वालों पर जमीन चली जायगी और माननीय महीलाल जी जो चाहते हैं कि ३० एकड़ से ज्यादा वालों की जमीन निकल जाय और भूमिहीनों को मिल जाय। तो हम भी यह जानते हैं कि अगर बड़े फार्म वाले अपनी जमीन बेंचेंगे तो भूमिहीन को मिलने की बात नहीं आती है, जिनके पास पैसा होगा उनको बेंचेंगे। लेकिन बेंचेंगे क्यों यही बात समझ में नहीं आती। अगर साढे बारह गुना हमने लगा दिया और माननीय गेंदा सिंह जी यह समझते हैं कि साढे १२ गुना लगान की वजह से वह अपनी जमीन बेंचेंगे और साढे बारह के मल्टिपिल की पैदावार नहीं कर सकेंगे तो मैं गेंदा सिंह जी से पूछूंगा कि वह साढे बारह गुना लगा करके जो जमीन बेच देंगे तो मैं उससे कम कर दूं ताकि वह जमीन अपनी न बेंचें। तो एक आर्बिट्रेरी तरीके से उन्होने १० गुने को क्यों समझ लिया? माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी का तो साढे सात है। तो वह उसको ही सपोर्ट करते और यह कहते कि साढे सात गुना रखा जाय ताकि वह जमीन न बेंचे। वह तो कहते हैं कि सरकार बहुत ज्यादती कर रही है। उन्होंने कह दिया कि साढे बारह गुना लगा करके सरकार इस तरह पर उनकी मदद कर रही है। मैं उनके कहने के ढंग की तारीफ करता हूं कि माननीय गेंदा सिंह जी अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे सरकार पर अटैक हो चाहे उनके अन्दर यह बिलकुल भी विश्वास नहीं है कि हम जिन बड़े फार्म वालों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, वह जानते हैं कि हम उनकी दलील के मुताबिक एक टैक्स की रकम को इन बड़े फार्म वालों से दर्जा ब दर्जा वसूल कर रहे हैं और उनके ऊपर टैक्स को बराबर उन्हीं के कहने के मुताबिक लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी यह दलील देते हैं कि सरकार तो उनकी मदद कर रही है ताकि वह अपनी जमीन को बेंच करके रुपया इकट्ठा कर लें और उसके प्रमाण स्वरूप उन्होंने जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम को उपस्थित किया और जमींदारों ने अपनी जमीनें बेंच करके पट्टा करके बड़ा रुपया वसूल कर लिया। तो मैं माननीय गेंदा सिंह जी से फिर यही पूंछना चाहता हूं कि अगर यह दलील सही है तो आपने कहा कि १० गुना रखा जाय यह १० गुना आपको कैसे पसन्द आ गया? इससे तो आपको बहुत नफरत थी, यह आपको कैसे पसन्द आ गया साढे सात गुना कहते या उससे भी कम कहते। उन्होंने अपनी बात कहते हुये यह कहा कि एग्रीकल्चर पर तो औरों की तरह से टैक्स का बोझ लादना मुनासिब नहीं है। किसान के लिये ज्यादा सुविधा होनी चाहिये और इस तरीके पर तो फिर खेती की तरक्की रुक जायगी। मैं माननीय गेंदा सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि उनको विश्वास खेती की तरक्की में आया इसमें है कि बड़े बड़े फार्मों के जरिये से खेती हो, उसमें ज्यादा तरक्की समझते हैं। या छोटे छोटे खेतों के जरिये से मुल्क की पैदावार बढ़ सकती है, अगर उनको यह यकीन है, अगर मेरे समझने में गल्ती नहीं है तो मैं समझता हूं कि बड़े फार्मों की पैदावार मुकाबलतन छोटे छोटे होल्डिंग्स जो १४, १५ एकड़ के हैं, उनके जरिये से कम होती है। अगर उनका यह ख्याल है जैसा कि मैं समझता हूं और मेरा ख्याल है कि छोटे छोटे होल्डिंग्स में पैदावार ज्यादा होती है तो फिर मैं श्री गेंदा सिंह जी का ध्यान इधर दिलाता हूं कि खेती की तरक्की होगी और मुल्क की पैदावार बढ़ेगी। अगर यह बड़े फार्म वाले थोड़ी थोड़ी करके अपनी जमीन निकाल दें, बल्कि वे तो निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि ३० एकड़ से ज्यादा कोई खरीद नहीं सकता है। इसलिये अगर थोड़ी थोड़ी करके निकाल दें और छोटी छोटी होल्डिंग्स हो जायं तो खेती की तरक्की को नुकसान नहीं

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

हो सकता है। इसलिये अगर थोड़ी थोड़ी करके निकाल दें और छोटी छोटी होल्डिंग्स हो जायं तो खेती की तरक्की को नुकसान नहीं हो सकता है और मुल्क की पैदावार भी बढ़ेगी और जिन बड़े बड़े फार्म वालों के हाथ में ज्यादा जमीन है.....

राजा वीरेन्द्र शाह--श्रीमन्, मेरा सवाल यह है--

श्री उपाध्यक्ष--आपका कोई प्वाइंट आफ आर्डर हो तो कहिये, सवाल की मैं इजाजत नहीं दे सकता।

राजा वीरेन्द्र शाह--प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि माननीय मंत्री जी ने बिना साबित किये हुये यह फरमाया बड़े फार्मों के मुताल्लिक कि इनसे ज्यादा पैदावार छोटे छोटे होल्डिंग्स में होती है यानी बड़े फार्मों में पैदावार कम होती है तो क्या कोई अथारिटी है ?

श्री उपाध्यक्ष--यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--मैं यह निवेदन कर रहा था कि श्री गेंदा सिंह जी खेती की तरक्की की बात कहते हैं तो बड़े फार्म वाले जो किसानी करना नहीं जानते हैं या सही माने में पैदावार नहीं बढ़ा पाते हैं या जो स्टैंडर्ड है कि १२० रुपये फी एकड़ होनी चाहिये, अगर उतना नहीं करते हैं और थोड़ा थोड़ा करके वह अपने फार्मों को दूसरों को दे देते हैं तो इससे दो फायदे होंगे। एक तो यह कि जमीन किसानों के हाथ में चली जायगी और किसान ज्यादा पैदावार करेंगे। दूसरे यह कि श्री गेंदा सिंह जी की दलील के मुताबिक बड़े-बड़े फार्म टूट जायंगे और वह छोटे-छोटे फार्म की शक्ल में हो जायंगे जिनमें छोटे छोटे लोग आबाद हो जायंगे। मेरी समझ में नहीं आया कि इससे कैसे खेती को नुकसान पहुंचने जा रहा है।

अब रह गयी छोटे किसानों की बात तो यह स्पष्ट है कि ३० एकड़ से नीचे यह लगने वाला नहीं है और ४२०० रुपये से कम आमदनी पर लगने वाला नहीं है। अगर ४२०० रुपये पर भी न लगे तो आखिर कितने रुपयों पर लगे ? आखिर वह यह तो कहते हैं कि बड़ी आमदनी वालों पर कर लगना चाहिये और छोटे लोगों को बरी कर दिया जाय। अगर ४२०० रुपये वालों को बरी कर दिया जाय तो वह बतलायें अगर श्री गेंदा सिंह जी सोचते हैं कि ४२०० की आमदनी वाले किसान छोटे हैं तो फिर ५,०००, १०,००० आखिर कितने आमदनी वाले लोगों को बरी कर दें। अगर ३० एकड़ वाले लोगों को वह छोटे समझते हैं तो बतला दें कितने तक ऊपर वालों को छोड़ दिया जाय।

हम लोगों ने सोचा कि ३० एकड़ वाले किसान अपने परिवार का अच्छी तरह से गुजर बसर कर सकता है। इसलिये हमने उनको और ४२०० रुपये से कम आमदनी वालों को छोड़ दिया। अब यह कहें कि सरकार किसानों के ऊपर बोझा लाद रही है खेती की तरक्की रुक जायगी तो मेरी समझ में उनकी दलील नहीं आई। वैसे माननीय गेंदा सिंह जी अपनी दलीलों में काफी जहां सरकार को गलत साबित करना होता है, जब यह कहना होता है कि सरकार जो कुछ करती है उसका मोटिव कुछ दूसरा होता है, तो जमींदारों से गठबंधन जोड़ने की बात करते हैं, वही इसमें भी माननीय गेंदा सिंह जी ने ला दी कि वह तो भूतपूर्व जमींदारों या बड़े फार्म वालों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि यदि माननीय गेंदा सिंह जी मेरी बातों पर जरा भी विचार करेंगे तो उनको स्पष्ट हो जायगा कि जो उसूल इसमें रखा गया है वह बड़ी

सफाई के साथ और एक सिद्धान्त के अनुसार रखा गया है जिसको मैं दुहराना नहीं चाहता और कई माननीय सदस्यों ने कह भी दिया है। उसके अनुसार टैक्सेशन की जो व्यवस्था इसके अन्दर रखी गयी है वह उसी के अनुसार है।

अभी हमारे ख्वाजा साहब ने कुछ सुझाव दिया, कुछ गेहूं की कीमत के सम्बन्ध में लेकिन उन्होंने अपनी बहस के दौरान में यह भी कहा कि इसमें तो साढ़े बारह गुना तक की बात रखी गयी है और इसमें सरकार को पूरा अधिकार होगा इसको कम करने का, साढ़े बारह गुना अगर कम करे, और उनका सुझाव है कि प्राइस के साथ जोड़ दिया जाय। वैसे तो जो भी सुझाव इस भवन के माननीय सदस्य समय समय पर देते हैं सरकार हमेशा गौर करती है और जब भी कोई अवसर ऐसा आता है तो यह नहीं है कि एक बार जो इस सरकार ने कह दिया उसी बात पर कोई हठवादिता से काम ले, और वह तो हालांकि हमें इस बात का सबूत देते हैं कि हमने किसी बात को हठवादिता से नहीं किया, जब जरूरत पड़ी तब भवन के माननीय सदस्यों के सुझाव और परिस्थिति के अनुसार अपने ही बनाये अधिनियमों में समय समय पर संशोधन किया। इसके लिये बजाय इसके कि हमारे विरोधी दल के लोग हमारा उत्साह बढ़ाएं कि समय और परिस्थितियों के अनुसार उनके सुझावों के अनुसार हम उनमें परिवर्तन करते हैं, वह आक्षेप करते हैं कि यह सरकार तो हमेशा अपने बनाये हुए अधिनियमों में थोड़े दिनों के बाद संशोधन करने लगती है। लेकिन मैं तो यह कहूंगा कि ज्यों ज्यों जमाने की रफ्तार बढ़ती है ज्यों ज्यों समय जैसी हमें सलाह देता है और ज्यों ज्यों इस माननीय सदन के सदस्य हमें अपनी सलाह से फायदा पहुंचाते हैं हम उसी के अनुसार विचार करके काम करते हैं। हम तो इस बात के लिए हमेशा तैयार हैं कि जब भी माननीय सदस्य इस भवन में सलाह देंगे, जैसी अवस्था और जैसी परिस्थिति होगी उसके अनुसार ही हम कार्य करेंगे। मैं ज्यादा और कहना नहीं चाहता। मैं सिर्फ माननीय गेंदा सिंह जी से यही निवेदन करना चाहता हूं कि वे सरकार के ऊपर इस प्रकार का जो एक अभियोग लगाते रहते हैं कि वह तो जो बड़े आदमी हैं उनकी सहायता के लिए, उसी मोटिव से जो कुछ करते हैं वह करते हैं, वैसा ही विधेयक प्रस्तुत करते हैं, और उनका फायदा पहुंचाना चाहते हैं, मैं तो उनसे यही दरख्वास्त करता हूं और माननीय गेंदा सिंह जी जो इस विधेयक में इस तरह से जो दलील रखते हैं वह मुनासिब दलील नहीं है। वह तो जिधर के रहने वाले हैं उधर के जिलों में उन्होंने देखा है कि अगर कोई तीन एकड़ का भी किसान है और उसके पास खेती के साधन हैं, बैल भी हैं, उतने ही में उसके पूरे परिवार का गुजर हो जाता है। उसके बाल बच्चे उसी में गुजर बसर कर लेते हैं। उसी के अन्दर उनके शादी विवाह और सारे काम हो जाते हैं। ऐसी दशा में मैं समझता हूं कि माननीय वीरेन्द्रशाह जी ने जो कहा कोई दलील नहीं है तो मैं कहता हूं कि एक मोटी दलील यही है कि जो आज दस दस आदमी एक परिवार के, तीन एकड़ में गुजर कर लेते हैं वह तीन एकड़ में जितना पैदा कर लेते हैं उस हिसाब से परता लगा कर अगर देखा जाय तो बड़े फार्मों में उससे कहीं ज्यादा पैदावार का अंश कम होता है और जितने बड़े फार्म में जितने आदमियों का गुजर हो सकता है उससे कहीं ज्यादा आदमियों की गुजर हो सकती है, अगर वह छोटे परिवार वालों के पास पहुंच जायं। वैसे मैं यह नहीं कहता कि आज जितने गांव में रहने वाले हैं सभी खेती ही में गुजर करने लगें क्योंकि यह असम्भव सी चीज है। लेकिन फिर भी जो आज भूमि हीन हैं जो कि अधिकतर खेतिहर मजदूर हैं, लेकिन एक आध एकड़ अगर कहीं से हलवाही या शिकमी पर खेत लेकर अपनी आमदनी को सप्लीमेंट करते हैं, ऐसे लोगों को अगर कुछ और मिल जाय तो उनकी अच्छी तरह से गुजर हो जायगी। बाकी कुछ लोगों को उद्योग धधों की तरफ भी जाना चाहिये, उद्योग धंधों की भी उन्नति होनी चाहिये और उसके लिये समय आ ही रहा है जब कि हमारे देश के उद्योगधंधों में अधिक से अधिक लोग लगेंगे। इस तरीके से भूमि पर दबाव कम होगा। लेकिन साथ

[श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य]

ही साथ हम यह भी चाहते हैं कि जो लोग आज थोड़ी जमीन में खेती करने वाले हैं उनके पास इकोनामिक होल्डिंग है और जो बड़े फार्म्स हैं जिनमें जितनी पैदावार होनी चाहिये नहीं होती है वह अगर छोटे फार्मों की शक्ल में तब्दील हो जायं तो उससे हमें कोई अफसोस नहीं होगा। अगर कोई बड़ा फार्म वाला जो मुनासिब पैदावार नहीं करता और टैक्स अदा करने से मजबूर हो जाता है और छोड़ने के लिये मजबूर हो जाता है तो उसके लिये मुझे अफसोस नहीं होगा।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने हाउस के माननीय सदस्यों को सुना, और माननीय पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब को भी सुना हाउस के सामने हमारे भाई गेंदासिंह जी ने कहा था कि मैं उन लोगों से जानना चाहता हूं कि जो थोड़ा बहुत अर्थ शास्त्र जानते हैं। लेकिन मैं माननीय गेंदा सिंह जी को गांव का अर्थ शास्त्र बतलाऊंगा। गांव में खेतों में दस मन धान होता है उसके हिसाब से, उसकी पैदावार का जो मार्केट रेट है, उसके हिसाब से उसको पचास गुना लाभ है जब कि दो सेर चावल एक रुपये का बिकता है। और ४ सेर धान हो गया और ४ सेर धान १ रुपये का हुआ। ठीक वैसे ही ५ मन गेहूं एक बीघे का आंक लिया जाय तब भी ५० रु० का लाभ होगा और उस पर लगान हुआ १ रु०। इस पर हमारे राजा लोग कहते हैं कि साढ़े ७ परसेंट से साढ़े बारह परसेंट क्यों कर दिया। मैं गांव के सही आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं। जब सरकारी कागजात में २० आने लगान लगता था और राजा लोग किसानों से साढ़े ३ रुपये लेते थे, पौने दो सौ गुना प्राफिट होता था। लेकिन यहां तो बजाय साढे ७ के साढ़े १२ ही लिया जा रहा है। मैं आपको बतलाऊं कि साढ़े १२ परसेंट सम्मानित सदन के सामने सन् ५३ में आया था और अब सन् ५४ में सरकार उसे लाई है और सरकार ने यह भी कह दिया इस अमेंडमेंट में कि जो लगान वसूल होगा उसका ही साढ़े १२ गुना लेंगे।

माननीय गेंदा सिंह जी ने एक बात कही थी कि उनके जिले के हरिजन भाई बेझड़ खाते हैं। कौन खिलाता है? गेंदा सिंह जी ही खिलाते हैं, कोई दूसरा नहीं खिलाता। देवरिया के ताल्लुकेदार और रईस खिलाते हैं। गेंदा सिंह जी २ बीघा खेत नहीं जोतते। अपनी रियासत के मैनेजर थे और लगान वसूल करते थे, डंडों से वसूल करते थे और आज वही गेंदा सिंह जी कहते हैं कि उनके यहां के किसान बेझड़ खाते हैं। कहना कुछ है और करना कुछ है। बाबू गेंदा सिंह बड़े भोले भाले हैं? भोलेभाले नहीं हैं, हवा पर उड़ते हैं। गवर्नमेंट ने जो यह रक्खा है वह हिसाब लगाकर, बड़े बड़े हिसाब के पंडितों ने हिसाब लगा कर रक्खा है। हमारे मुख्य मंत्री फाइनेंस के इतने बड़े विद्वान हैं कि भारतवर्ष में उतना बड़ा कोई विद्वान नहीं मिलेगा।

४२० का भी हिसाब लगाया गया। हमारे एक सम्मानित सदस्य ने ४२० का जिक्र किया और कहा कि ४२० का १० गुना कर दिया तो ४२०० रुपया होता है। गेंदा सिंह जी तसलीम करेंगे कि यह ४२० उन्हीं को मुबारक रहे, हम ४२० नहीं करते। इसी तरह से राज नारायण जी ने भी बहुत बढ़ चढ़ कर बातें कीं। "कहता तो बहुता मिला, गहता मिला न कोय"। प्रैक्टिकल काम करने की जरूरत है। मुल्क में हम डेमोक्रेसी चला रहे हैं। हम इन और आउट दोनों तरफ देखते हैं। मुस्लिम लीगी नीति को लेकर नहीं बैठे हैं। तिरंगे झंडे के नीचे हैं, एक उसल के मातहत हैं और जो चीज कहेंगे बिना पक्षपात के कहेंगे और जो संतुलन और ईमानदारी की बात होगी उसे रक्खेंगे। हम केवल चमार को ही रिप्रेजेंट नहीं करते, हम हिन्दू, मुसलमान, बड़े और छोटे सभी को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसी बात एक सोशलिस्ट मेम्बर के मुंह से सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ कि शिवनारायण भोलेभाले हैं। जिन्होंने संविधान बनाया हो उनको आप भोलाभाला समझते हैं। हर मेम्बर की इस हाउस के अन्दर डिगनिटी है और

अगर कोई उस डिगनिटी पर ख्याल न करे तो मैं इसे उस मेम्बर की बुद्धि पर छोड़ता हूं। मैं आपकी इजाजत से यह कहना चाहता हूं कि गेंदा सिंह जी ने कहा था कि वह एक शाब्दिक संशोधन पेश करना चाहते हैं। लेकिन मैं आर्थिक अमेंडमेंट करता हूं। उन्होंने तो शाब्दिक अमेंडमेंट किया है। लेकिन हम आर्थिक अमेंडमेंट करना चाहते हैं और उस सही हालत पर करना चाहते हैं जो आज देश की है। जो मारकेट में गेहूं की आज हालत है और जो उसकी बिक्री है उसके आधार पर ही हम इसमें यह संशोधन करना चाहते हैं। श्री गेंदा सिंह जी गन्ने पर लगाने के लिये क्यों नहीं कहते जिसके लिये वह आये दिन हड़ताल कराते रहते हैं। हमारे यहां तो गेहूं पैदा नहीं होता है। हम तो बरसात के दिनों में बेझड़ पैदा करके उसके जरिये से ही अपना निर्वाह करते हैं। तो वहां के लिये कुछ विचार अवश्य होना चाहिये। सब धान २२ पसेरी नहीं होना चाहिये। इसी प्रकार से ठीक ढंग से कलकुलेट किया जाय जहां पर गल्ले का ज्यादा रेट है वहां पर गौर करना चाहिये। श्री ख्वाजा साहब ने गवर्नमेंट पर अटैक किया। गवर्नमेंट की नीति पर किसी माननीय सदस्य को शक नहीं होना चाहिये और गवर्नमेंट पर सीधे अटैक भी नहीं करना चाहिये...

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा--आपकी यह गलत फहमी है। मैंने यह नहीं कहा और न मैंने गवर्नमेंट पर अटैक किया।

श्री शिवनारायण--यह ठीक है अगर आपने नहीं कहा। मगर मैंने ऐसा समझा था कि आपने उसको क्रिटिसाइज किया था कि उसने इस तरह से इस मल्टीपिल को रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने एक नीति और बतलाना चाहता हूं और वह यह है कि :

जाकी धन धरती हर्‌यो ताहि न लीजो संग।
जो संग राखत ही बने तो कर राख्यो अपंग।।

यह नीति चाणक्य के जमाने में चलती थी लेकिन आज की सरकार इस नीति पर नहीं चलती है। आज चन्द्रगुप्त का जमाना नहीं है। आज तो गांधी जी ने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पर हमारी सरकार चल रही है। नानवायलेन्स के जरिये से हमने स्वराज्य प्राप्त किया है और उसके जरिये से ही उसको पनपाना चाहते हैं और हम देश को ठीक ढंग से ले जाना चाहते हैं और जनता की सेवा करना चाहते हैं। धन धरती का सहारा लेकर देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसी आधार पर हम ७।। से १२।। कर रहे हैं। हम हृदय से प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारा देश आगे बढ़े और हमारी जनता का स्तर ऊंचा हो। हमारे मिनिस्टर साहब जो यहां पर बातें कहते हैं वह बहुत सोच समझ कर कहते हैं और जिम्मेदारी के साथ कहते हैं। इसलिये जो यह अमेंडमेंट आया है उसका मैं विरोध करता हूं और गवर्नमेंट की तरफ से जो ७।। के बजाय १२।। रखा गया है वह बिल्कुल ठीक है।

*श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---अध्यक्ष महोदय, यहां पर मैं हाजिर हुआ था, लेकिन मेरा कोई बोलने का इरादा नहीं था इसलिये कि हम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं, अपना प्वाइन्ट आफ व्यू यहां पर हाउस के सामने रखते हैं अगर हमारे नेता उसको मंजूर करते हैं तो उस पर हम जोर देते हैं और उसको मंजूर नहीं करते हैं तो हम उसको वापस लेते हैं। अभी शिवनारायण जी ने यहां पर एक दोहा कहा कि :

जाकी धन धरती हर्‌यो ताहि न लीजो संग।
जो संग राखत ही बने तो कर राख्यो अपंग।।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सीताराम शुक्ल]

जमींदारों की धरती अभी ली गयी लिहाजा उनसे बहुत होशियार रहना चाहिये और उनका साथ रखना ठीक नहीं है और अगर उनको रखना हो तो कमजोर करके साथ रखना चाहिये। इससे कुछ ग़लतफहमी हो सकती है। इसलिये मैंने यह मुनासिब समझा कि अपने प्वाइन्ट आफ व्यू को हाउस के सामने रख दूं। इसलिये मैं यहां पर कुछ अर्ज करने के लिये उपस्थित हुआ। सब जमींदारों ने कांग्रेस का विरोध नहीं किया..

श्री शिवनारायण--मैं प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं। मैंने जो यह "जाकी धन धरती हरयो" दोहा पढ़ कर सुनाया तो उस विषय में मैंने यह कहा कि चाणक्य के जमाने में यह होता था आज कल ऐसा नहीं होता है।

श्री उपाध्यक्ष--यह तो कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं है। यह तो प्वाइन्ट आफ एक्सप्लेनेशन है।

श्री सीताराम शुक्ल--तो मैं अर्ज करता हूं कि जिस वक्त बिगुल बजा इस स्वराज्य की लड़ाई का तो उपाध्यक्ष महोदय लोगों का ख्याल भी नहीं था कि स्वराज्य होगा बल्कि लोग कहा करते थे कि स्वराज्य नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे बतला देना चाहता हूं कि ज्यादातर पढ़े लिखे और पैसे वाले लोग ही जो कि आज सामने बैठे हुए हैं उसमें आये। राजा लोग भी इसमें काम करने के लिये आगे आये। एक राजा महेन्द्र प्रताप ने ही अपनी २७ हजार रुपये की जमींदारी की आमदनी एक दिन खैरात की थी और वे बगावत करके बाहर जर्मनी चले गये जब कि हमारे बहुत से बड़े-बड़े नेता अंग्रेजी फौज में भर्ती कर रहे थे, रिक्रूटिंग कर रहे थे। तो राजाओं ने सब से पहले इसमें भाग लिया। मैं खुद जमींदार के घर में पैदा हुआ हूं और मुझे इस बात का फख्र है कि मैं जमींदार के यहां पैदा हुआ हूं। अगर मैं जमींदार नहीं होता तो शायद कांग्रेस में भी नहीं आता। राजाओं के पास खाने के लिये रोटी थी, उनके पास पैसा था लेकिन जब उन्हें यह ख्याल आया कि हम तो ऐसे नालायक हैं कि अपने महल में पड़े हुए रोटी खा रहे हैं, और करोड़ों ऐसे हैं जो भूखों मर रहे हैं, और जिनके रहने के लिये झोपड़े भी नहीं हैं इसलिये हमको भी इसमें पार्ट लेना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य संशोधन पर आ जायं।

श्री सीता राम शुक्ल--मैंने तो पहले ही अर्ज कर दिया हुजूर कि संशोधन पर क्या बहस करनी है। जो आपका हुक्म होगा उसको तो हम मान ही लेंगे, उसकी पाबन्दी करेंगे। चूंकि आपकी स्पीच से गलत फहमी हो सकती थी इसलिये मैंने इसको साफ कर दिया कि सरकार ने जमींदारों का नुकसान करने के लिये ही जमींदारी को नहीं तोड़ा है बल्कि उससे गरीबों को लाभ होगा, इसलिये उसे तोड़ा है। जैसा कि बतलाया गया कि सरकार न गरीबों की दुश्मन है न जमींदारों की। अगर सड़कें बनेंगी, अगर स्कूल बनेंगे, अगर नहरें बनेंगी तो उससे सबको फायदा होगा, जमींदारों को भी फायदा होगा और काश्तकारों को भी फायदा होगा। कांग्रेस सरकार किसी की दुश्मन नहीं है। कांग्रेस सरकार सब की है और हर व्यक्ति कांग्रेस सरकार का है। इसलिये मैं अब इस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता जो हुक्म होगा उसका पालन करूंगा।

*श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जब इस संशोधन को पेश कर चुका था उसके उपरान्त माननीय श्री राजनारायण जी उठे और बहुत कुछ इस पर कहते गये परन्तु मुझे दुख है कि मैं श्री रामनरेश शुक्ल जी से सहमत हूं कि मैं यह नहीं समझ पाया कि वे मेरे संशोधन के विरोध में हैं या उसके पक्ष में हैं। श्रीमन्, जब कि वह भाषण दे रहे थे तो उस समय कहां तक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उस संशोधन के विषय में वे कह रहे थे, मुझे कुछ आश्चर्य ही था परन्तु उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं हैं जैसे कि उन्होंने यह कहा कि मैं दर्शनशास्त्र पर प्रकाश डालना चाहता था। परन्तु दुःख की बात है कि माननीय सम्पूर्णानन्द जी नहीं हैं इसलिये दिल टूटा जा रहा है और उनको प्रोत्साहन नहीं मिला। वे इतने हल्के नहीं हैं कि मैं उनको गोद में उठा कर लेकर बैठा दूं या माननीय चरण सिंह जी को ही माननीय सम्पूर्णानन्द जी में परिवर्तित कर दूं। वे साथ ही साथ यह भी कहते रहे कि उनके पास तो को जमीन है नहीं लेकिन उनके खानदान वालों के पास काफी जमीन है। और इसका भी सबूत देते रहे कि उनके पास ऐग्रीकल्चरल इनकम टैक्स का नोटिस भी आया है लेकिन वे इस सरकार से कुछ कहना नहीं चाहते हैं। इसलिये उन्होंने अपने भाई को लिख दिया है कि मुझसे इससे कोई सरोकार नहीं है, जो कुछ वे करना चाहें कर सकते हैं। श्रीमन्, मैं भलीभांति जानता हूं कि वे भूमि से सम्पन्न हैं। यदि वे भूमि और अर्थ से सम्पन्न नहीं होते तो सम्भवतः आज जो वे विरोधी दल के नेता बने हुए हैं उसमें बहुत सी कठिनाइयां हो सकती थीं। मैं यह भी समझता हूं कि उनकी भावनायें किस तरफ हैं। लेकिन कुछ परिस्थिति से विवश होकर वे कुछ ऐसा मार्ग अपनाते हैं जिसमें कहां तक उनको विश्वास है वे खुद समझ सकते हैं। लेकिन उनके पास जमीन भी है, उनके पास नोटिस भी आया है और वे किसानों के अधिकारों के रक्षक भी हैं। परन्तु उन किसानों के जो मालदार हैं और जिनके पास ३० एकड़ से अधिक जमीन है। या कोई उनकी सीमा है जिसको वह ठीक से व्यक्त नहीं कर पाये और हम रोगों पर वह दृष्टिगोचर नहीं हो पाया कि उनकी आखिर मंशा क्या है। एक चीज वह सरकार से चाहते थे लेकिन दुर्भाग्य वश आज माननीय चरण सिंह जी यहां मौजूद नहीं हैं और जहां तक श्री द्वारका प्रसाद मौर्य जी का प्रश्न है उन्होंने भी बताने का कष्ट नहीं किया। वह जानना चाहते थे कि ७॥ रहे या १२॥ रहे लेकिन उन्होंने तो उसको छोड़ कर केवल ३० एकड़ के सम्बन्ध में ही ज्यादातर कहा जो कि पहले ही अस्वीकार हो चुका था और उस समय उसका विषय भी नहीं था। अगर माननीय सदस्य समझते हों कि मैं असंगत बात कह रहा हूं तो मुझे मजबूरी होती है और मैं मजबूर हूं यहां पर उसका जिक्र करने पर बिल्कुल विवश हूं कि कैसे उनका जवाब दूं और सदन के सामने रखूं। माननीय गेंदा सिंह जी ने बहुत कुछ कहा, भविष्य में फिर इस पर प्रकाश डालूंगा लेकिन मैं माननीय राजनारायण जी की बातों को नहीं समझ पाया और मैं समझता हूं कि अधिकांश हाउस का विचार यही है कि उनके मंशा को कोई नहीं समझ पाया, क्या उनकी दलील थी क्या वह चाहते थे, किसी अंश में भी कोई नहीं कह सकता कि क्या उनकी कठिनाई थी, मुमकिन है कोई किसी मात्रा में थोड़ा बहुत समझ पाया हो लेकिन अधिकतर तो कोई उनकी बात को समझ नहीं पाया और सभी असफल रहे।

अभी माननीय रामनरेश शुक्ल ने भी इस पर कुछ प्रकाश डाला और मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि वह यह भूल गये कि यह एक साधारण सा संशोधन इस विषय में है कि मलटिपिल को १२॥ से घटाकर ७॥ कर दिया जाय, उन्होंने इस पर प्रकाश न डालकर इसको फिक्सेशन आफ दि सीलिंग आफ लैंड का प्रश्न बना दिया और कहा कि ३० एकड़ से अधिक किसी के पास नहीं रहने पायेगी। लेकिन मैं आपका श्रीमन् ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप अवश्य नहीं चाहते कि ३० एकड़ से अधिक लोगों के पास रहें लेकिन जमींदारी अबालिशन ऐक्ट में भी सरकार का साहस नहीं हुआ और उसकी हिम्मत नहीं हुई यह करने की कि ३० एकड़ से अधिक जमीन किसी के पास न रह सकेगी। आज उनका यह कहना बेकार है, बेमानी है, निरर्थक है आधार रहित है, कि हम तो यह पहले से ही कहते थे। जब तक प्रदेश में आप सीलिंग तै नहीं करते हैं तब तक ऐसा कहना धोखा है। वह यह तक नहीं समझते हैं कि संशोधन किस विषय पर है, आज भी उन्होंने ३० एकड़ का विषय छेड़ दिया। उनकी भावना तो यह है कि ऐसा सुनकर बड़े फार्म वाले अपने फार्म विवश हो कर बेंच डालेंगे

[श्री अवधेशप्रताप सिंह]

और इस तरह से एक नेशनल असेट को धक्का पहुंच जायगा। लेकिन इन सब बातों का ख्याल न करते हुये समाजवादी भाइयों को प्रसन्न करने के लिये उनकी हिम्मत उस दिन न हुई जब कि माननीय गेंदा सिंह जी का प्रस्ताव आया था? आज उन्होंने इस तरह बिल्कुल बेमौके, असामयिक और प्रयोजन रहित बातें कहीं, लेकिन मैं समझता हूं कि एक जिम्मेदार पार्टी के व्हिप के लिये यह कहना कदापि न्यायसंगत नहीं।

यह भी नहीं है कि वह इस प्रदेश की परिस्थिति को न जानते हों, वह प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं और खूबी तो यह भी है कि वकील भी हैं और कायदे कानून को जानते हैं, लेकिन कहते क्या हैं कि ३० एकड़ से ज्यादा जमीन किसी के पास नहीं रहेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि कहां कहां जमींदारी अबालिशन ऐक्ट में इसका जिक्र है कि किसी के पास ३० एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रह सकती है। कांस्टीट्यूशन के सेक्शन १९, मौलिक अधिकारों वाली बात के होते हुये हमें मजाज है कि हम तीस एकड़ रखें उससे अधिक रखें नहीं उसको डिस्पोज भी कर सकते हैं, डिस्प्लेस भी कर सकते हैं। चाहे उनकी नीयत कुछ भी रही हो लेकिन संविधान के रहते हुये वह सब नहीं हो सकता। जो लोग अधिक विश्वास संविधान में नहीं करते थे और मनमानी बात कहा करते थे लेकिन माननीय डाक्टर लोहिया जी के छूटने के उपरान्त तो अब उनको संविधान पर भरोसा होना ही चाहिये और अगर वह नहीं होता तो यह मार्शल लॉ विदाउट नेम जो स्पेशल पावर्स ऐक्ट था वह खत्म न हुआ होता और आज यह दिन न आया होता कि लोग समझते कि सरकार एक नाजायज हरकत कर रही थी और हम लोग ठीक थे।

इसके बाद मैं माननीय महीलाल जी की बात के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। वह इस प्रदेश के रहने वाले हैं और जब इस विधान सभा में विराजमान हैं तो इसमें किसी बात की शंका भी नहीं है। परन्तु दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनको आज तक इस बात का पता नहीं है कि अगर बड़े फार्म वालों के लिये सरकार की तरफ से हल बैल के लिये जो धन दिया गया है तो वह तकावी की बेसिस पर दिया गया है और बहुत सी ऐसी भी चीजें दी गई हैं जिसमें एक तिहाई ही सहायता रही है और दो तिहाई उन लोगों को स्वयं अपना धन व्यय करना पड़ा। क्या आज उनको पता नहीं है कि इस प्रदेश में तकावी ऐक्ट है, उसके रूल्स हैं और जो सहायता लोगों को, फार्मओनर्स को दी गई है वह उन्हीं तक सीमित नहीं रही है बल्कि वह इमदाद जो छोटे किसान हैं उनको भी दी गई और उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। तो इन सब बातों को कहना जिनका उन्हें परिज्ञान न हो उचित नहीं है। जब तक उनकी जायदाद है अगर जायदाद और सम्पत्ति रखने का नियम इस मुल्क में रहा तो जब तक सम्पत्ति है तब तक यह तकावी का धन चाहे वह छोटे हों या बड़े सबसे वसूल किया जायगा।

श्री महीलाल--और ट्यूबवेल्स बनाने के लिये सबसिडी दी गई।

श्री अवधेशप्रताप सिंह--श्रीमन्, एक नवीन बात उन्होंने कह दी कि सबसिडी, श्रीमन्, सबसिडी तो सबको दी गई। वह तो महीलाल जी को भी मिल सकती थी। और अगर यह सरकार इसमें डिस्क्रीमिनेशन करती है तो मैं आशा करता हूं कि आप उस जगह से इस जगह चले आइये। फिर आपके लिये वहां स्थान नहीं है। तो, श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि सबसिडी किसी एक वर्ग के लिये नहीं है। इस प्रदेश के जितने निवासी हैं कानूनन तकावी रूल्स में या कोई ग्रांट इन एड हो चाहे वह सेंटर का हो या प्रदेश का उसमें इस तरह का कोई डिस्क्रमिनेशन नहीं होता। अतः इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है, जिन पर महीलाल जी इतना जोर दे रहे थे। उनका यह कहना था कि बड़े-बड़े फार्म होल्डर्स ने बहुत अत्याचार और अन्याय किये। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं—पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता, बल्कि सिर्फ याद उनको दिलाना चाहता हूं, कि बड़े जमींदारों ने या बड़े फार्म होल्डर्स ने, किसी ने अत्याचार नहीं किया। एक मौलिक अधिकार जो अधिकार कि उनको भारतीय संविधान द्वारा मिला था, कि

वह एक राइट होल्ड करते थे किसी प्रापरटी को होल्ड करने या डिस्पोज करने का, उसका यूज करके अगर उन्होंने खेती की सीमा को बढ़ाया हो, तो वह अत्याचार नहीं है। इस सरकार को ऐसा करते हुये लज्जा आनी चाहिये क्योंकि उसी का यह कहना था, उसके बड़े-बड़े मिनिस्टर्स और दूसरे नेता सभी उस जमाने में कह रहे थे कि अधिक अन्न उपजाओ, अधिक अन्न उपजाने से ही देश का, प्रदेश का कल्याण होगा क्योंकि देश की आबादी के लिये अन्न की कमी है। उसी समय ग्रो मोर फूड कंपेन चल रहा था और हर आदमी पर जोर डाला गया था कि वह खेती करे और अधिक अन्न पैदा करे। उस समय यही एक विचार धारा थी कि अधिक अन्न पैदा करके देश की माली हालत अच्छी होगी और तभी लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठ सकता है। आज जब उस आश्वासन पर लोगों ने फार्म्स बनाये, ऊसर जमीन को तोड़ा, जमीन को खेती के लायक बनाया और अभी तक उसमें से उनका लगाया हुआ रुपया भी नहीं निकल पाया है आप इस विधेयक को लाकर सब नष्ट भ्रष्ट कर देना चाहते हैं। अगर आप इसी पर उतारू हैं तो मैं आपसे यह कह देना चाहता हूं कि इसका परिणाम यह होगा कि बावजूद आपके न चाहते इधर के बैठने वाले के लोगों के न चाहते हुये और उधर के बैठने वाले लोगों के न चाहते हुये, देश की तमाम पार्टियों के न चाहते हुये भी देश में साम्यवाद, कम्युनिज्म फैल जायगा। एक तरफ ग्रो मोर फूड कंपेन है, दूसरी तरफ आपके पांच साला प्लान में भारत के नव निर्माण के लिये उसके कल्याण के लिये ज्यादा से ज्यादा रुपया कृषि पर खर्च किया जा रहा है, आप इसके लिये दूसरे मुल्कों से भी इमदाद लेते हैं और आप जिसके लिये इतना अधिक धन सर्फ कर चुके हैं देश में, आज इस तरह का बिल लाकर प्रगति पर कुठाराघात करना चाहते हैं और अपने किये धरे पर पानी फेर देना चाहते हैं। यदि आपकी यही नीति है तो नहीं समझता हूं कि आप राष्ट्र के लिये कितना कल्याण कर पायेंगे।

श्रीमन्, मैं इस पक्ष तथा उस पक्ष को दोनों को यह बताना चाहता हूं कि जहां पर वह यह न समझते हों और यहां पर समझने का कष्ट न करते हों कि आज भारत में ८५ फीसदी लोग कृषि पर निर्भर हैं आज इस कृषि से हर किसान को एक ही काम नहीं है कि आपका पंचायत टैक्स दे, इरीगेशन टैक्स दे और अपना लगान दें और लोकल सेसेज दे, जमींदारों को नजराना दे। इसके अलावा और जो काम हैं, आज उसी में उसका पहनना है, उसी में आपत्ति-काल के लिये कुछ रखे, ब्याह है तो उसके लिये भी है। एक नीति पर, एक योजना बनाकर पहले फेज में तीन साल तो खत्म कर चुके और जब अन्त होने लगा तो जैसे एग्रीकल्चर की उन्नति पर आज जितने प्रोजेक्ट्स हैं, जितने कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स हैं इस प्रदेश में और जितने नेशनल एक्सटेंशन सरविस ब्लाक्स बने हुये हैं इनमें क्या हो रहा है? किस जगह उन्नति है? अगर उन्नति का दावा करते हैं यह कहते हैं कि हम ट्यूब वैल दे रहे हैं। तुम्हारी सिंचाई के लिये प्रबन्ध कर रहे हैं। आज किसान उतना एमोनियम सल्फेट भी नहीं डाल सकता है जो आपके विशेषज्ञ बता सकते हैं। यह मैं चाहूंगा कि यह भूल जायं कि मैं किस पक्ष का हूं। केवल मेरी बातों को ध्यान में रखें। चाहे मेरा संशोधन अस्वीकार करें पर सुनने की कृपा करें। जो आप रुपया उधार ले रहे हैं इसका क्या नतीजा हो रहा है। यह जो पुश्त चल रही है और दो पुश्तें और सरकार की मकरूज रहेंगी। श्रीमन्, इन सब चीजों के देखते हुये जब एक तरफ गल्ले का भाव कम हो और दूसरी चीजों के भाव में न्यूनता हो तो यह कहां तक मुनासिब है? जिस सिद्धांत के आधार पर इस गुणांक को साढ़े सात से साढ़े बारह किया गया, इसके बारे में मैंने कल बताया था। माननीय सचिव के भाषण में यह दिखाई देता था कि इसी आधार पर यह इसमें गुणांक में वृद्धि हुई है। क्या वह करवटें हर साल लेंगे? वह सिद्धांत कहां उड़ गया, क्या उनकी आंखों पर यह परदा है, क्या वह यह नहीं जानते हैं कि गल्ले का भाव गिर रहा है और दूसरे पदार्थों में उतनी कमी नहीं है? परचेजिंग पावर लोगों की कम है। सरकार को केवल टैक्सेज से ही सरोकार है।

श्रीमन्, एक माननीय सदस्यने उस पक्ष से यह फरमाया था कि ४० वर्ष से सर्किल रेट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर मैंने उनको ठीक सुना तो मैं यह समझता हूं कि इस बात को वह भूल चुके हैं कि बन्दोबस्त हाल, मैं समझता हूं कि जब इस प्रदेश में था तो वह कहीं

[श्री अवधेशप्रताप सिंह]

यूरप में विराज मान थे। श्रीमन्, सर्किल रेट के बारे में कहा गया कि कम करा दिया। अगर कम करा दिया तो सरकार दूसरा बन्दोबस्त करा डाले, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। जहां आपकी चकबन्दी चल रही है उस जगह तो कम होता ही नहीं। जब आप प्रदेश का बन्दोबस्त करने के लिये साहस करेंगे उस दिन के लिये मैं इंतजार करूंगा। आजकल भारत में आज इस प्रदेश के लिये उन्नति के लिये, निर्माण के लिये आदमी को कत्ल करना मुनासिब है, घर लूटना मुनासिब है। जो कुछ अन्याय और अत्याचार किया जा सके वह उचित है, इसलिये कि यह रुपया जायगा निर्माण के लिये। श्रीमन्, आज क्या वह सीमा नहीं पहुंच चुकी है जब कि इस सूबे का हर एक निवासी इन करों के भार से ऊब रहा है। आज यह हालत हो गई है कि इनके दल वाले देखते ही रह जायेंगे और अगर वह हाथ से निकल गये तो फिर काबू में नहीं आ सकेंगे। इधर के हों या उधर के हों लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसी नीति से न इनके हाथ में रहेंगे न उनके साथ में रहेंगे। श्रीमन्, अभी श्री गेंदा सिंह जी ने एक संशोधन रखा था। जहां तक सिद्धांतों का प्रश्न था, आप क्यों परेशान होते हैं जो इस सदन में आया है, उन सबको अधिकार है सोचने का। यदि आप सोच सकते हैं तो मैं भी सोच सकता हूं और मैं आप से अच्छी हालत में हूं।

जहां तक सिद्धांत का प्रश्न है श्रीमन्, मैं इस बात को मानता हूं कि आज जरूरत इस बात की है कि यह गुना कम किया जाय। लेकिन वह अगर साढ़े बारह गुना से दस गुना किया जाता है तो इससे कोई लाभ नहीं पहुंच पाता है। अगर लाभ पहुंचता होता तो मैं उनके संशोधन को अवश्य स्वीकार कर लेता। लेकिन उनकी नीयत ठीक है। हम चाहते हैं कि किसानों पर बोझा न पड़े मगर यह नहीं समझ पाये, अगर श्री गेंदा सिंह जी न समझें तो मुझे कोई शिकायत नहीं है।

एक सबसे बड़ी बात जो हम पर इस विषय में लांछन की थी वह इस पक्ष में थी कि आज आप उनको चेतावनी दे रहे हैं कि ३० एकड़ से ऊपर जो आराजी है उसको जमींदार बेच डालें श्रीमन्, मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि उसको बेचने पर कब प्रतिबन्ध था और क्या कोई जमींदार इतना मूर्ख है या कोई किसान इस तरह का है, जिसके पास ३० एकड़ से भूमि अधिक है वह यह न समझ पाये कि उनकी नीयत क्या है और साथ-साथ आपकी नीयत क्या है। अगर उनकी नीयत में कुछ शंका की जा सकती है कि यह बदनीयती है तो आप ढिंढोरा पीटते हैं कि कितने बदनीयत हैं।

श्रीमन्, आज व्यक्तिगत सम्पत्ति के विषय में जो हमारे यहां कुठाराघात किया जा रहा है, दूसरे मुल्कों की महज नकल के हेतु कि अगर वह चीज कहीं सुन ली तो उसको करने पर इस जगह पर भी आमादा है। जैसे कि हमारे ख्वाजा साहब ने चायना की बात सुन ली। उन्होंने समझा कि यही हमारे यहां भी मुनासिब होगा। ताज्जुब है कि आप ऐसी बात चाहते हैं। एक बात कहता हूं कि अगर वह अपनी बात मौके से कहते यानी मंत्री महोदय के कमरे में कहते तो अच्छा होता कि हम नहीं सुन पाते और हमें उसकी आलोचना करने का मौका न मिलता।

हां, तो मैं यह कह रहा था कि बेचने के लिये न तो पहले कोई प्रतिबन्ध था और न अब है। जब तक हमारा संविधान है, एक दल नहीं चाहे जितने दल हों और सब चिल्लाते रहें लेकिन हमें कोई भय नहीं है। लेकिन हम यह देखना चाहते हैं कि आप कितने गहरे हैं और आप क्या चाहते हैं। हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। हम तो मिट ही जायेंगे लेकिन तुमको मिटते तो देर भी नहीं लगेगी। हम तो शताब्दियों से चले आ रहे हैं लेकिन आपकी तो ५ साल में ही नीवें हिलती दिखाई पड़ती है, लेकिन इनकी तो ढाई साल में ही दिखाई देंगी। मैं चाहता हूं कि आप भी आयें ताकि एक बार आने के बाद फिर न दिखाई पड़ें। श्रीमन्, सुल्तानपुर के माननीय कुंवर कृष्ण वर्मा साहब ने अर्ज किया इस सदन में कि इस मल्टिपिल और गुणांक से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ६ (२) बी के अधीन जितना लगान हो उसका साढ़े बारह गुना करा के जो चाहें कृषि आय कर कर दें और जो चाहें वह हिसाब किताब कराकर और उस पर कटौती करा देना

चाहें तो वह भी कर सकते हैं। इसमें कोई फर्क नहीं हुआ ? वह भी वकील हैं, मेरे पड़ोसी हैं और मेरे घर से २० मील दूर के हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि वह सदन में एक चीज कहते हैं और दूसरी जगह जब वकालत करते हैं तो वही चीज स्वीकार करते हैं। न मालूम यहां द्वारिका प्रसाद मौर्य का क्या जादू है कि उनकी जितनी बुद्धि है वह भ्रष्ट हो जाती है। वह सही चीज को भी खुश करने की नीयत से गलत कहना शुरू कर देते हैं। श्रीमन्, उनको यह पता नहीं कि गुणांक में यदि कोई अन्तर हो तो उससे कोई आमदनी पर या कृषि आय कर पर अन्तर या फर्क हो सकता है, इसका कुछ पता नहीं है।

उधर माननीय ख्वाजा साहब, जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया चायना की बात करते रहे थे कि व्होट को स्टैंडर्ड मान कर, जहां तक मल्टिपिल का प्रश्न है, कैलकुलेशन पर डिटरमिनेशन किया जाय। मैं समझता हूं कि यदि उनके सुझाव को माना जाय तो इस बिल को उड़ा दें, ताक पर रख दें, इसको हटा दें। आज सदन एक दूसरा काम करे और इस पर कोई वाद विवाद न हो तो विवाद न हो तो कहीं अच्छा है। मैं यह मानता हूं कि सदन में केवल एक ही माननीय सदस्य हैं जिन्होंने इसको भली भांति समझा। मैं ख्वाजा साहब के लिये इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि वह ही केवल एक सदस्य हैं जिन्होंने इसको समझने की कोशिश की उस पक्ष में, और जिन्होंने काफी हद तक उसको समझा है। उन्होंने वीरेंद्र शाह जी के ऊपर जो आपत्ति की तो वह इस वजह से की होगी कि संभवतः उनके पास अंग्रेजी की कापी इस बिल की नहीं रही होगी। यह महज गलतफहमी हो सकती है और आपके द्वारा मैं उनको बता देना चाहता हूं कि यह तब भी साढ़े सात मैक्सिमम था और अब भी वह साढ़े बारह रखा गया है। उनका यह कहना था कि पहले जो था वह साढ़े सात फीसदी था और अब साढ़े बारह एक मैक्सिमम लिमिट रख दी गयी है। मैं समझता हूं कि यह हिन्दी की वजह से उनकी समझ में नहीं आया और अगर पार्टी के अनुशासन का प्रश्न न होता तो वह आज इस भवन में निहायत शानदार तकरीर करते और अपनी बातों को अच्छी तरह से इजहार कर सकते। लेकिन उस मजबूरी से उनका दिल चाहता हुआ भी आज विवश है।

श्रीमन्, जहां तक माननीय शिवनारायण जी का संबंध है, उनका तो न कहना ही मैं भला समझता हूं। मैं समझता हूं कि राजा साहब बस्ती के ५० रुपया लगान, और राजा बस्ती का ऐसा प्रोत्साहन उनके लिये है कि कभी-कभी उन्हीं की अनुकम्पा और कृपा से इस सदन में चहक उठते हैं माननीय शिवनारायण जी।

श्री शिवनारायण—आन एक प्वाइन्ट आफ आर्डर। मैं राजा साहब की बस्ती के नाते इस सदन में नहीं चहका, यह गलत कहा गया। मैं न राजा साहब का असामी हूं, बल्कि १० मील के फासले पर रहता हूं।

राजा वीरेन्द्रशाह—यह कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—आज अगर उनको यह शिक्षा दी जाती है कि प्वाइन्ट आफ आर्डर क्या होता है तो मैं समझता हूं कि सदन का भविष्य में बहुत समय बच सकता। इस तरह के प्वाइन्ट आफ आर्डर पर कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं।

माननीय मौर्य जी के प्रत्युत्तर में मुझे थोड़ा सा कहना है और जैसे कि मैं कह चुका हूं कि माननीय शिवनारायण जी के लिये परेशान न हों कि मैंने उनके बारे में कुछ नहीं कहा या मेरा साहस नहीं हुआ या मेरी जिह्वा में या बुद्धि में शक्ति नहीं है, कि वह जिस तरह से विचार प्रगट करते हैं, उस रूप में प्रगट कर पाऊं। जब वह करने की ताकत न हो तो शिकस्त मानना बहुत अच्छा होता है।

माननीय सचिव महोदय ने आज एक बात अवश्य कही कि एक रुपये पर १२० रुपया ग्रास इनकम है। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि उनका फी एकड़ मुनाफा कितना समझते हैं

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—४० फीसदी खर्चा काट दीजिये। ७५ हुआ।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—श्रीमन्, ७५ तो मैं समझता था कि पिछले वर्ष था। क्या उसमें कुछ न्यूनता या वृद्धि हुई है यह स्पष्ट है। बहुत कुछ जवाब उन्होंने माननीय गेंदा सिंह को दिया। उससे मैं सहमत हूं। जहां तक जमींदारों का सवाल है वह सोशलिस्टों से कहीं आगे है। मुझे मजबूरन कहना पड़ता है कि जमींदारी टूट गयी और अब भी आप जमींदारों के हेतु बहुत से ऐसे अधिनियम और विधेयक सदन में लाते हैं, यह कहना कहां तक उचित है? मोटी सी बात है कि यह सदन प्लैटफार्म नहीं है। यह प्रोपेगेंडा की जगह नहीं है जहां पर उनकी ऐसी निराधार बातों को सुन कर उनको किसी प्रकार का प्रोत्साहन मिल सके या उस पर लोग किसी तरह की सहमति प्रकट कर सकें। यह चीप प्रोपेगेंडा है। इसमें कोई जोर नहीं। उसका कोई जवाब नहीं। यह चीजें बहुत अच्छी होतीं जैसा कि चुनाव के समय उन्होंने कहा कि अगर अगर हम को मिनिस्ट्री में भेज दोगे तो हम हर किसान को एक गऊ देंगे वह भी गऊ काली गऊ। ऐसी बातों के लिये यह सदन उचित स्थान नहीं है। जहां तक माननीय मौर्य जी का, श्रीमन्, प्रश्न है मैं उनसे यह अवश्य कहना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत कुछ समय माननीय गेंदा सिंह जी के जवाब में दिया। परन्तु जहां तक इस संशोधन का संबंध है, बावजूद इसके कि माननीय वीरेंद्र-शाह जी कुछ जानना चाहते थे, कुछ बातों का ज्ञान चाहते थे परन्तु हमारे माननीय द्वारिका-प्रसाद जी का यह रवैया रहा है कि वह कोई बात इस विधेयक या संशोधन के बारे में न बतायें। सिर्फ यह कहना कि १२० ग्रास इनकम है और ७५ नेट इनकम है और पहले एक बटे पांच के हिसाब से सरकिल रेट रखा गया है। लिहाजा लुब्बोलबाब यह है कि आज उनके पास काफी प्रमाण है कि गुणांक बढ़ाया जा सकता है। लोग जितना कर आजतक देते आये हैं उससे अधिक उनसे लिया जा सकता है। श्रीमन्, होती तो पुनरावृत्ति है लेकिन बगैर कहे हुये भी काम नहीं चलेगा। उनको मैं बताना चाहता हूं कि एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स जिस वक्त आपने रखा था, जिस भूमि पर रखा था वह सिद्धांत और वह अभिप्राय पूरा हो चुका है।

श्री रामनरेश शुक्ल—प्वाइन्ट आफ आर्डर। क्या अध्यक्ष महोदय, कोई माननीय सदस्य अपने उत्तर में नये प्वाइंट्स को उठा सकता है या इधर से जो न कहा गया हो उसका उत्तर दे सकता है।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—श्रीमन्, मुझे यह नहीं मालूम था कि आप सोते थे या जगते थे। मैं माननीय सचिव को जवाब दे रहा हूं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं कि जिसमें प्वाइन्ट आफ आर्डर उठ सके।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि नये प्वाइन्टस तो माननीय सदस्य नहीं उठा सकेंगे। केवल जवाब दे सकते हैं।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—वही कह रहा हूं। नवीनता कहां आई है? जब श्रीमन्, इस ऐक्ट के जरिये सरकार का लक्ष्य यह था कि जमींदारों की जमींदारी टूटने के पहले उनकी कमर तोड़ दी जाय, इतना कम मुनाफा रक्खा जाय जिससे जमींदार लोग त्राहि-त्राहि करने लगें जब यह संदेश पूरा हो गई तब फिर इस ऐक्ट की क्या आवश्यकता रहती है? बहुत से जमींदार दिल से चाहते थे कि उनकी रियासत कोर्ट आफ वार्डस में ले ली जाय क्योंकि उनकी आमदनी के अन्दर उनके खर्चे नहीं चल पाते थे। इस अवधि में जमींदारों का सब कुछ बिक चुका है। जब ऐग्रिकल्चरल इनकम टैक्स में रिहैबिलिटैशन और कम्पेन्सेशन देने का प्रश्न आया तो उससे भी काफी अनुचित फायदा उठाया गया। अब तो केवल कृषि ऐसा उद्योग रह गया है जिसको प्रोत्साहन देने के लिये आप करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। मैं तो समझता हूं कि अब इस ऐक्ट को रिपील कर दिया जाना चाहिये। जिस आधार पर यह रक्खा गया था वह अभिप्राय पूरा हो चुका है। जितना रुपया आपको जमींदारों से लेना था वह सब आप ले चुके हैं। अब कुछ चिल्लाना या पुकारना बेकार है। अब तो जमींदार की वही स्थिति है जो किसान की है।

श्रीमन्, एक्सटेंसिव कल्टीवेशन के बारे में कहा गया कि वह लाभप्रद नहीं होती, वह इंटेंसिव कल्टीवेशन की अपेक्षाकृत हानिकारक होती है। माननीय द्वारिका प्रसाद ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में कुछ कहा कि वह एक ऐसी चीज है जिससे खेती का भार हल्का किया जा सकता है। मैं खुद मानता हूं कि खेती पर ८५ फीसदी भार रखना अनुचित होगा। एक दूसरा रास्ता निकालना होगा जिससे लोग जीविका उपार्जन के लिये योग्य हो सकें, उनमें साहस आ सकें और उनमें इतनी काबिलियत आ जाए कि वे अपने को जीवित रख सकें।

श्रीमन्, जहां तक एक्सटेंसिव और इंटेंसिव कल्टीवेशन का प्रश्न है मैं यह बतला सकता हूं कि इंटेंसिव कल्टीवेशन कुछ चीजों में तो कुछ मानी रख सकती है जैसे तरकारी वगैरह बोना। इसमें इंटेंसिव कल्टीवेशन में ज्यादा फायदा हो सकता है लेकिन यह कहना कि एक्सटेंसिव कल्टीवेशन की अपेक्षाकृत इंटेंसिव कल्टीवेशन लाभप्रद है इसे मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। आज कल जापानी मेथड का प्रदेश में बड़ा ढिंढोरा पीटा जा रहा है, बड़ी पब्लिसिटी की जा रही है। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि बहुत से जिलों में पहले से ही उस मेथड से खेतों में ट्रान्सप्लानटेशन किया जाता था। सिर्फ यह कि उस गरीब किसान के पास खाद न होने की वजह से वह उस मात्रा में खाद नहीं दे सकता जो कि जापानी मेथड के लिये आवश्यक होता है। इन सब बातों को सामने रखता हुआ मैं माननीय सभासचिव से अनुरोध करूंगा कि वह अपनी हठ छोड़ दें। मैंने अभी तक तीन हठ सुनी थीं। राजहठ, बाल राजहठ और त्रिया हठ। मगर अब तो मंत्री हठ भी दिखाई देने लगी है और हमारे मौर्य जी किसी तरह से इस हठ को छोड़ने के लिये तैयार नहीं हैं। हमारे लिये कहा जाता है कि विरोधी पक्ष की यह बात है और यही समझ कर उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है और अगर वह ध्यान भी देते हैं तो उससे कटुता का प्रादुर्भाव हो सकता है किन्तु वह वास्तविकता को भूल जाते हैं। पारस्परिक विरोध का यह समय नहीं है। यह तो ऐसा प्रश्न है कि जिसके लिये मौर्य जी को भ्रम नहीं होना चाहिये कि इन्टेंसिव कल्टीवेशन अधिक लाभदायक है। अगर वह अपने यहां कल्टीवेशन का डेवलपमेंट चाहते हैं तो तब भी मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि उनको अपनी नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता है क्योंकि यह जो कानून बनता है और हम यह भी मान लेते हैं कि आप पास न भी करें लेकिन जब तक यहां पर सोशलिस्ट भाई मौजूद हैं यह ऐसी बातें कह देंगे जिससे कि आपके ऊपर असर हो सकता है। अब चाहे उसको प्रोपेगन्डा स्टन्ट कहते रहें। एक दिन आ सकता है कि उनके ऊपर जिम्मेदारी आये और ३० एकड़ से ज्यादा भूमि वह ले लें और जबर मुआविजा के ले लें और कश्मीर का उदाहरण यहां पर पेश कर दें। इन सब बातों को आप न भूलें। मैं आपको भी सचेत करना चाहता हूं कि आप इनके प्रलाप में आकर भूलकर भी इनकी बातों में न फंसियेगा क्योंकि हो सकता है कि आपसे इस प्रकार की कोई गलती करा दें कि जिसके लिये आपको खेद हो। मुझे प्रसन्नता होगी कि अगर कुछ सदस्य इधर आ जायं। हम भी उनकी बातों को सुनेंगे। लेकिन मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि अब वह समय आ चुका है कि आगे सोच समझ कर कदम उठाया जाय। आगे ५७ में जब एलेक्शन होगा तब इनको मालूम होगा कि जो गलती हुयी है उसका क्या परिणाम होता है। तब वह उस गलती को भुगतेंगे। जमींदारी टूट गयी लेकिन उससे यह पता लग गया कि आज आपने किसानों के लिये कितना किया।

(इस समय ३ बजकर ५५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

इन सब चीजों को देखते हुये मैं अब भी माननीय सभासचिव जी से यह अनुरोध करूंगा कि वह इस विषय पर ध्यान दें और इस पर गम्भीरतापूर्वक सोचें। अब मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैंने करीब १ घंटा लिया और आशा करता हूं कि सभासचिव इस पर फिर विचार करेंगे।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--मुझे विशेष कुछ नहीं कहना है। मैं श्री अवधेश प्रताप सिंह जी से सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जो आपने दलीलें दीं उनको मैंने ध्यानपूर्वक सुना। हठ की कोई बात नहीं है। अगर उनकी दलील सही समझ में आयी होती तो मुझे उसके अनुसार काम करने में कोई आपत्ति नहीं होती और उनके प्रस्ताव को स्वीकार करने में भी कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन जो दलील उन्होंने यहां पर दी उसमें मुझे कोई तत्व दिखाई नहीं दिया। मैंने जो दलील पहले दी उनको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। केवल एक बात कहना चाहता हूं कि १२॥ मल्टीपिल पर ही टैक्स देना पड़े यह कोई कंपलसरी नहीं है। जो लोग अपना हिसाब किताब रखेंगे वह अपना हिसाब-किताब पेश करके जो कुछ काश्त में भूमि है और उसकी जो सही आमदनी है उसको दिखा कर अपना मुनासिब टैक्स एसेस करा सकते हैं। इसलिये यह कहना कि बहुत जुल्म होगा और किसी तरह से उनकी बात सुनी नहीं जायगी यह बिल्कुल गलत है। उनको न्यायालय में पूर्ण अधिकार है कि वहां पर सही एसेस करा सकें और अपना सही हिसाब पेश कर सकते हैं। मेरे खयाल में जो यह १२॥ मल्टीपिल की बात है यह मुनासिब है। इसलिये मैं जो प्रस्ताव आया है उसको स्वीकार करने के योग्य मैं नहीं समझता

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (२) में प्रस्तावित खंड (क) की पंक्ति ४ में "१२॥" के स्थान पर "७॥" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर सदन का विभाजन होने पर निम्न-लिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में--४

विपक्ष में--१०७)

राज्य के विभिन्न भागों में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विवाद के लिए समय निर्धारण

श्री अध्यक्ष--आज सबेरे एक प्रश्न पूछा गया था कि बाढ़ के संबंध में कब वाद-विवाद होगा। वह बृहस्पतिवार को लंच के बाद शुरू होगा और पांच बजे तक चलेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--यदि इसके लिये पूरा दिन रख दिया जाय तो कैसा होगा?

श्री अध्यक्ष--यह तो उसी दिन तय होगा।

उत्तर प्रदेश कृषि आय-कर (संशोधन) विधेयक, १९५४

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड ४ के उपखंड (२) में प्रस्तावित खंड (क) की पंक्ति ४ में "१२-१।२" के स्थान पर "२०" रख दिया जाय।"

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से, इस खंड को पढ़ देना चाहता हूं। यह खंड इस प्रकार है :--

"(क) कृषि-संबंधी विपदाओं के निमित्त ऐसी कटौतियां के पश्चात् जो नियत की जायं किसी भूमि की आय ऐसी धनराशि समझी जायगी जो उसके लगान तथा ऐसे गुणांक के जो १२ १/२ से अधिक न हो, जैसा कि वह भूमि-व्यवस्था कमिश्नर

द्वारा निश्चित किया जाय, गुणनफल के बराबर हो भिन्न-भिन्न जिलों या जिलों के भागों के लिये और भिन्न-भिन्न बागों तथा फल के बागों के वर्गों के लिये भिन्न-भिन्न गुणांक निश्चित किये जा सकते हैं"

अध्यक्ष महोदय, यहां जो यह साढ़े बारह आया है उसके स्थान पर , मेरा प्रस्ताव है कि "२०" रख दिया जाय। मैं आपके द्वारा सदन को बताना चाहता हूं कि शायद सदन को याद होगा कि जब माननीय मंत्री जी ने जनरल बहस पर भाषण दिया था तो उन्होंने कहा था कि साढ़े बारह गुना रखने का मुख्य उद्देश्य यह है कि जिनके पास ३० एकड़ से ज्यादा जमीन है और जिनकी आमदनी ४,२०० रुपये से अधिक है वे उस जमीन को छोड़ दें।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--मैंने, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह नहीं कहा था। शायद उनको सुनने में या समझने में भ्रम हुआ हो। मैंने यह नहीं कहा था कि यह टैक्स इसलिये लगाया जा रहा है कि वह अपनी जमीन छोड़ दें। मैंने यह जरूर कहा था कि अगर कोई किसान इतना नहीं पैदा करता है और वह अपनी जमीन को निकाल देना चाहता है तो वह निकाल दे, लेकिन इससे कम आमदनी होती है किसी किसान की, यह मैं नहीं मानता।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा--प्वाइंट आफ आर्डर। पिछले संशोधन में जब ७।। गुने पर बहस हो चुकी है तो क्या २० गुने पर बहस हो सकती है?

श्री अध्यक्ष--७।। गुना पास तो नहीं हुआ।

श्री जोरावर वर्मा--अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ श्री द्वारका प्रसाद जी मौर्य की बात सुनकर । मैंने पहले ही साफ कह दिया था कि माननीय मंत्री जी ने कहा था , माननीय उप-मंत्री ने नहीं। पता नहीं वह कैसे उठ खड़े हुए।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--वह तो यहां हैं नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा।

श्री जोरावर वर्मा--यह शब्द भाषण में हैं। अध्यक्ष महोदय, जब गवर्नमेंट की यही मंशा है कि जिसके पास ३० एकड़ से अधिक जमीन हो और उनकी आय ४,२०० रुपये से अधिक हो तो उनकी जमीन जल्दी से जल्दी ले लेनी चाहिये, ऐसी सूरत में मैं यह प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं कि बजाय साढ़े बारह गुने के आप बीस गुना रखिये ताकि जो लोग बिना मतलब के ज्यादा जमीन रखे हुए हैं वह जल्द से जल्द उसको छोड़ दें। अध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदा सिंह जी ने एक संकल्प इस प्रकार का रखा था कि ३० एकड़ से ज्यादा जमीन जिसके पास हो वह बिना किसी मुआविजे के ले ली जाय, ऐसी सिफारिश पार्लियामेंट से की जाय और इस बिना पर वह कांस्टीटयूशन में संशोधन करे । लेकिन माननीय मंत्री जी ने यह इसलिये रखा कि जैसा कि आपने पहले भाषणों में सुना है कि इसका उद्देश्य जो है वह यह है कि यह गवर्नमेंट बड़े-बड़े जमींदारों और फार्म्स होल्डर्स को अवसर दे रही है कि वह अपनी जमीन बेच दें। तो यह ठीक है क्योंकि जब इस सरकार ने जमींदारी एबालिशन किया तो उसका मुआवजा दिया। वह किसी की जमीन बिला मुआवजा दिये या बिना कुछ लिये दिये नहीं लेना चाहती है। अध्यक्ष महोदय, यह सदन जानता ही होगा कि जब जमींदारी विनाश नहीं हुआ था तब ऐसे बहुत ही कम बड़े-बड़े काश्तकार थे जिनके पास ३० एकड़ से कम जमीन हो लेकिन जमींदारी विनाश के समय गवर्नमेंट ने जो 'अधिक अन्न उपजाओ स्कीम चलाई' थी उस समय भूतपूर्व जमींदारों ने तमाम पड़ी हुई जमीनों को तोड़ डाला, नतीजा उसका यह हुआ कि जो मजरुआ जमीन थी उसको तो छोड़ दिया और जो परती जमीन थी उसको उन्होंने तोड़ डाला। इसका नतीजा

[श्री जोरावर वर्मा]

यह हुआ कि सूबे की जो अन्न की उपज थी वह बजाय बढ़ने के और घट गई। जैसा कि माननीय मौर्य जी ने कहा कि जिनके पास कम जमीन है उनकी उपज औसतन उनसे अधिक है जिनके पास बड़े-बड़े फार्म हैं या ज्यादा जमीन है और ३० एकड़ से ज्यादा है। जब ऐसी बात है तो समझ में नहीं आता कि सरकार क्यों देर कर रही है कि ज्यादा जमीन वालों की जमीन जल्द से जल्द क्यों नहीं ली जा रही है। कुछ लोग कह सकते हैं कि नौतोड़ जमीन में पैदावार कम होती है और उसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और गुणांक अधिक है। मैंने जो गुणांक दिया है वह आप देखें। इसमें प्रतिबन्ध भी दिया हुआ है "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि भूमि-व्यवस्था कमिश्नर यह आदेश दे सकता है कि नवजोत भूमि की आय लगाने के निमित्त कुछ निर्दिष्ट वर्षों तक के लिये ऐसा गुणांक रखा जाय जो अपेक्षाकृत ऐसी कम संख्या हो जो नियत की जाय।" पर यह समझ में नहीं आता कि किस प्रकार नौतोड़ जमीन वालों को अन्देशा हो गया है और कौन अन्याय कर रहा है। लोगों का ख्याल हो सकता है कि चूंकि अन्न की कीमत घट रही है और अगर किस रेट कर दिया जायगा तो बड़े-बड़े जो काश्तकार हैं उन पर बहुत बड़ी आपत्ति आ जायगी और उनकी आर्थिक परिस्थिति खराब हो जायगी। पता नहीं कि यह भारतीय समाज की आवाज है या जिन लोगों का स्वार्थ है उनकी यह दलील रहती है और वे किसी की आड़ में शिकार खेलना चाहते हैं कि किसान के नाम पर जो बड़े-बड़े काश्तकार हैं उन्होंने भूमि पर कब्जा कर लिया और वह किसान के बहाने दूसरों का हक छीनना चाहते हैं। वास्तव में उनकी जमीन बिना जमीन वाले लोगों को अगर बांट दी जाय तो जमीन की पैदावार और राज्य की आमदनी बढ़ जाय और इस देश की निर्धनता में भी बहुत बड़ी कमी आ सकती है।

अध्यक्ष महोदय, अगर मेरा यह संशोधन मान लिया जाय तो इस का असर बहुत कम लोगों पर होगा। माननीय मंत्री जी ने जनरल डिबेट के समय बताया था कि १२ १/२ गुने का असर केवल ७,००० बड़े बड़े काश्तकारों पर पड़ेगा जिनको काश्तकार कहना भी अनुपयुक्त होगा, अगर उनको जमींदार ही कहा जाय तो ठीक होगा, वह लीगली भले ही कुछ और हों लेकिन वास्तव में वह बड़े-बड़े जमींदार हैं जो खुद काश्त नहीं करते और इतनी बड़ी-बड़ी जमीनें लिये बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मौर्य जी ने अभी बताया कि यहां का लगकिस रेट ५·२ रुपये है और उसी हिसाब से जो गुणांक रखा गया है वह लगाया जाय तो अधिक उन बड़े काश्तकारों को नहीं देना पड़ेगा। फिर हम यह भी मान लें कि यह २० गुणांक अगर रख भी लिया जाय तो इसके माने यह हैं कि या तो वे अपनी जमीन को बेच दें या उसे सन्त विनोबा भावे जी को दे दें और अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो अपनी जमीन को किसी को दान कर दें। और इन तीनों में से कुछ नहीं करना चाहते तो उन्हें जमीन से इतनी पैदावार करना चाहिये ताकि सरकार जो उन पर टैक्स लगावे वह भी अदा कर दें और अपने लिये कुछ बचा सकें। अध्यक्ष महोदय, अधिक से अधिक जमीन रखना इतना श्रेयस्कर नहीं है जितना कि अधिक से अधिक पैदावार का किया जाना और जैसा माननीय उपमंत्री जी ने कहा कि जिनके पास अधिक जमीन है वह पूरा कंसेंट्रेशन नहीं कर पाते हैं और पूर्ण शक्ति और साधन का उपयोग उनके पास जो है नहीं करते और यही मुख्य कारण है कि जो हमारे प्रान्त में पंजाब और विदेशों की अपेक्षा उपज कम है। इसका मुख्य कारण यही है कि जिनके पास अधिक जमीन है वह खेती नहीं करते या करना नहीं जानते और जो खेती करना चाहते हैं उनको जितनी आवश्यकता है वह नहीं मिलती। यहां या तो बहुत से लोगों के पास जमीन है नहीं और अगर है तो या तो बहुत कम है या बहुत अधिक है। ऐवरेज साधारणतः जो खेती है वह यहां नहीं है। इसलिये जो यहां कृषि व्यवस्था है वह ठीक नहीं हो रही है। जब तक उन किसानों को जो बड़ी जमीनें अपने कब्जे में किये हुये हैं उनको कानून के द्वारा मजबूर न किया जायगा तब तक मैं समझता हूं कि हमारे प्रान्त की उपज बढ़ नहीं सकती है। अगर इस प्रस्ताव को

यह सरकार नहीं मानती है तो आप जानते हैं कि विदेशों से साम्यवाद की एक धारा बह रही है और उससे जनता में अशान्ति हो सकती है और उसका परिणाम यह हो सकता है कि जिनको अभी आपने मौका दिया है कि वे जमीन बेच लें, यह हो सकता है कि वे जमीन जबरन छीन ली जाय। या यह भी हो सकता है कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाय कि हमारे माननीय गेंदा सिंह जी के हाथ में ताकत आ जाय और वह उधर पहुंच जायं और तीस एकड़ से जिनके पास अधिक जमीन है वह बिला मुआविजे के ले ली जाय। जब ऐसी परिस्थितियों के उत्पन्न हो जाने की आशंका है तो मेरा यह संशोधन मान लेना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ समय पूर्व कुछ महानुभावों ने यह विचार प्रकट किया कि अन्न की कीमतें हमेशा घटती बढ़ती रहती हैं। इसलिये जो रेट्स हैं वे भी घटते बढ़ते रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें दो प्रकार के नियम हैं। एक तो यह कि जिन किसानों के पास तीस एकड़ से अधिक जमीन है या जिनकी आमदनी ४२ सौ से ऊपर है वे अपनी आमदनी का हिसाब रखें या फिर २० गुणांक दें। इनमें से जो ठीक न हो कहें। मैंने इसीलिये रखा है कि २० गुना रखा जाय। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह संशोधन मान लिया जाय क्योंकि यह परिस्थितियों को देखते हुये रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि ये जो बड़े-बड़े काश्तकार हैं और जो त्यागी और तपस्वी किसानों की कमाई, जो सारे प्रान्त और देश का भरण पोषण करते हैं, खाते हैं ये लोग देश के लिये अभिशाप हैं, कलंक हैं, और मैं तो यहां तक कहूंगा कि ये कोढ़ हैं और जब तक यह कोढ़, यह कलंक, यह अभिशाप दूर न किया जाय, तब तक मैं समझता हूं कि किसान का सच्चा स्वरूप सामने नहीं आ सकता। इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव को पेश करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय उपमंत्री जी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन उपस्थित किया गया है मैं इसे स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं। इसके पहले जो संशोधन माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी का था उस सम्बन्ध में इस विषय पर काफी प्रकाश आ चुका है माननीय सदस्यों के सामने और उन सब बातों को देखते हुये जो दलील पेश की गई है उससे यह कदापि मुनासिब नहीं है कि यह संशोधन स्वीकार किया जा सके। यह बात जो कही गई कि ३० एकड़ से ऊपर वालों की जमीन ले ली जाय, यह इस विधेयक का उद्देश्य है, यह बात मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। हम तो अब जो ऐग्रीकल्चरल प्रोडयूस की इन्कम है उसको असेस करना चाहते हैं और उसके लिये साढ़े बारह तक को मुनासिब समझा है। अगर किसी की ऐक्चुअल इन्कम नहीं होती मल्टिपिल के बराबर तो उसके लिये ६ (ए) में यह रखा गया है कि वह ऐक्चुअल इन्कम को असेस करा ले। तो इसलिये २० गुना तो ऐक्चुअल इन्कम का मल्टिपिल है भी नहीं। और अगर कर दिया जाय तो ६ (ए) में ऐक्चुअल इन्कम असेस होगी। इसलिये यह संशोधन स्वीकार करने योग्य नहीं है और मैं समझता हूं कि इस विधेयक के उद्देश्यों के विपरीत हो जाता है। आशा है कि हाउस इसको अस्वीकार करेगा।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय जोरावर जी ने रखा है मैं उसको देख कर आश्चर्य कर रहा था। अगर उनका संशोधन मान लिया जाय तो उसका असर यह होता है कि जिस खाते का पर्ता ७ रुपया एकड़ आता है ऐसे हर एक ३० एकड़ वाले खाते पर टैक्स लग जायगा। अब तक जैसा कानून है उसमें ३० एकड़ से कम पर तो टैक्स है ही नहीं और है तो उस पर है जिसकी आमदनी ४,२०० रुपया आ जाय। हम देखते हैं कि इस विधेयक के अनुसार अगर किसी खाते का पर्ता ११ सही एक बटे पांच रुपया एकड़ आता है तो उस पर यानी ३० एकड़ वाले पर टैक्स पड़ सकता है और अगरनत इना नहीं आता है तो ३० एक पर कभी नहीं पड़ेगा। अब अगर इनका संशोधन मान लिया जाय तो उसका नतीजा यह

[श्री रतनलाल जैन]

होता है कि जिस खाते पर परता ७ रुपया एकड़ आ जाता है तो उस ३० एकड़ वाले खाते पर यह टैक्स पड़ जायगा। मेरा ख्याल है कि पश्चिमी जिलों में बहुत से ऐसे खाते हैं कि जहां पर्ता ७ रुपया एकड़ से ऊपर है, १० रुपये भी है और कहीं इससे भी ज्यादा है। तो इसका नतीजा यह होता है कि ३० एकड़ वाले बहुत से खातों पर टैक्स लग जाता है। तो ३० एकड़ वाले खाते बड़े खाते नहीं कहलाते। यह तो मामूली खाते हैं। जहां तक यह कहा गया है कि बड़े खातों के मुकाबले छोटे खातों पर आमदनी ज्यादा हो जाती है। वहां पर मंशा यह है कि बड़े खातों की मंशा बड़े फार्मों से है जहां १००, हजार, पांच हजार एकड़ हैं। उनके मुकाबले पर छोटे खातों पर आमदनी ज्यादा हो जाती है। मगर ३० एकड़ वाले खातों को हम बड़ा नहीं कह सकते। जब खाते का रकबा बहुत छोटा हो जाता है तो उस पर आमदनी कम हो जाती है। यह उसूल कि छोटे खाते पर ही आमदनी ज्यादा होती है, इसका लिमिटेशन है। इसीलिये मैं अर्ज करूंगा कि अगर उनका संशोधन किसी तरह से मान लिया जाता है तो नतीजा यह होता है कि कुछ मामूली काश्तकार जो ३० एकड़ के हैं उन पर बहुत ज्यादा टैक्स हो जाता है।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का मंशा यह है कि जिनके पास जमीनें हैं उनको निकाल दिया जाय। ऐसा तो मेरे खयाल में माननीय मंत्री जी ने नहीं कहा। उनकी मंशा यह तो अवश्य है और यह बात सही है कि जितना समय गुजरता जायगा यह बड़े बड़े खाते कम होते जायंगे। आइन्दा तो ३० एकड़ से ज्यादा खाते हो ही नहीं सकते। जो खाते बड़े हैं उन खातेदारों की सन्तानें होंगी उनमें तकसीम होगी वे अपनी आवश्यकतानुसार उसको बांटेंगे। तो थोड़े जमाने के बाद यह बड़े-बड़े खाते रहेंगे नहीं। मगर ऐसा कभी नहीं कहा कि हम चाहते हैं कि इन बड़े बड़े लोगों को निकाल दें। अगर यह है तो साफ था कि जैसा हमारे समाजवादी भाई कहते आये हैं उनकी बात को मान लेते। लेकिन ऐसा कोई विचार नहीं है। अगर माननीय जोरावर वर्मा जी ने यह समझा है तो गलत समझा है। उन्होंने एक बात कही कि यह बड़ी खेती अभी बढ़ी है। जिस वक्त यह कानून पास हुआ था उस समय नहीं थी। लेकिन जो कमेटी बैठी थी जमींदारी उन्मूलन से पहले, उसने रिपोर्ट दी है वह सन् १९४८ ई० में छपी थी। वह ४५–४६ के आंकड़ों पर ही बनी थी। उसमें लिखा है कि २५ एकड़ से अधिक रकबे वाले खातों का रकबा ५२ लाख एकड़ के करीब था जिसका औसत १२.९ होता है, यह उस समय था। अब उस समय से कुछ कम हुआ होगा और कुछ बढ़ा भी होगा। इसलिये मेरा अनुमान है कि अब भी वही होगा।

जैसा मैंने पहले अर्ज किया था बड़े-बड़े फार्म है कितने? मेरा जहां तक अंदाजा है, जहां तक मेरा अनुमान है बड़े-बड़े फार्म उस जगह हैं जहां पर छोटे-छोटे रकबों की खेती हो नहीं सकती है। बड़े-बड़े फार्म हमारी तरफ गंगा व राम गंगा के खादर में हैं या बन एरिया में हैं जो साफ किया गया है या फिर वहां है जहां कांस साफ की गई है। पहले जब जमींदारी विनाश नहीं हुई थी ऐसी सीर ऐसे खाते जो ट्रैक्टर्स से चलते हों नहीं थे ये जितने बड़े-बड़े फार्म हैं उनसे हमारे अनाज के उपजने में लाभ हुआ है। जहां बड़े-बड़े फार्म हैं वहां पर छोटे-छोटे किसान जा नहीं सकते थे। आज भी यही हालत है जैसे काशीपुर के इलाके में छोटे-छोटे खाते दे दिये हैं, वहां ५०-५० एकड़ के खाते दे दिये हैं। लेकिन वहां से लोग भागे आ रहे हैं हमारे समाजवादी भाई जहां से आये हैं, पूर्वी जिले से उनसे कह दें कि आप यहां जरा तशरीफ ले आइये और आबाद हो जाइये तो एक भी आने के लिये तैयार नहीं होंगे। तो यह कहना कि जमीन छीन लो, ले लो या बांट लो तो यह तो ऐसी बात है कि जो संसार में व्यवहार चल रहा है उसके प्रतिकूल पड़ती है। इससे कुछ लाभ नहीं हो सकता है, इससे तो हानि ही हानि है।

यह तो अवश्यमेव है कि थोड़े जमाने के बाद जहां आज ३० एकड़ से अधिक रकबे वाले खाते हैं वह कम से कम आधे हो जायंगे और ५० वर्ष बाद तो शायद ही कोई रहे। इस लिये इस बात को ज्यादा सोचने या झगड़े में पड़ना मैं अव्यवहारिक समझता हूं और इससे कोई लाभ नहीं है। यह जो उनका संशोधन है इससे सभी बात गड़बड़ हो जाती है। इसका भार बड़ों पर तो पड़ेगा ही इससे छोटे किसान तो मर जायेंगे और नुकसान होगा। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री ब्रजबिहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, आज प्रातः काल से ही इस विषय पर लोग वाद विवाद कर रहे हैं और पक्ष में तथा विपक्ष में बहुत सी दलीलें और तर्क दिये गये हैं। अभी एक एक्स्ट्रीम की बात हमने सुनी। पहला संशोधन इसलिये था कि मल्टीपिल को साढे सात गुना कर दिया जाय। दूसरे तर्क जो संशोधन के पक्ष में उपस्थित किये गये हैं वह श्री जोरावर वर्मा का है जिन्होंने यह संशोधन उपस्थित किया कि २० गुना कर दिया जाय। उनका भाषण जो मैंने सुना उससे मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उनकी यह गलत धारणा हो गई है कि इस विधेयक के प्रस्तुत करने का अभिप्राय केवल यही है कि जो बड़े बड़े खाते हैं उनकी भूमि जमींदारों से छीन ली जाय। इस विधेयक का अगर उद्देश्य पढा जाय और देखा जाय तो कहीं से भी सरकार की यह मंशा साबित नहीं होगी। जैसा कि प्रातःकाल माननीय गेंदा सिंह जी ने अपने भाषण में कहा था। भूमि वितरण के प्रश्न को तो उस पक्ष ने अपने प्रचार का साधन बना लिया है और किसी तरह से जो भी प्रश्न समय-समय पर उपस्थित किये जाते हैं दूसरे पक्ष की तरफ से उसी विषय पर माननीय गेंदा सिंह जी भाषण दिया करते हैं। माननीय जोरावर वर्मा का भी करीब-करीब उद्देश्य वही मालूम होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह निवेदन करूंगा कि यह कदापि भी इस विधेयक का सिद्धांत नहीं है, उद्देश्य नहीं नहीं है और माननीय उपमंत्री जी, मौर्य जी ने जो अभी अपना भाषण दिया है, उसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि कभी हमारा उद्देश्य यह नहीं है और हम यह भी नहीं चाहते हैं कि ज्यादा कर किसी पर लगाया जाय। हम तो चाहते हैं कि एक पद्धति निर्धारित हो, हम एक नियम बनाना चाहते हैं जिसके अन्तर्गत हम आय कर ठीक तौर पर लगा सकें। हमने इस प्रस्तुत विधेयक के अनुसार यह निश्चित कर दिया है कि ३० एकड़ की भूमि पर हम कोई आय कर नहीं लगायेंगे। यही नहीं, हमने और आगे बढ कर यह निश्चय कर लिया है कि ४,२०० रुपये भी जिन की आय है उनपर हम कोई टैक्स नहीं लगायेंगे। लेकिन जिनकी आय ४,२०० से ऊपर होती है, जिनके खाते का रकबा ३० एकड़ से अधिक होता है, उन पर लगायेंगे आय कर और वह सर्किल रेट का साढे १२ गुना के हिसाब से होगा। ये दोनों संशोधन, साढे सात गुना का और २० गुना का गैर जरूरी मालूम होते हैं और जो साढे बारह गुने का है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से प्रस्तुत किया गया है वही उचित है। इसमें हमें ज्यादा समय नहीं खोना चाहिये। मैं माननीय जोरावर जी से इस बात का अनुरोध करूंगा और आशा करता हूं कि वह इस संशोधन को वापस ले लेंगे।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)---श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, यह जो दोनों संशोधन हैं और विशेषतया श्री जोरावर वर्मा के संशोधन को देख कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और यह मुझे ज्ञात होता है कि आपको (संशोधकों) किसानों की दशा का अनुभव नितान्त नहीं है। मैं आपके सामने यह पेश करना चाहता हूं कि किसानों को किस तरह से आय अपने खेत में होती है और क्या उनके पास बचता है। हमारे मुजफ्फरनगर जिले में प्रति बीघा ६ रुपये से लेकर ८ रुपये तक सर्किल रेट अनेक स्थानों में है और यदि साढे बारह गुना उसका किया जाय मेरा मतलब पक्के बीघे से है जोकि २० बिसवे का होता है और २ रुपया प्रति कच्चे बीघा के हिसाब से ८ रुपया पड़ता है। अब साढे बारह गुना किया तो सौ रुपया ऐग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स हो गया। एक बीघे पर सौ रुपया एक किसान को देना पड़ा। अब आप यह देखिये कि एक बीघे में क्या पैदावार होती है। प्रायः देखा जाता है कि आय केवल गेहूं पर कूती जाती है और किसी दूसरी फसल पर नहीं, किसी जिन्स पर नहीं, प्रायः गेहूं के ऊपर ही। ५ मन फी कच्चा बीघा के हिसाब से यदि १५ मन एक बीघा पक्के पर लगाया जाय तो १५ रुपया मन की दर

[श्री श्रीचन्द]

से कुल सवा दो सौ रुपये होते हैं, इस प्रकार से सौ रुपया उस पर एग्रिकल्चरल इन्कम टैक्स देना पड़ा और सवा दो सौ रुपया कुल उसकी आय थी, तो उस गरीब के पास इतने परिश्रम और मेहनत के पश्चात् भी सवा सौ रुपया बचा। यह मैं समझता हूं कि यह भी उसके ऊपर एक बड़ी ज्यादती है कि एक तिहाई से अधिक उस से लिया गया, जबकि प्राचीन इतिहास से ज्ञात होता है कि छटे हिस्से से अधिक किसी राज्य ने नहीं लिया और अब उससे दुगुना लिया जा रहा है। यदि इस प्रकार से हिसाब लगाया जाय तो किसी भी दशा में साढे छः गुने से अधिक नहीं होना चाहिये। अब श्री वर्मा जी के संशोधन के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि २० गुने के हिसाब से किया जाय तो उसी उपज के अनुसार और उसी एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स के अनुसार १६० रुपये टैक्स के हो गये और अब उस बेचारे किसान के पास केवल ६५ रुपया बचा।

आप कृपा करके यह बतायें कि ६५ रुपये में उसका परिश्रम है, बच्चे हैं, क्या करेगा। अच्छा यह हो कि उन सब का गला घोंट दिया जाय। तो मैं यह समझता हूं कि इस प्रकार के संशोधन रखना हमारे देश के लिये घातक चीज होगी और इस पर समझ बूझकर जिस चीज का अनुभव हो, देखकर और गौर करके रखना चाहिये। मैं कुछ हद तक ख्वाजा साहब ने जो संशोधन रखा था उससे कुछ हद तक सहमत हूं। इसका कोई ग्रेड होना चाहिये। यह नहीं कि बराबर हो। एक सीमा ऐसी कर दी जाय कि यदि भाव पांच रुपये फी मन से कम हो तो पांच से दस तक हो, या दस से पंद्रह-सोलह रुपये तक हो, जिस तरह से ख्वाजा साहब ने रखा था कि यदि भाव दस रुपये फी मन से कम हो तो साढ़े सात गुना एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स लगना चाहिये और यदि और ऊपर है तो दस गुना लगना चाहिये, यदि १६ तक है तो १२॥ रखना चाहिये। इसको भी मैं अधिक समझता हूं फिर भी किसी हद तक यह सम्हाला जा सकता है क्योंकि अब भी ऐग्रीकल्चरल इनकम टैक्स काश्तकार दे रहे हैं, आसानी से दे रहे हैं या कठिनता से दे रहे हैं, दे तो रहे हैं। जो दूसरा संशोधन है इसका मैं कट्टर विरोध करता हूं और पहले संशोधन का भी विरोध करता हूं। परन्तु जो संशोधन मेरे मित्र ख्वाजा साहब ने दिया है उस पर मैं अपनी अनुमति प्रदान करता हूं।

श्री वीरेंद्र पति यादव (जिला मैनपुरी)—अध्यक्ष महोदय, खेद की बात है कि कभी हमारे किसान इधर से कड़ाई के शिकार बन जाते हैं। लेकिन जब सरकार की तरफ से उनके ऊपर कुछ कृपा दृष्टि हो जाती है तो हमारे दूसरे भाइयों की तरफ से फिर वही कड़ाई, सख्ती का शिकार बन जाते हैं। हमारे भाई जिन्होंने संशोधन रखा है मैं नहीं समझा कि वह किस तरह से समझते हैं कि अधिक टैक्स लगने से जिनके किसानों के पास भूमि है वह उसको छोड़ देंगे। अगर वह छोड़ देते हैं या उनको वह बेच देते हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या जो हमारे भूमिहीन काश्तकार हैं उनको वह ले सकेंगे। मैं उनको विश्वास दिलाऊं कि जो हमारे समाज में गरीब तबका है उसके पास जमीन नहीं आ सकेगी। यह तो यही है कि जो गरीब तबका है उसके पास जमीन आये लेकिन वह आ नहीं सकेगी। वह जमीन जायगी तो मालदार आदमियों के पास जायगी। तो मैं तो यह समझता हूं कि यह संशोधन कि १२॥ से मल्टिपिल २० कर दिया जाय कम से कम हमारे साथियों को जो संशोधन रखते हैं, प्रैक्टिकल दृष्टि से देखना चाहिये कि जब काश्तकार पैदा करता है तो कितना उसमें खर्चा होता है और कितनी उसमें आमदनी होती है। उदाहरण के रूप में एक बात कह देना चाहता हूं। वह यह है कि कुछ आंकड़े जो हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मिलते हैं उनसे पता लगता है और जैसा कि हम लोगों को अनुभव भी है कि एक एकड़ में एवरेज इनकम ९१ रुपये आती है और टोटल कास्ट आफ प्रोडक्शन ७४ रुपये आती है। इस तरह से नेट प्राफिट १७ रुपये फी एकड़ के हिसाब से आता है। जो आमदनी साल भर में होती है, अगर तीस एकड़ से हिसाब लगाया जाय तो ५१० रुपया होती है। ५१० रुपये से वह करीब ५० रुपये से कम पड़ता है। तो मैं समझता हूं कि जब ये आंकड़े हैं कि इतना खर्चा होता है और खास तौर से ऐसे समय में जब पैदावार की दरें नीचे गिरती जा रही हैं तब यह उल्टा संशोधन कि मल्टिपिल साढ़े १२ से २० कर

दिया जाय मैं तो समझता हूं कि इससे काश्तकारों की बैकबोन टूट जायगी। ईश्वर करे वह समय न आये कि हमारे किसानों को इस पेशे से हटना पड़े, अगर ऐसा समय आयेगा तो मैं नहीं समझता कि हमारे देश और प्रदेश में कौन किसान ऐसा होगा जो भूमि को जोत पायेगा। अगर किसानी छोड़ देते हैं तो उनको कोई दूसरा दरवाजा देखना होगा। आज काश्तकार की जो एवरेज इनकम है, जो हालात हैं उनको देखते हुये मैं समझता हूं कि वह इजाजत नहीं देंगे कि काश्तकार के ऊपर यह बोझा लादा जाय। मैंने कल भी कहा था कि सरकार की जो नीति है, उसे पालन करना है और पालन करना चाहिये देश के उत्थान के लिये लेकिन आज सभी जानते हैं कि काश्तकार को कितने टैक्सेज देने होते हैं। उसे लैन्ड रेवेन्यू, ऐग्रीकल्चरल इनकम टैक्स देना होता है और न जाने कितने टैक्सेज उसे पंचायत राज्य ऐक्ट के मातहत निकट भविष्य में देने होंगे। इतना अवश्य कह देना चाहता हूं कि अगर इसी तरह से टैक्सेज बढ़ते रहे और दुर्भाग्यवश श्री जोरावर वर्मा का प्रस्ताव मान लिया गया तो मैं समझता हूं कि यह बिलकुल किसानों के अहित में होगा। मैं नहीं समझता कि फिर देश का उद्धार किस तरह से होगा। बिना किसानों की आमदनी और खर्चे को देखे हुये इस तरह से थ्योरिटिकल रूप में जो टैक्सेज बढ़ाने के सुझाव रख दिये जाते हैं और यह जो स्वप्न देखा जाता है कि जिसके पास जमीन अधिक हो उससे हटा कर जिनके पास नहीं है उनके पास चली जाय यह स्वप्न अधूरा रह जायगा। हम चाहते हैं कि वह स्वप्न कार्य रूप में परिणत हो। लेकिन यह इस तरह से कभी कार्य रूप में परिणत नहीं हो सकेगा।

*श्री अवधेश प्रताप सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दुर्भाग्य है कि १ घंटे से अधिक परिश्रम के उपरान्त भी माननीय जोरावर जी को यह न समझा सका कि यह जो संशोधन है वह उद्देश्यहीन है। तो अब श्रीमन्, आप स्वयं विचार करें कि इसके लिये कौन सी औषधि है कि मैं उनको समझा सकूं कि अब जमींदारी नहीं है। जमींदारी विनाश अधिनियम मौजूद है। इसे वह जानते भी हैं और सुन भी चुके हैं, परन्तु इस हठ के लिये कि जमींदारी अब भी है तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है। मैं उनको बतलाऊं कि केवल भूतपूर्व जमींदारों के पास ही ३० एकड़ से अधिक भूमि नहीं है बल्कि किसानों के पास भी है। संभवत. यह हो सकता है कि उनके पास न हो। हालांकि माननीय राजनारायण जी के खानदान वालों के पास है जिसको कि कल वह तसलीम करते थे और स्वयं कहा था कि उनके पास भी ऐग्रीकल्चरल इनकम टैक्स के अधीन नोटिस आया था जिसके लिये वह कोई प्रार्थना या विनय नहीं करना चाहते। इसमें वह अपना अपमान समझते हैं इसलिये उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। चाहे उनके भ्राता ही ने लिखा था। लेकिन चूंकि सरकार के पास जाना था लिहाजा उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। श्रीमन्, यही नहीं यदि वह यह समझते हैं कि गुणांक में वृद्धि करने से कोई फार्म होल्डर अपनी जमीन बेच लेगा तो यह उनकी भूल है। श्रीमन्, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं सेक्शन २ (बी) की तरफ जिसमें १२॥ मल्टीपिल लगान कम किया जा सकता है। तो क्या वास्तव में माननीय सदस्य का यह धर्म नहीं है कि जब वह यहां पर संशोधन पेश करें या विधान सभा में भाषण करने के लिये खड़े हों तो वह उनको पढ़ने की कोशिश करें जिसमें कृषि आयकर के निर्धारित करने का जिक्र आया है जो कि करदाता को देना होगा। इसके साथ-साथ कल से इस पर बहस हो रही है और हजारों बार वह सुन चुके होंगे कि सेक्शन २-बी में यह है। उसके मुताबिक वह अपना कर निर्धारण करा सकते हैं। और सरकार की भी यह अनुकम्पा हो कि जिसने इस प्रकार का सेक्शन रख दिया तो फिर अगर कोई महानुभाव समझने की कोशिश न करें तो फिर मैं यह कहने के लिये विवश हो जाता हूं कि उनको कोई भय है जिस भय के वश होकर वह आगे बढ़ना चाहते हैं परन्तु मंत्री के भय से यहां पर कुछ कहने के लिये तैयार नहीं होते हैं और यहां पर बोलते हैं तो भयवश बोलते हैं.....।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रामनरेश शुक्ल---प्वाइंट आफ आर्डर सर, अभी माननीय सदस्य ने कहा कि माननीय सदस्य यहां पर भयवश बोलते हैं, तो क्या यह उचित है? मैं इस पर आपकी रूलिंग चाहता हूं।

श्री अवधेश प्रताप सिंह---यदि माननीय सदस्य जरा भी समझने की कोशिश करते तो उनको यह आपत्ति नहीं होती। किसी भय के मायने यह होते हैं.....।

श्री शिवनारायण---प्वाइन्ट आफ आर्डर, माननीय सदस्य ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया और उस पर आपकी व्यवस्था चाही, लेकिन आपने कोई व्यवस्था नहीं दी और माननीय सदस्य बीच में, ही बोलने लगे, तो क्या यह उचित है?

श्री अध्यक्ष---मैंने अभी सुना कि उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसे सदस्य हैं जो भयवश नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं यह समझता हूं कि कोई अपमानजनक बात इसमें नहीं है क्योंकि उनके शब्द यह थे कि वह आगे बढ़ना चाहते हैं। यदि ऐसा कहते कि मंत्री के डर से वह पीछे हटना चाहते हैं तब तो बात दूसरी थी।

श्री अवधेश प्रताप सिंह---श्रीमन्, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अगर इस प्रकार से सदन में प्वाइंट आफ आर्डर उठाये जायंगे तो बोलना भी मुश्किल हो जायगा। मेरा अभिप्राय यह था कि सरकार ने जो एक चीज नियत कर दी तो आज विवाद घूम फिर कर उसी विषय पर आ रहा है। सरकार का जो ३० एकड़ का प्रस्ताव था उसमें जो कुछ कहना था वह उन्होंने कह डाला और जमींदारों का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। एक सिद्धान्त का सम्पादन करना था वह उन्होंने कर दिया और आज वह प्रेस में विद्यमान है। दूसरों ने यह समझा कि हम जमींदार क्लास के हैं और इनके फायदे के लिये कर रहे हैं लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया कि वह उन लोगों के हित में है या नहीं। लेकिन श्रीमन्, यह जो गुणांक का प्रश्न है इसमें यह ३० एकड़ का प्रश्न नहीं आता है और न उठता है। इस विषय पर जो इस समय सामने है दोनों दल के नेता अपने अपने सिद्धान्त को समझा देते और इस पर बहस न करते तो मैं समझता हूं कि अच्छा होता और समय सदन का भी नष्ट न होता। इन थोड़े शब्दों में श्रीमन् मुझे केवल इतना कहना है कि भारतीय संविधान के रहते हुए जिसके बारे में इस सदन में मैंने कई बार कहा भी है इस पक्ष से भी कि पहले माननीय लोहिया का इसके ऊपर विश्वास भले ही न रहा हो लेकिन अब तो जेलखाने से बाहर आने के बाद उनको पूरा विश्वास हो जाना चाहिये। पहले श्री जयप्रकाश नारायण को किसी अंश में इस पर विश्वास न रहा हो लेकिन आज उनके नेता गण को भी इस बात को अवश्य मानना चाहिये कि संविधान के फल स्वरूप ही माननीय लोहिया जेलखाने के बाहर आये हैं। फिर उस संविधान के रहते हुए न तो हमें इस बात का भय है कि हम ३० एकड़ भूमि होल्डिंग नहीं कर सकते हैं और न इस बात का भय है कि हम उससे अधिक एक्वायर नहीं कर सकते हैं और न इस बात का भय है कि हम उसको डिस्पोज आफ नहीं कर सकते हैं। इस संविधान के अनुसार हमें तीनों अधिकार प्राप्त हैं। यह हमारा फंडामेंटल राइट है और जब तक उसमें संशोधन नहीं किया जाता है तब तक इस तरह की कोई ऐसी बातें हैं नहीं जिनकी वजह से भय किया जाय। हम किसी भय से अपनी जमीन को नहीं बेचना चाहेंगे। श्रीमन्, यह भी कहा गया है कि मिल मालिक लोग ले लेंगे। लेकिन श्रीमन् जहां ऐसे लोग हैं जिनकी नीयत पर अगर न हमला किया जाय उतना ही अच्छा है। लेकिन जो अपनी नीयत का ढिंढोरा सारे संसार में पीटते हैं प्राइवेट प्रापर्टी के सम्बन्ध में और जो ३० एकड़ चाहते हैं, दिल से न भी चाहते हों और यह भी समझते हों कि इस प्रदेश में कम नहीं है उनके लिये क्योंकि उनके पास भी कुछ ऐसे सेक्शन हैं मगर वे इस बात के लिये उतारू हैं कि सीलिंग फिक्स्ड कर

दी जाय। इससे इसका कोई प्रयोजन नहीं है। तो इन सब बातों के संविधान में रहते हुए यह यकीन और विश्वास नहीं किया जा सकता कि हम अपनी जमीन को इस भय से नहीं बेध सकते कि मल्टिपुल जो चाहें साढ़े सात से १२।। कर दें या जैसा कि श्री जोरावर वर्मा जी चाहते हैं कि वह २० हो जाय। श्रीमन्, आपको यह देखना है कि यह ठीक है कि अपने विचार को प्रकट करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। लेकिन क्या मैं इस पक्ष के लोगों से और उस पक्ष के लोगों से भी निवेदन कर सकता हूं आपके द्वारा कि वे लोग यह तो कम से कम कष्ट करें कि जो बात कहें वह एक-एक थ्योरी और सिद्धान्त के ऊपर हो। यह सदन कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जहां पर जब जो जी में चाहा कह डाला। जो बात कही जाय, जो प्रश्न हमारे सामने हों उसमें कोई युक्ति होनी चाहिये। एक सहब ने अपनी धुन में कहना शुरू किया कि यह सब मिल मालिकों के पास चला जायगा। मैं कहता हूं कि डालमिया और पद्मपत सिंहानिया अगर खेतों को लेंगे तो उनके पास जो मोटर तथा और सामान व दूकानें हैं वे भी चली जायंगी। खेत भी जायेंगे और ये सब सामान भी चले जायंगे। भला मिल मालिकों के पास वह क्या जा सकती है और वे क्या खरीद सकते हैं और भूमि ले सकते हैं। श्रीमन्, इस सदन में हर समाज की यह कोशिश होनी चाहिये कि डिस्क्रिमिनेशन की बेसिस पर कोई बात न कहनी चाहिये। जब कि दुनिया और संसार इतना आगे बढ़ चुका है तो किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन न होना चाहिये। इसमें सरकार की सब के लिये एक नीति होनी चाहिये। हमारे संविधान में यह चीज मौजूद है कि "देयर बिल बी इक्वेलिटी बिफोर ला" (कानून के सामने सब बराबर होंगे)। जब नियम बनावें तो उस वक्त आप भूल जायं और उस आदर्श पर पहुंचें। जब कि आपके लिये हर व्यक्ति एक सा है तो ऐंटिसिडेंस और प्रेसिडेंस की बिना पर किसी चीज को न करें। आप उस सिद्धान्त पर चलने के लिये न उतारू हो जायं जिससे डिस्क्रिमिनेशन पैदा हो। श्रीमन्, इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री जोरावर वर्मा--अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्यों के भाषण सुने और उनको जितना आश्चर्य मेरे संशोधन से हुआ उससे अधिक आश्चर्य मुझे उनके भाषण से हुआ। श्री वीरेन्द्र पति जी यादव ने कहा कि शायद वह ऐसा संशोधन रखते यदि वह किसानों के बीच में रहे होते। मैं अपने इन शब्दों को वापस ले लूं अगर उनका ऐसा कहा हुआ न निकले।

श्री वीरेन्द्रपति यादव--यह देख लिया जाय यह शब्द मैंने नहीं कहे।

श्री अध्यक्ष--शब्द चाहे दूसरे हों लेकिन उसका अर्थ वह यह लगाते हैं।

श्री जोरावर वर्मा--मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि मैं गांव का ही रहने वाला हूं और ऐसी जगह का रहने वाला हूं कि जहां १०० मील के आसपास कोई शहर तक नहीं है और हमेशा किसानों के बीच में ही रहा हूं और जिस गांव में मैं रहता हूं वह २,००० की बस्ती है, और उसमें २,२०० एकड़ जमीन है और वहां कई सौ किसान होंगे और उनमें से केवल दो किसान ऐसे हैं कि जिनके पास ६० एकड़ से अधिक जमीन है और बाक़ी सब उससे नीचे हैं। पहले कोई एग्रीकलचर इनकम टैक्स उनको देना नहीं पड़ता था। पहले से भी और जब से भी मैं यहां का सदस्य हुआ हूं हमेशा से किसानों में रहा हूं और उनमें आने जाने और उन की बातें सुनने का मौक़ा मिला है। अगर मैं भी उनके लिए यही शब्द कहूं कि वह उनके बीच में नहीं रहे हैं और वह भी बड़े फार्महोल्डर्स में से आते हैं तब वही कहेंगे कि यह तो व्यक्तिगत आक्षेप है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रस्ताव रख कर वह चाहते हैं कि शायद इससे मुझको कोई लाभ होगा। मैं इस माननीय सदन में क्या कहूं कि मुझे उससे क्या लाभ होगा या मेरे हरिजन समाज को उससे क्या लाभ होगा लेकिन जो ब्राह्मण हैं, जो भिक्षा पर निर्वाह करते हैं और ऐसे कितने दूसरी बिरादरी के लोग हैं जिनके

[श्री जोरावर वर्मा]

पास एक बीघा भी जमीन नहीं है। क्या जो जमीन मिलेगी वह हरिजनों को ही मिलेगी दूसरे लोगों को नहीं मिलेगी? मेरा कहना इतना ही है कि इस तरह से बिना समझे बूझे बातें क्यों कही जाती हैं।

यही बात श्री श्रीचन्द जी ने कही कि शायद उनको किसानों का अनुभव नहीं है। मैं समझता हूं कि मेरा भी उनके लिए यही उत्तर है। दूसरी बात उन्होंने कही कि इस प्रकार के संशोधन बिना सोचे हुये क्यों रखे जाते हैं। मैं कहता हूं कि अगर यह बिना कायदे के या असंगत होता तो यह कार्यक्रम में ही क्यों आता? इससे साबित होता है कि संम्भवतः उन्होंने ही बिना समझे बूझे ऐसा भाषण दिया और मैं समझता हूं कि यही बात उनके लिये अधिक उपयुक्त है, जैसा कि मनुस्मृति में कहा गया है कि "ब्राह्मण वाक्यं जनार्दनम्" जो वह कहते हैं वही सत्य है बाकी सब गलत है उनका यह ख्याल ठीक नहीं है। इस प्रकार की अनर्गल बातें करना और अपने को योग्य और काबिल समझना मैं समझता हूं यह तो मनुष्यता का ही अपमान करना है। मैं समझता हूं कि हममें से हर एक को एक दूसरे की इज्जत करना चाहिये। एक बात मैं और.....

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)--मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं। अभी माननीय सदस्य ने "अनर्गल" शब्द का प्रयोग किया। कल इसी शब्द पर कुछ मदभेद हो गया था, एक सज्जन आप के स्थान पर थे उन्होंने कहा था कि शब्द पार्लियामेंटरी है और दूसरे सज्जन ने कहा था कि अनपार्लियामेंटरी है, मैं इस पर स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--मैं यह जानना चाहता हूं कि इस "अनर्गल" शब्द का इस समय आप पर क्या असर पड़ा।

श्री शिवनाथ काटजू--मेरे पर तो कोई असर नहीं पड़ा लेकिन इस पर आप का निर्णय हो जाना आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष--"अनर्गल" का डिक्शनरी का अर्थ तो "असगंत" है। लेकिन यह शब्द जरा कड़ा सा है और कहने में भी वह कुछ खटकता सा मालूम होता है। और एक अखबार वाले तो उसका इस्तेमाल करते ही रहे हैं और शायद वह आर० एस० एस० वाले हैं। लेकिन डिक्शनरी में मैंने देखा तो उसमें उसके अर्थ यही लगाए गए हैं जो "इर्रेलवेन्ट" या व्यर्थ के होते हैं और फिर उसके बाद मैंने "स्वतंत्र भारत" में भी उसका उपयोग देखा और यह भी मालूम हुआ कि यह शब्द और अखबारों में भी उपयोग में लाया जाता है और सभ्य समझा जाता है और आम तौर से यह उपयोग में लाया जाता है। शब्द का ओरिजनल अर्थ चाहे कुछ भी हो लेकिन जो शब्द सभ्य समाज में उपयोग में आ जाते हैं वे पार्लियामेंट्री हो जाते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि "अनर्गल" शब्द अनपार्लियामेंटरी नहीं है। लेकिन किस तरह से उसे कहा जाय वह एक्स्प्रेशन किस प्रकार का है इस बात को देखना होगा। एक्स्प्रेशन पार्लियामेंटरी या अनपार्लियामेन्ट्री होता है। जैसे दावा के साथ अनुपान लगा दिया जाता है इस तरह से कोई शब्द लगा दिया जाय तो उसका गुण बदल जाता है जैसे अगर किसी ने किसी के लिये यह कहा कि वह अनर्गल बकते हैं तो यह "बकते हैं" यह वाक्य कहने से अनपार्लियामेंटरी एक्स्प्रेशन हो जायगा लेकिन यह "अनर्गल" बात है तो उसका मतलब यह हुआ कि वह असंगत या व्यर्थ बात है और यह कहना अनपार्लियामेंट्री नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--माननीय अध्यक्ष तो हमेशा ही कहा करते हैं कि यह इर्रेलिवेंट है।

श्री अध्यक्ष--हां, मैं तो रोज ही 'इर्रोलिवेंट' किसी न किसी बात को कहा ही करता हूं।

श्री जोरावर वर्मा--अध्यक्ष महोदय, मुझे यह शब्द कहने की इसलिये हिम्मत हुई कि कल जब श्री शिनारायण जी ने माननीय विरोधी दल के नेता के लिये कहा था कि वे अनर्गल बातें बकते हैं।

श्री शिवनारायण--मैं एक एक्स्प्लेनेशन देना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने यह कहा था कि उन्होंने अनर्गल बातें कहीं हैं। यह नहीं कहा था कि वे अनर्गल बातें बकते हैं। यह 'पानियर' के फर्स्ट पेज पर दिया भी हुआ है।

श्री अध्यक्ष--'पायनियर' में किसी और अर्थ में कुछ टीका की गयी थी। उनका यह तात्पर्य नहीं था जो आप कह रहे हैं।

श्री जोरावर वर्मा--अध्यक्ष महोदय, कल माननीय अधिष्ठाता महोदय ने यह रूलिंग दी थी कि ये शब्द अनपार्लियामेंटरी नहीं हैं इसलिये मैंने इसका उपयोग किया था।

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद में हमारे पंडित व्रजविहारी जी मिश्र ने भी यह कहा कि गेंदा सिंह जी और जोरावर वर्मा का एक ही उद्देश्य है। पता नहीं कि मिश्र जी को मेरे और उनके विचारों में कैसे समता दिखलाई दी। आपने दो साल से मेरे भाषण सुने होंगे। मेरी उनकी समता कभी नहीं हुई। अगर इस संशोधन के रखने से समता का पता चलता है तो इस विषय पर जिस पर मेरा संशोधन है उन्होंने अपने विचार प्रकट नहीं किये। इसके पूर्व जो विचार प्रकट किये थे श्री अवधेश प्रताप सिंह जी ने जो साढ़े सात गुना का संशोधन रखा था उस पर माननीय श्री गेंदा सिंह का यह था कि १० गुना रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--भाषण के अन्तर्गत मैं समझता हूं कि पार्टी की बातों को लाने की आवश्यकता नहीं है। आप जो भी भाषण हुये हैं उनके ऊपर बोल सकते हैं।

श्री जोरावर वर्मा--यह दूसरी चीज है जो मेरे संशोधन में आई है। उस पर भी उन्होंने अपने विचार प्रकट नहीं किये। इसलिये कहा नहीं जा सकता कि उनके विचार इस विषय में क्या हैं। वह मेरे विचारों के बिल्कुल विरुद्ध रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय रतन लाल जी जैन ने यह कहा कि खाते जब बहुत छोटे हो जाते हैं तब आमदनी घटती जाती है। इसको मैं भी मानता हूं। लेकिन मेरा उद्देश्य और इस विधेयक का भी उद्देश्य जो है वह तीस एकड़ से अधिक का है फिर यह भी नहीं है कि खाते छोटे कर दें।

श्री अध्यक्ष--क्या आप अधिक समय लेंगे।

श्री जोरावर वर्मा--जी हां।

श्री अध्यक्ष--तो आप कल भाषण जारी रखियेगा।

बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विवादार्थ निर्धारित समय के विषय में परिप्रश्न

श्री रामनारायण त्रिपाठी--अध्यक्ष महोदय, फ्लड्स पर विचार कब होगा।

श्री अध्यक्ष--उस पर विचार परसों होगा।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ,
३१ अगस्त, १९५४।

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८८ पर।)

प्रश्न २७ से सम्बन्धित तालिका

सड़कों के नाम

मोटर मार्ग--

१--लोहाघाट पिथौरागढ़ सड़क।
२--पिथौरागढ़ अस्कोट।
३--अस्कोट धरचूला।
४--अस्कोट बागेश्वर।
५--बागेश्वर कपकोट।
६--कपकोट तेजम थाल तथा तेजम गिरगांव।
७--तुलसीपुर नैपाल सीमा जाने वाली सड़क।

पैदल मार्ग--

१--धरचूला गरबियांग।
२--जोशीमठ नीतिग्राम।
३--नीतीग्राम नीति दर्रा।
४--भटवारी नीलांग।
५--धरासू बरकोट।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९४ पर।)

विधान सभा के द्वितीय सन् १९५४ के दूसरे मंगलवार के लिये श्री रामलखन के तारांकित प्रश्न संख्या ४३ के उत्तर में उल्लिखित तालिका

क्र० सं	कम्पनी का नाम	कम्पनी से खरीदे गये पम्पिंग प्लान्टों की संख्या।	मूल्य रुपया
१	मुन्नालाल ऐण्ड संस, कानपुर ..	३९	१,५२,९८८
२	विलियम जैक्स एन्ड कं० , कलकत्ता ..	५६	२,८५,०९७
३	ईस्ट इन्डिया इन्जीनियरिंग कारपोरेशन, कानपुर ..	५६	२,०५,७२५
४	इन्डस्ट्रिल इन्जीनियरिंग कारपोरेशन कानपुर ..	२३	१,६३,१०३
५	वीयगेटन सिम्पसन, लिमिटेड, कलकत्ता ..	२	१,३७६
६	इसकार्ट इन्डिया लिमिटेड, दिल्ली ..	४	१९,१६०
७	फार्म इक्वीपमेन्ट कं० कानपुर ..	९	२९,६७३
८	हिन्दुस्तान इन्जीनियरिंग वर्क्स , कलकत्ता	२	७,९६८
९	वेस्टर्न इन्डिया इन्डस्ट्री, कानपुर ..	११	५१,३४५
१०	कानपुर इन्जीनियरिंग स्टोर्स, कानपुर ..	१२	६७,२२०
११	ए० जे० ब्रदर्स, कानपुर ..	१०	१२,४३९
	योग ..	२२४	९,९६,०९४

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १२६ एल० ए०—१९५४—८५०